



जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं
आयुष मंत्रालय



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
संघ सरकार (सिविल)
2015 की प्रतिवेदन सं. 33
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

जनजातीय उप-योजना

की निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

(2011-12 से 2013-14)

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं
आयुष मंत्रालय**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

2015 की प्रतिवेदन सं. 33

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र

(चयनित योजनाएँ/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय)

विषय सूची		
प्राक्कथन		iii-iv
कार्यकारी सारांश		v-xi
अध्याय-1	प्रस्तावना	1-5
अध्याय-2	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं पद्धति	6-13
अध्याय-3	वित्तीय प्रबंधन	14-29
अध्याय-4	कार्यान्वयन	30-79
अध्याय -5	निगरानी तंत्र	80-88
अध्याय -6	निष्कर्ष	89-91
अनुबंध		93-170
शब्दावलीयों की सूची		171-175

प्राक्कथन

अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास हेतु भारत के संविधान में निहित विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से सरकार द्वारा कई विधायी तथा कार्यकारी उपाय किए गए हैं। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं ने सामान्य जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजातियों की जीवन निर्वाह परिस्थितियों के बीच का अंतर कम करने का प्रयास किया है। 1970 के दशक में केन्द्र सरकार द्वारा निरूपित ज.जा.उ.यो. कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य देश के बाकी हिस्से में जनजातीय जनसंख्या के विकासात्मक अंतर को कम करना था। वास्तव में, जनजातीय उप-योजना अपने आप में एक कार्यक्रम न होकर एक योजना कार्यनीति है जिसमें वर्तमान समय में केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर 28 मंत्रालय एवं विभाग तथा उनके कार्यान्वयन अभिकरण शामिल हैं।

हमें सांसदों समेत विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए जिनमें समाज के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों, के लिए बनाए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं की लेखापरीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। पूर्व में हमारे द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनुसूचित जाति (अ.जा.) तथा अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लाभ हेतु निर्मित कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर जाँच परिणाम शामिल किये गये थे परंतु हमारे हाल के किसी भी प्रतिवेदन में जनजातीय उप-योजना केन्द्र बिन्दु नहीं रहा है। ज.जा.उ.यो. दिशानिर्देशों को वर्ष 2010 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया। अतः हमने इस लेखापरीक्षा को 2014-15 के दौरान करने का निर्णय लिया।

ज.जा.उ.यो. के व्यापक विस्तार के कारण इसकी लेखापरीक्षा करना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए, हमने केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के चयनित घटकों पर ध्यान केन्द्रित किया। इस प्रतिवेदन में ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन तथा इसके माध्यम से वित्तपोषित जनजातीय जनसंख्या के लाभ हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

हमने पाया कि 28 केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित ज.जा.उ.यो निधियों को आदिवासियों के लाभ हेतु राज्य स्तर पर उपयोग हेतु प्रवाहित नहीं किया गया। अधिक जनजातीय उपस्थिति वाले नमूना जिलों की हमारी लेखापरीक्षा में आदिवासियों के लिए आवश्यकता आधारित योजना बनाए जाने में कमी पाई गयी जिसका परिणाम

स्वास्थ्य सेवा हेतु अपूर्ण अवसंरचना एवं सुविधाएँ तथा शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटकों में अ.ज.जा. विद्यार्थियों को सहायता के अभाव में हुआ। यह प्रतिवेदन ज.जा.उ.यो. कार्यनीति के कार्यान्वयन की स्थिति को विस्तार से प्रस्तुत कर इसके बेहतर संचालन के लिए अनुशंसाएँ करता है।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

विकास के प्रयासों के बावजूद सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन की दृढ़ता और निरंतरता से एक विशेष तथा केंद्रित कार्यनीति तथा अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लिए एक पृथक नीति आलेख आवश्यक हो गये थे ताकि उन्हें विकास वृद्धि के लाभों में अधिक न्यायसंगत हिस्सा प्राप्त हों। 1972 में स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अ.ज.जा. की सुरक्षा, कल्याण एवं विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई थी जिसने अंततः 1976 में अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना को जन्म दिया। जनजातीय उप योजना (ज.जा.उ.यो.) को पहली बार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ज.जा.उ.यो. का मुख्य उद्देश्य समयबद्ध रूप से सभी सामाजिक-आर्थिक विकास सूचकों पर सामान्य जनसंख्या तथा अ.ज.जा. के बीच अंतर को मिटाना।

ज.जा.उ.यो. कार्यनीति के दो उद्देश्य हैं, अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास तथा आदिवासियों की शोषण से सुरक्षा। ज.जा.उ.यो. के निरूपण तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को समय-समय पर योजना आयोग द्वारा ज.जा.उ.यो. के निरूपण, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पिछला संशोधन 2005 में किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह प्रस्तावित किया (2006 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार) कि (i) केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अनुसूचित जाति (अ.जा.) तथा अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) जनसंख्या के अनुपात में योजना निधियों को चिन्हित किया जाये; (ii) अनुसूचित जाति उप-योजना एवं जनजातीय उप-योजना निधियाँ अव्यपर्तनीय तथा असमापक होनी चाहिए; (iii) सही एवं उचित विकास कार्यक्रमों/योजनाओं/गतिविधियों का रूपांकन किया जाये; (iv) विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिये पृथक उप-शीर्षों का सृजन किया जाये; तथा (v) प्रभावी

मॉनीटरिंग तंत्र का सृजन किया जाये। 2010 में, एक कार्य दल ने अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात में आवंटन को चिन्हित करने के अपने दायित्व के निर्वाह में 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की पहचान की थी। इन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, 2011-12 से 2013-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. निधि के रूप में ₹64399.73 करोड़ आवंटित किए।

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

लोक लेखा समिति सहित विभिन्न हितधारकों के अनुरोध के अनुक्रम में ज.जा.उ.यो. की वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी जिसका आशय इस बात का आकलन करना था कि क्या केन्द्र/राज्यों में पृथक योजना दस्तावेज के रूप में ज.जा.उ.यो. का कार्यान्वयन कुशलतापूर्वक हो रहा है तथा संबंधित योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षित लाभ जनजातीय जनसंख्या तक पहुंच रहे हैं। हमने दो कार्य क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत मुख्य चयनित योजनाओं/संगठनों के कुछ घटकों की जांच करने का निर्णय लिया। समग्र पर्यवेक्षण के संदर्भ में मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.) मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वा.प.क.) मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय की भूमिका की लेखापरीक्षा के अतिरिक्त जनजातीय जनसंख्या वाले 18 राज्यों तथा 2 सं.शा.क्षे. में ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन की जांच की गई। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के कवरेज की अवधि अप्रैल 2011 से लेकर मार्च 2014 तक है।

लेखापरीक्षा मुद्दों का राष्ट्रव्यापी परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया गया है तथा केन्द्रीय स्तर पर पाए गए केवल संक्षिप्त जाँच परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

हमने क्या देखा?

निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का वर्णन नीचे किया गया है:

ज.जा.उ.यो. निधियों का निर्धारण मानदंड तथा निर्गम

यह देखा गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्दिष्ट निर्धारण मानदंडों को नहीं अपनाया था। ज.जा.उ.यो. निधियों के निर्गम विभागों द्वारा किए गए आवंटनों से मेल नहीं खाते थे। 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹13138.05 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधियों का कम निर्गम हुआ था।

{पैरा 3.2 (क) एवं (ख)}

जनजातीय विकास कार्यनीति एवं कार्यक्रमों के अनुसार, ज.जा.उ.यो. संकल्पना अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि जैसे आदिवासी बहुल राज्यों पर लागू नहीं होती है जहां आदिवासी जनसंख्या के 60 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि आदिवासी बहुल राज्यों को ज.जा.उ.यो. निधियों का ₹706.87 करोड़ की राशि निर्गम किया गया था।

{पैरा 3.3 (क)}

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹326.21 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधियाँ उन राज्यों/सं.शा.क्षो. को जारी की गयी थीं जहां जनगणना 2011 के अनुसार अ.ज.जा. जनसंख्या नहीं थी तथा इस प्रकार ज.जा.उ.यो. घटक उन पर लागू नहीं होता था।

{पैरा 3.3 (ख)}

सा.वि.नि. प्रावधानों के नियम 215 (2) के उल्लंघन में साल के अंत (मार्च) में 62 मामलों में ₹433.09 करोड़ तक की निधियां जारी की गयीं।

{पैरा 3.4}

ज.जा.उ.यो. निधि के खातों का रखरखाव/निधियों का उपयोग एवं असमापकीय पूल

राज्य सरकारों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी की गई कुल निधियों के लिए जारी किए गए थे, शीर्ष-वार निर्गमों के अनुसार नहीं परिणामस्वरूप, ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पता नहीं लगाया जा सका था।

(पैरा 3.5 एवं 3.6)

अ.ज.जा. के विकास के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित की जाने वाली ज.जा.उ.यो. निधियों के असमापकीय पूल में वित्त वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रह गई ज.जा.उ.यो. निधियों का अंतरण करने के योजना आयोग के दिशानिर्देशों (2010) को इन्हें जारी करने के चार वर्षों के पश्चात् भी कार्यान्वित नहीं किया गया था।

(पैरा 3.7)

लेखापरीक्षा ने राज्यों में चयनित योजनाओं में ज.जा.उ.यो. के वित्तीय प्रबंधन में कई कमियां पाई जैसे ज.जा.उ.यो. निधि के पृथक खाते का रखरखाव न किया जाना, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कम/विलंबित निर्गम, ज.जा.उ.यो. निधि का शून्य/न्यून उपयोग आदि।

(पैरा 3.8)

राज्यों में ज.जा.उ.यो. का कार्यान्वयन

दिशानिर्देशों में प्रावधान के बावजूद केन्द्र मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जनजातीय कार्य मंत्रालय को शामिल नहीं किया गया था।

(पैरा 4.2)

शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के अंतर्गत पांच चयनित योजनाओं के कुछ मूल घटकों के कार्यान्वयन में काफी कमियाँ पायी गई थीं जैसे कि स्कूली वर्दियों का गैर-संवितरण, लड़कियों के लिए मॉडल क्लस्टर स्कूल की गैर-स्थापना एवं गैर-कार्यान्वयन, मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की कमी, रसोई-सह-गोदाम की अनुपस्थिति, खाद्यान्न का कुप्रबंधन, अनुचित अवसरंचना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.)/ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान (ब्लॉ.अ.शि.सं.) की गैर-स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियां, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा अवसरंचना तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियों का गैर-संचालन आदि।

(पैरा 4.5)

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

केन्द्र स्तर पर मॉनीटरिंग असंतोषजनक थी। प्र.मं.का. के निर्देशों के बावजूद, नवम्बर 2005 में स्थापित समर्पित ज.जा.उ.यो. इकाई, योजना आयोग में कार्य नहीं कर रही थी। 28 चिह्नित मंत्रालयों/विभागों में से, केवल दो विभागों द्वारा ही त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे।

(पैरा 5.2)

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

हमारी लेखापरीक्षा से पता चला कि जनजातीय मामला मंत्रालय को वार्षिक योजना के निरूपण एवं अंतिमीकरण की प्रक्रिया में योगदान देने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था जोकि ज.जा.उ.यो. के सफल कार्यान्वयन का वांछित आधार था। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रणनीति दोषपूर्ण थी क्योंकि जनजातीय लाभार्थियों को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखे बिना योजना का निर्माण किया गया जिसकी अपेक्षा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत की गई थी। ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी की गई निधियों के उपयोग को मॉनीटर करने में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के नोडल मंत्रालय विफल रहे। कई मामलों में, जहां नोडल विभाग गठित किये गये थे, वहां

ज.जा.उ.यो. के निरूपण, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग कार्यक्रम में उनकी कोई भूमिका/नियंत्रण नहीं रही। योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त थी क्योंकि ज.जा.उ.यो. निधियों के कम उपयोग एवं विपथन के कई मामले पाए गए। विभिन्न स्तरों उदाहरणतः राज्य सरकारों से नोडल अभिकरणों/कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के निर्गम में विलंब देखे गए। यद्यपि, केन्द्र स्तर से निधियों को त्रिभाजित शीर्ष अर्थात् सामान्य/अ.जा./ अ.ज.जा. (ज.जा.उ.यो.) के अंतर्गत राज्यों तथा फिर उनसे जिला कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किया गया था, किसी भी स्तर पर व्यय के लेखे पृथक अनुरक्षित नहीं किये गये। राज्यों/जिलों ने किए गए व्यय के घटक वार विवरणों को दर्शाए बिना समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। इसके परिणामस्वरूप, ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत कुल व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सका। केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन दोषपूर्ण था।

हम निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैं:

- ❖ मंत्रालय को ज.जा.उ.यो. कार्यनीति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके अंतर्गत सूचित व्यय को अ.ज.जा. को पहुँचने वाले लाभों के प्रवाह से जोड़ा जा सके।
- ❖ मंत्रालय द्वारा लेखांकन व्यवस्थाएँ इस प्रकार परिचालित की जाएँ जिससे यह सुनिश्चित हो कि ज.जा.उ.यो. निधियाँ विपथित न की जा सकें।
- ❖ मंत्रालय द्वारा केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर सभी घटकों के लिए निधियों का सामयिक निर्गम सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि ज.जा.उ.यो के अंतर्गत आवृत योजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ मंत्रालय को ज.जा.उ.यो. निधि हेतु अलग खाते के अनुरक्षण तथा राज्यों द्वारा पृथक उ.प्र. की तैयारी/प्रस्तुतीकरण के लिए उचित निर्देश जारी करने चाहिए।
- ❖ योजना बनाने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से जनजातीय बहुल ब्लॉकों में सामुदायिक भागीदारी से सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ राज्य सरकार को राज्य/जिला स्तर पर एक ऐसी संरचना निर्मित करने के लिए कहा जाना चाहिए जिससे ज.जा.उ.यो. निधि के कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग की निगरानी एवं समीक्षा की जा सके।

- ❖ राज्य/जिला स्तर पर नोडल इकाई को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि जनजातीय आवासीय क्षेत्रों में विकास की आवश्यकताओं तथा अवसरंचनात्मक खामियों का आकलन किया जा सके तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो., रा.कृ.वि.यो. आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का अभिसरण किया जा सके।
- ❖ प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. घटकों के निर्माण, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग हेतु समर्पित नोडल इकाइयों को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए तथा ज.जा.उ.यो. के समग्र मॉनीटरिंग ढांचे में जनजातीय कार्य मंत्रालय की निरीक्षण भूमिका को सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- ❖ अ.ज.जा. के सामाजिक आर्थिक विकास पर ज.जा.उ.यो. के प्रभाव के आकलन हेतु मूल्यांकन अध्ययन कराए जाने चाहिए तथा ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों को योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान उपयोग में लाया जाना चाहिए।

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) जनसंख्या 8.43 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या की 8.2 प्रतिशत बनती है। गरीबी, साक्षरता तथा स्वास्थ्य के सामाजिक आर्थिक संकेतकों का निम्न स्तर उनके विकास के निम्न स्तर को दर्शाता है। वे सामाजिक बाधाओं जैसी अन्य असुविधाओं को भी सहन करते हैं।

कई सांविधिक सुरक्षाएँ हैं जो अ.ज.जा. के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हैं। तथापि, विकास प्रयासों के बावजूद सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की निरन्तरता एवं स्थायीकरण ने अ.ज.जा. को अधिक उचित प्रकार से विकासात्मक योगदानों तथा वृद्धि के लाभों को और अधिक सामान्य तरीके से बांटने में समर्थ बनाने हेतु उनके लिए एक विशेष सकेन्द्रीत पद्धति तथा एक अलग नीति साधन की आवश्यकता को प्राधिकृत किया था। इसलिए शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रारम्भ में 1972 में जनजातिय लोगों के तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास हेतु अ.ज.जा. के संरक्षण, कल्याण तथा विकास की एक व्यापक नीति तैयार की गई थी तथा इसे पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अ.ज.जा. हेतु कार्य योजना में अवधि-वार विकास को नीचे संक्षिप्त में दिया गया है :

वर्ष	संक्षिप्त विवरण
1972	अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण तथा विकास हेतु जनजातिय उप-योजना (ज.जा.उ.यो.) के विकास के लिए प्रोफेसर एस.सी. दूबे की अध्यक्षता के विशेषज्ञ समिति का गठन।

1976	<p>निम्न उद्देश्यों से ज.जा.उ.यो. का निरूपण:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) अ.ज.जा. की गरीबी तथा बेरोजगारी में भारी कटौती; (ii) उनके हित में उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन तथा आजीविका के अवसर प्रदान करना; (iii) पर्याप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके मानव संसाधन विकास; तथा (iv) सामाजिक, भौतिक तथा वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान।
2006	<p>उद्देश्यों सहित ज.जा.उ.यो. के निरूपण तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग (दिसंबर 2006) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) देश की कुल जनसंख्या के प्रति अ.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में योजनागत निधियों को चिन्हित करना (ii) ज.जा.उ.यो. निधियाँ अपवर्तनीय नहीं होनी तथा गैर-व्यपत्रत होनी चाहिए; तथा (iii) ज.जा.उ.यो. को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अलग बजट शीर्ष/उप-शीर्ष के अंतर्गत चिन्हित निधियों को रखना।
2010	<ul style="list-style-type: none"> • केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करने में अपनी कठनाईयों को इंगित किया था। इसलिए, दिशानिर्देशों की समीक्षा करने हेतु डा. नरेन्द्र जादव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का जून 2010 में गठन किया गया था। • कार्य बल ने अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटन को चिन्हित करने में उनकी बाध्यता के अनुसार 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की चार श्रेणियों में पहचान की (i) कोई बाध्यता नहीं; (ii) अ.ज.जा. हेतु 7.5% से कम परिव्यय को चिन्हित करना; (iii) अ.ज.जा. हेतु 7.5%-8.2% के बीच परिव्यय को चिन्हित करना; (iv) अ.ज.जा. हेतु 8.2% से अधिक परिव्यय को चिन्हित करना।

दिशानिर्देश यह भी प्रावधान करते हैं कि जनजातिय कल्याण विभाग राज्य में ज.जा.उ.यो. के निरूपण हेतु नोडल विभाग होंगे। ज.जा.उ.यो. धारणा उन

जनजातिय बहुसंख्यक राज्यों¹ में लागू नहीं है जहाँ जनजातिय जनसंख्या के 60 प्रतिशत से अधिक को प्रदर्शित करती है क्योंकि इन राज्यों/सं.शा.क्षे. में वार्षिक योजना स्वयं में एक जनजातिय योजना है। इन राज्यों/सं.शा.क्षे. की पूर्ण योजना प्राथमिक रूप से बहुसंख्या स्थापित कर रही अ.ज.जा. जनसंख्या के लिए थी।

1.2 ज.जा.उ.यो. के उद्देश्य

जनजातीय उप योजना केन्द्रीय योजना का भाग है। ज.जा.उ.यो. को प्रारम्भ करने का उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में अ.ज.जा. के कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में दोनों भौतिक तथा वित्तीय विषयों में विकास हेतु सामान्य क्षेत्र से परिव्ययों तथा लाभों के प्रवाह को निर्दिष्ट करना था। ज.जा.उ.यो. के विशेष उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- यह सुनिश्चित करना कि अ.ज.जा. के लाभ हेतु व्यय किए गए संसाधनों का भाग कम से कम देश में जनसंख्या में उनके भाग के समानुपात है।
- गरीबी तथा बेरोजगारी में भारी कमी।
- वृद्धि जिसे सम्भवतः विकास प्रयासों से प्राप्त किया गया है को बनाए रखने हेतु अ.ज.जा. के हित में उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन
- सभी प्रकार के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रति भौतिक तथा वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान।

उप-योजना निम्न पर लक्षित है;

- ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों हेतु संसाधनों का प्रावधान।
- उन क्षेत्रों के विकास हेतु एक विस्तृत नीति ढाचा तैयार करना।
- इसके कार्यान्वयन हेतु एक उचित प्रशासनिक कार्यनीति परिभाषित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना पर विचार किया जाना था:

¹ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड और लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नागर हवेली सं.शा.क्षे. में।

केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग योजनागत परिव्यय में से कम से कम देश की कुल जनसंख्या के प्रति अ.ज.जा. के अनुपात में ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करना।



जनजातिय उप-योजना गैर-अपवर्तनीय होना चाहिए।



अ.ज.जा. के कल्याण तथा विकास हेतु प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में ज.जा.उ.यो. के निरूपण तथा कार्यान्वयन हेतु एक नोडल इकाई के रूप में एक समर्पित इकाई स्थापित की जाए।



नोडल समर्पित इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए कि निधियों को अ.ज.जा. विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वयन करने हेतु विभागों में क्षेत्रीय इकाईयों को आवंटित किया जाएगा।



ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन के लिए ज.जा.उ.यो. हेतु चिन्हित निधियों को प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में अलग बजट शीर्ष/उप-शीर्ष के अंतर्गत रखना।

1.3 निधि प्रवाह प्रबंधन

कार्य बल (नवम्बर 2010) ने भा.स. के मंत्रालयों/विभागों को अपने वार्षिक योजनागत परिव्यय में से कम से कम देश में अ.ज.जा. जनसंख्या की प्रतिशतता, जो जनगणना 2011 के अनुसार 8.2 प्रतिशत थी, के समानुपात में ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने, जहां कहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन निधियों का किसी अन्य योजना को अपवर्तन नहीं किया गया था, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अनुदानों हेतु अपनी मांगों में एक अलग बजट शीर्ष अर्थात्

क्रियात्मक मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के नीचे लघु शीर्ष “जनजातिय उप योजना” कोड 796 खोलने के लिए परिपत्र 2011-12 जारी किया।

2011-12 से, 28 केन्द्रीय मंत्रालयों की 2011-12 से उनके वार्षिक योजनागत परिव्यय में प्रत्येक के प्रति दर्शाई प्रतिशतता के अनुसार परिव्यय को चिन्हित करने हेतु बाध्य श्रेणियों के अंतर्गत पहचान की गई थी। मंत्रालयों/विभागों को चार श्रेणियों, (i) कोई बाध्यता नहीं (ii) 7.5 प्रतिशत से कम परिव्यय को चिन्हित करना (iii) 7.5 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत के बीच परिव्यय को चिन्हित करना तथा (iv) अ.ज.जा. हेतु 8.2 प्रतिशत से अधिक चिन्हित करना, में अ.ज.जा. की जनसंख्या के समानुपात में अपनी बाध्यता की शर्तों के अनुसार आवंटन को चिन्हित करना अपेक्षित था। (अनुबंध-2 (i))।

2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान 28 केन्द्रीय मंत्रालयों हेतु ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत समग्र बजट अनुमानों तथा व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल परिव्यय (ब.अ.)	कुल व्यय (वास्तविक)
2011-12	18091.23	17453.61
2012-13	21710.11	20184.10
2013-14	24598.39	22029.97 (सं.अ.)

स्रोत: व्यय बजट, खण्ड -I, 2014-15

अध्याय-2

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं पद्धति

2.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- विभिन्न शैक्षणिक एंव स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उनके संघटकों के साथ कार्यान्वयन हेतु ज.जा.उ.यो. की योजना प्रक्रिया अच्छी तरह डिजाईन की गई थी, आवश्यकता आधारित थीं तथा परिचालन माहौल के प्रासंगिक थी।
- ज.जा.उ.यो. हेतु पर्याप्त वित्तिय परिव्यय चिन्हित किया गया था तथा जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में समय पर जारी किया गया था तथा कि इनका उपयोग योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार मितव्ययी रूप से तथा दक्षता से किया गया था।
- अ.ज.जा. के विकास हेतु शिक्षा एंव स्वास्थ्य सेवाएं योजनाओं को प्रभावी रूप से पूरा किया गया था।
- योजनाओं/कार्यक्रमों के परिणामों की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु उपयुक्त प्रभावी प्रक्रिया स्थापित थी।

2.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र विस्तार

ज.जा.उ.यो. का एक मूल उद्देश्य पर्याप्त शिक्षा एंव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके अ.ज.जा. का मानव संसाधन विकास है। इस संबंध में 2011-12 से 2013-14 की अवधि हेतु दो केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय की नमूना जांच को इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसमें स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता

की 25 योजनाओं में से पांच योजनाओं तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 28 योजनाओं में से पांच योजनाओं तथा प्रत्येक उच्चतर शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के क्रमशः तीन स्वायत निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल है। इसमें चयनित 20 राज्यों की जनगणना के अनुसार उनकी अ.ज.जा. जनसंख्या के आधार पर उनके नोडल विभाग/कार्यान्वयन अभिकरणों को भी शामिल किया गया है। मंत्रालय के अंतर्गत चयनित योजनाओं/संस्थानों के विभाग-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत चयनित मंत्रालय-वार योजनाएं/इकाईयाँ					
क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	विभाग	योजनाओं/परिषदों/संस्थानों की कुल सं.	चयनित योजनाओं/परिषदों/संस्थानों की सं.	चयनित योजनाओं/परिषदों/संस्थानों का नाम
1	मानव संसाधन विकास	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25	5	<ol style="list-style-type: none"> सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) दोपहर का भोजन (दो.भो.) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.) शिक्षक शिक्षा पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना का पुनर्गठन तथा पुनः व्यवस्था (शि.शि.यों.)
		उच्चतर शिक्षा	42	3	<ol style="list-style-type: none"> विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.)

2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	28 (रा.गा.स्वा.मि. की 21 योजनाएं तथा गैर-रा.गा.स्वा.मि.की 7 योजनाएं)	गैर-रा.गा.स्वा.मि. की 2 योजनाएं रा.गा.स्वा.मि. की 3 योजनाएं	गैर-रा.गा.स्वा.मि.
					<ol style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक बचाव कार्यक्रम (रा.कै.म.ह.रो.स्ट्रो.ब.का.) राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (रा.वा.स्वा.दे.का.) <p>रा.गा.स्वा.मि.</p> <ol style="list-style-type: none"> अवसंरचना अनुरक्षण (अ.अ.यो.) टीकाकरण राज्य पी.आई.पी. हेतु फ्लैक्सीवल पूल (रा.पी.आई.पी.फ्लै)-प्र.शि.स्वा. फ्लैक्सीवलपूल-मिशन फ्लैक्सीवलपूल

दोनो मंत्रालयों की चयनित योजनाओं की मंत्रालय-वार वित्तीय आवंटन तथा निर्गम निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अवधि	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)		
	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आवंटन	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आवंटन	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि
2011-12	75148.72	7956.12	3748.58	15241.00	1772.90	1836.37
2012-13	84768.53	9133.24	4262.54	17772.51	1891.26	2038.00
2013-14	64239.59	7092.07	4719.63	17994.01	1961.29	1968.60

स्रोत: मंत्रालयों द्वारा प्रदान किया गया डाटा

तालिका में नीचे दी गई सूचना उच्चतर शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.), तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय, केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (के.आ.वि.अ.प.), केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (के.हो.अ.प.), केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (के.यू.ओ.अ.प.) के लिए है।

(₹ करोड़ में)

अवधि	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष विभाग (अब आयुष मंत्रालय)		
	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आवंटन	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आवंटन	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि
2011-12	3484.50	256.00	256.00	121.00	10.00	10.00
2012-13	3928.75	332.71	230.21	151.26	10.00	10.00
2013-14	3611.94	279.61	243.45	199.50	9.00	9.00

स्रोत: मंत्रालयों द्वारा प्रदान किया गया डाटा

2.1.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत

ज.जा.उ.यो. के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन की निम्नलिखित स्रोतों/दस्तावेजों से उत्पन्न मानदण्ड के संदर्भ से लेखापरीक्षा की गई थी:

- ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश/अनुदेश;
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश ;
- योजना आयोग/चयनित मंत्रालयों (अर्थात् मा.सं.वि.मं. एवं स्वा.प.क.मं.) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/अनुदेश ;
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न ;
- विश्वसनीय स्रोतों से प्रभावी मूल्यांकन तथा रिपोर्ट/सांख्यिकी।

2.1.4 लेखापरीक्षा नमूना

35 राज्यों/सं.शा.क्षे. में से 20 राज्यों/सं.शा.क्षे. (132 ज़िलें एवं 356 ब्लाकों) का निम्नलिखित प्रतिमानों/सांख्यिकीय ढांचों के आधार पर चयन किया गया था:

- 17 राज्यों/सं.शा.क्षे² जनजातीय जनसंख्या प्रतिशतता राज्य जनसंख्या के पांच प्रतिशत से अधिक है
- 3 राज्यों³ में जहां जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता राज्य जनसंख्या के पांच प्रतिशत से कम है, परंतु कुल अ.ज.जा. जनसंख्या तीन लाख से अधिक है

इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तरप्रदेश तथा गोवा के राज्य शामिल नहीं किए गए थे। पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, दिल्ली तथा पुदुचेरी के राज्यों जिनमें अ.ज.जा. जनसंख्या नहीं है, को भी शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, समीक्षा प्रक्रिया केवल 20 राज्यों/सं.शा.क्षे. में प्रारम्भ की गई थी (अनुबंध-1)।

इकाईयों के नमूना हेतु निम्नलिखित मानदण्ड भी अपनाए गए थे :

प्रथम चरण: ज़िले – राज्यों के अतंर्गत 30 प्रतिशत ज़िले (न्यूनतम दो के तहत)। सभी ज़िलों को जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय जनसंख्या के रूप में माप मापदण्ड के साथ उच्चतम से न्यूनतम के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। शीर्ष से 30 प्रतिशत ज़िलों का चयन किया गया था। चयनित 129 ज़िलों के ब्यौरे अनुबंध-2 में दिए गए हैं।

द्वितीय चरण : ब्लाक – न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 4 के तहत 25 प्रतिशत ब्लाकों की अपेक्षित संख्या का ज़िलों हेतु उपर्युक्त पद्धति के अनुसार चयन किया गया था। चयनित 356 ब्लाकों का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

² झारखण्ड, मणिपूर, छत्तीसगढ़, त्रिपूरा, ओडिशा, सिक्किम, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार, आनंद प्रदेश तथा कर्नाटक

³ केरल, तमिलनाडु तथा बिहार

तृतीय चरण: विद्यालय/प्रास्वाके⁴ /कार्यान्वयन अभिकरण: इनका चयन यादचिक किया गया था।

2.2 वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

लेखापरीक्षा परिणामों का देशव्यापी महत्व से विश्लेषण किया गया है तथा केवल केन्द्र स्तर पर पाए गए संक्षिप्त निष्कर्षों का इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 5 अलग अध्यायों में सूचित किया गया है। इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 तथा 2 विस्तृत विहंगावलोकन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुंचने हेतु अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति को सूचित करते हैं। अध्याय 3 में हमने योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन किया है। अध्याय 4 योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को प्रस्तुत करता है। अध्याय 5 योजनाओं की मॉनीटरिंग एंव मूल्यांकन में कमियों पर विचार करता है तथा अध्याय 6 निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष का सारांश प्रस्तुत करता है।

2.3 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारम्भ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग) तथा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग) के साथ क्रमशः 26 मई 2014 तथा 12 जून 2014 को एक प्रवेश सम्मेलन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्यों तथा मानदण्ड को बताया गया था। साथ-साथ, प्रत्येक चयनित राज्य में, प्रवेश सम्मेलन, से संबंधित महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा, योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल नोडल विभाग के साथ, आयोजित किया गया था **अनुबंध 2(i)**। इसके पश्चात, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय

⁴ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

व्यय) तथा संबंधित महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार(लेखापरीक्षा) द्वारा मंत्रालयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों में ज.जा.उ.यो. से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी।

ड्राफ्ट प्रतिवेदन को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रत्युत्तर की मांग करते हुए, 27.अप्रैल.2015 को मा.सं.वि. मंत्रालय, स्वा.प.क. मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय को जारी किया गया था। इन मंत्रालयों से अंतिम उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा करने के लिए, नोडल मंत्रालय होते हुए जनजातीय मामला मंत्रालय के साथ 17 जुलाई 2015 को इन मंत्रालयों के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा की गई अभ्युक्तियां/अनुशंसाओं पर मंत्रालय/विभागों द्वारा सहमति हुई थी। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सभी भागीदारों ने उनसे संबंधित पैराग्राफों के उत्तर शीघ्रातिशीघ्र देने के लिए सहमत हुए थे। आयुष मंत्रालय को छोड़कर, अन्य मंत्रालयों/विभागों से उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जुलाई 2015)। आयुष मंत्रालय की टिप्पणियां उचित रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

अध्याय-3

वित्तीय प्रबंधन

3.1. निधि प्रबंधन की योजना

जनजातीय उपयोजना के माध्यम से अ.ज.जा. के विकास की योजना में केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों की योजनागत निधियों को एक अलग लेखा-शीर्ष में चिन्हित करना, प्रशासनिक प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण तथा ज.जा.उ.यो. निधियों की मानीटरिंग हेतु कार्यान्वयन शामिल है।

3.1.1 राज्य/जिला/ब्लाक स्तर पर ज.जा.उ.यो. की निधियों का कोई वियोजन न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक योजना के अंतर्गत मंत्रालय से राज्य/सं.शा.क्षे. विभाग को चिन्हित ज.जा.उ.यो. निधियों के प्रवाह को योजना दिशानिर्देश के अनुसार '0796- योजनागत शीर्ष' में वियोजित किया गया था, परंतु राज्य स्तर पर ऐसी निधि का कोई वियोजन उपलब्ध नहीं था। तथापि, ज.जा.उ.यो. में शामिल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त सभी निधियों को एक आम निधि में रखा गया था। केन्द्रीय सरकार से ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्त निधियों का कोई अलग खाता/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

3.2 ज.जा.उ.यो. निधियों को अनुपयुक्त चिन्हित करना तथा कम निर्गम

संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 5.9 ने अनुबंध किया कि चार श्रेणियों में वर्गीकृत मंत्रालयो/विभागों की बाध्यता को उनकी प्रतिशतता के अनुपात में ज.जा.उ.यो. परिव्यय को चिन्हित करना अपेक्षित है (अनुबंध-3)।

(क) तदनुसार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्रेणी-IV के अंतर्गत आता है तथा उसे 10.70 प्रतिशत चिन्हित करना अपेक्षित था। इसी तरह उच्चतर शिक्षा विभाग श्रेणी-III के अंतर्गत आता है तथा कुल परिव्यय का 7.50 प्रतिशत चिन्हित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ये विभाग निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, 2011-12 से 2013-14 के दौरान पर्याप्त अधिक/कम आवंटन तथा कम निर्गम थे जैसा नीचे विवरण दिया गया है:


(₹ करोड़ में)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)						
अवधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. हेतु किया गया आवंटन	अपेक्षित आवंटन (10.70%)	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि	जारी न की गई निधि (3-5)	जारी निधि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	75148.72	7956.12	8040.91	3748.58	4207.54	47.11
2012-13	84768.53	9133.24	9070.23	4262.54	4870.70	46.67
2013-14	64239.59	7092.07	6873.61	4719.63	2372.44	66.55
		24181.43	23984.75	12730.75		

स्रोत: मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)						
अवधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. हेतु किया गया आवंटन	अपेक्षित आवंटन (10.70%)	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि	जारी न की गई निधि (3-5)	जारी निधि की %
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	3484.50	256.00	261.34	256.00	---	100
2012-13	3928.76	332.71	294.66	230.21	102.50	69.19
2013-14	3611.94	279.61	270.89	243.45	36.16	87.07
		868.32	826.89	729.66		

स्रोत: मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े



लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ज.जा.उ.यो. निधि के निर्गम दोनों विभागों द्वारा किए गए इसके आवंटनों की तुलना में काफी कम थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान 50 प्रतिशत से कम तथा 2013-14 के दौरान 66.55 प्रतिशत ज.जा.उ.यो. निधि जारी की थी जबकि उ.शि. विभाग ने 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः 69 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक जारी की थी।

(ख) ₹13138.05 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधि का कम/नहीं जारी किया जाना

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालयों के विभागों ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्यों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को चयनित योजनाओं में कुल चिन्हित निधियों के सापेक्ष कम ज.जा.उ.यो निधियों को जारी किया था।

(₹ करोड़ में)

विभाग	योजना/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	कम/जारी नहीं की गई राशि	अभ्युक्तियाँ
स्कू.शि.एवं शा.वि.	एस.एस.ए., एम.डी.एम., आई.सी.टी.	11645.65	अभिलेख में ऐसे कम जारी किये जाने के कारण नहीं पाये गये। इसके अलावा, आर.एम.एस.ए. एवं टी.ई. के संदर्भ में, मंत्रालय द्वारा ज.जा.उ.यो. के लिए निधि का आवंटन नहीं किया गया था। (अनुबंध 4).
	आई.सी.टी., आर.एम.एस.ए. एवं टी.ई.एस.	-----	ज.जा.उ.यो. निधि का जारी नहीं किया जाना (अनुबंध 5)
उ.शि.वि	वि.अ.आ, इग्नू एवं ए.आ.सी.टी.ई.	138.65	विभाग ने निर्धारित मानदंडों को स्वीकार नहीं किया अर्थात्, ज.जा.उ.नि. जारी करते समय 7.5% (अनुबंध 6)
स्व.एवं कल्य.वि	एन.पी.सी.डी.सी.एस., एन.पी.एच.सी.ई., टीकाकरण, एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	1353.75	कम जारी राशि। (अनुबंध 7)
कुल		13138.05	

इस प्रकार, 2011-12 से 2013-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. निधि के अंतर्गत कम जारी की गई राशि ₹ 13138.05 करोड़ विभाग द्वारा निधियों के प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाती है।

3.3 चिन्हित करने के मानदण्डों को न अपनाना:

(क) जनजातीय बहुल राज्यों को ₹ 706.87 करोड़ की राशि के ज.जा.उ.यो. निधियों का गलत निर्गम

जनजातीय विकास नीति तथा कार्यक्रमों के अनुसार, ज.जा.उ.यो. धारणा जनजातीय बहुसंख्यक राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा

नागालैण्ड को और लक्षद्वीप तथा दादर एवं नगर हवेली के सं.शा.क्षे., जहां जनजातीय 60 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक है, मे लागू नहीं है तथा इस प्रकार इन राज्यों/सं.शा.क्षे. की वार्षिक योजना वास्तव में जनजातीय योजनाएं हैं।

इस स्थिति के बावजूद, दो मंत्रालयों के अंतर्गत निम्नलिखित विभागों तथा केन्द्रीय स्वायत निकायों ने इन राज्यों को 2011-12 से 2013-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. निधि के अंतर्गत ₹706.87 करोड़ की राशि जारी की। विभाग-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

ज.जा.उ.यो. अनुदानों के गलत निर्गम के ब्यौरे

क्र.सं.	विभाग/केन्द्रीय स्वा.नि.	राशि (₹ करोड़ में)
1.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	365.80
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	301.69
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा विभाग)	34.72
4.	अखिल भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद (उच्चतर शिक्षा विभाग)	1.00
5.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के.ह.अ.प. (आयुष विभाग)	3.40
6.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं विज्ञान परिषद के.आ.वि.अ.प. (आयुष विभाग)	0.26
कुल		706.87

जबकि अन्य विभागों से जबाब अभी तक प्राप्त किये जा रहे हैं, आयुष मंत्रालय (के.ह.अ.प. एवं के.आ.वि.अ.प.) ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2015) कि परिषद उन इकाईयों/कार्यक्रम की पहचान करने की प्रक्रिया में थी, जो ज.जा.उ.यो. निधि के निर्गम हेतु योग्य बनते हैं।

**(ख) गैर-अ.ज.जा. जनसंख्या वाले राज्यों को ज.जा.उ.यो. निधियों का निर्गम
₹326.21 करोड़**

ज.जा.उ.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 2.2 (क) अनुबंध करता है कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को, अन्य बातों के साथ, कम से कम देश की अ.जा. तथा अ.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में योजनागत परिव्यय से ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करना अपेक्षित है। दिशानिर्देश यह भी प्रावधान करते हैं कि केवल उन्हीं योजनाओं को व्यय के मापदण्ड के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए जो अ.ज.जा. से संबंधित परिवारों के व्यक्तियों को सीधे लाभ को सुनिश्चित करे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, निम्नलिखित विभागों तथा संबंधित विभागों के अंतर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने उन राज्यों (उदाहरणार्थ दिल्ली, चण्डीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी) जहाँ जनगणना 2011 के अनुसार अ.ज.जा. जनसंख्या शून्य थी, को 2011-12 से 2013-14 के दौरान चयनित योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹326.21 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधियों को चिन्हित/जारी किया। विभाग- वार विवरण निम्नानुसार हैं:

गैर- अ.ज.जा. जनसंख्या वाले राज्यों को ज.जा.उ.यो. निधियों का निर्गम

क्र.सं.	विभाग/केन्द्रीय स्वा.नि.	राशि (₹ करोड़ में)
1.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	68.85
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	152.82
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा विभाग)	97.02
4.	अखिल भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद (उच्चतर शिक्षा विभाग)	6.03
5.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (आयुष विभाग)	0.51
6.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आयुष विभाग)	0.98
कुल		326.21

इस प्रकार, ज.जा.उ.यो. निधियों को नियत प्रतिमानों के अनुसार जारी नहीं किया गया था।

जबकि अन्य विभागों से उत्तर प्राप्त होना अपेक्षित है, आयुष (के.यू.ओ.अ.प) मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि परिषद के अधीन कोई जनजातीय संस्था/इकाई कार्य नहीं कर रही है। फिर भी, परिषद के अधीन निदानात्मक केंद्रों को जनजातीय जनसंख्या पर खर्च करने के लिए निधि आवंटित किया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों कि जनजातीय जनसंख्या पर खर्च करने के लिए निधि आवंटित किया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों कि जनगणना 2011 के अनुसार ज.जा.उ.यो. निधि उन राज्यों के लिए नहीं है जहाँ जनजातीय जनसंख्या नहीं है।

विभाग (के.आ.वि.अनु.प.) ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जुलाई 2015) तथा बताया कि भविष्य में वह जनजातीय क्षेत्रों का चयन करने में अधिक सावधान रहेगा।

मामला अध्ययन

वि.आ.आ. जा.मि.इ. एवं अ.मु.वि. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) को केवल योजनागत शीर्ष-सामान्य घटकों के अंतर्गत अनुदान जारी करता रहा है न कि अ.जा./अ.ज.जा. घटक के अंतर्गत मा.सं.वि. मंत्रालय से अ.ज.जा. घटक के अंतर्गत प्राप्त ₹444.33 करोड़ की राशि की ज.जा.उ.यो. निधि में से, 2011-12 के दौरान, इन विश्वविद्यालयों को वि.आ.आ. ने ₹7.46 तथा ₹2.44 करोड़ जारी किए थे। बाद में, जा.मि.इ. तथा अ.मु.वि. के अल्पसंख्यक होने के बावजूद इन्हे ज.जा.उ.यो. निधियों के निर्गम के स्पष्टीकरण हेतु वि.आ.आ. द्वारा यह मामला मंत्रालय को संदर्भित किया गया था (अप्रैल 2013)। मंत्रालय से उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था पर जा.मि.इ. ने भी ज.जा.उ.यो. निधि प्राप्त करने पर वि.आ.आ. से स्पष्टीकरण मांगा था (नवम्बर 2013) कि जा.मि.इ. के अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण क्या अ.ज.जा. घटक जा.मि.इ. पर लागू होता था। यद्यपि, मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया, वि.आ.आ. ने, 2013-14 के दौरान, ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत क्रमशः जा.मि.इ. तथा अ.मु.वि. को ₹3.75 करोड़ और ₹8.25 करोड़ जारी कर दिए थे। यह ज.जा.उ.यो. कार्यनीति तथा आवंटन तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों के उपयोग में स्पष्टता की कमी को दर्शाता है।

3.4 वर्ष के अन्त में ₹433.09 करोड़ की निधियों का निर्गम

सा.वि.नि. 215(2) प्रावधान करता है कि वर्ष के अन्त के प्रति निधियों का बड़ा भाग जारी करने से बचने के लिए एक क्रियाविधि स्थापित की जानी चाहिए तथा इसे योजना के डिजाइन में शामिल किया जाना चाहिए।

(क) लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान स्वा.प.क. विभाग द्वारा चयनित पांच योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय कैसंर बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम, मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक, अवसंरचना अनुरक्षण, टीकाकरण (पल्स पोलियो टीकाकरण), राज्य पी.आई.पी हेतु फ्लैक्सीपूल-आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल तथा मिशन फ्लैक्सीपूल योजनाओं, में ₹4395.32 करोड़ के कुल निर्गम के प्रति 59 मामलों में ₹427.82 करोड़ को वर्ष के अंत (मार्च माह) में जारी किया गया था। इस प्रकार, यह निर्गम उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए थे। मार्च के महीने में निधियों का योजना-वार/राशि-वार निर्गम अनुबंध-8 में दिया गया है।

(ख) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निम्नलिखित मामलों में ₹5.27 करोड़ की ज.जा.उ.यो. अनुदानों को आयुष विभाग द्वारा वर्ष के अंत में विभिन्न योजनों के अंतर्गत जारी किया गया था।

क्र.सं.	परिषद का नाम	संस्वीकृति सं. एवं दिनांक	वित्तीय वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (के.आ.वि.अ.प.)	जी.27012/32012आर.डेस्क दिनांक 28.03.2013	2012-13	3.00
2.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (के.हो.अ.प.)	सं. जी-27012/052013-आर.डी. दिनांक 21.03.2014	2013-14	0.50
3.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (के.यू.ओ.अ.प.)	सं. जी.27012/8/2013-अनुसंधान डेस्क दिनांक 05.03.2014	2013-14	1.77

विभाग (के.आ.वि.अ.प., के.हो.अ.प. एवं के.यू.ओ.अ.प.) ने स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2015) कि अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया है और भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

3.5 ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति

मंत्रालय/विभाग विभिन्न शीर्षों अर्थात् सामान्य, अ.जा. तथा अ.ज.जा. के अंतर्गत निधियां जारी करते समय, केन्द्रीय सहायता/केन्द्रीय अंश को राज्यों को तीन शीर्षों अर्थात्-187 सामान्य, 789-अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना एवं 796-अनुसूचित जनजाति उपयोजना में बाँटा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मा.सं.वि.म. (स्कू.शि.सा.विभाग) तथा स्वा.प.क.म. (स्वा.प.क. मंत्रालय) द्वारा राज्यों सरकारों से जारी कुल निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए थे न कि शीर्ष-वार निर्गमों के अनुसार। इसलिए, ज.जा.उ.यो. सघंटक के अंतर्गत निधियों के वास्तविक उपयोग की स्थिति मंत्रालय/विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। ज.जा.उ.यो. निधियों के उचित उपयोग प्रमाणपत्रों के अभाव में इसका वांछनीय उपयोग गैर-निर्धारणीय रहा।

3.6 केन्द्रीय स्वा.नि. को सहायता अनुदान-इसके उपयोग में कमियां

संबंधित विभागों के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय स्वा.नि.ने सहायता अनुदानों के रूप में ज.जा.उ.यो. निधियों प्राप्त की। सहायता अनुदानों की संस्वीकृति को नियंत्रण करने वाली शर्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यह प्रमाणित करने वाले कि राशि को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी, उ.प्र. प्रस्तुत करना अपेक्षित करती है।

प्राप्त की गई ज.जा.उ.यो. सहायता अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	परिषदों/संस्थानों के नाम	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
उच्चतर शिक्षा	वि.अ.आ.	434.00	349.39	378.38	1161.77
	अ.भा.त.शि.प.	12.25	30.00	27.75	70.00
	इग्नू	3.75	4.13	3.45	11.33
आयुष	के.यू.ओ.अ.प.	3.00	3.00	1.77	7.77
	के.आ.वि.अ.प.	4.50	5.00	5.00	14.50
	के.हो.अ.प.	2.00	2.00	2.00	6.00

उपरोक्त स्वा.नि. के कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि:

- इन छ. संगठनों ने वास्तविक उपयोग के विवरण प्रस्तुत किए बिना पूर्ण अनुदान हेतु संबंधित विभाग को उ.प्र. प्रस्तुत किए।
- इकाईयों द्वारा वि.अ.आ. को प्रस्तुत उ.प्र. भी, इस परिणाम के साथ कि ज.जा.उ.यो. निधियों का उपयोग गैर-निर्धारणीय था, नियमित निधियों तथा ज.जा.उ.यो. निधियों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दर्शाता था।
- ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत 2011-14 के दौरान प्राप्त ₹70.00 करोड़ के प्रति अ.भा.त.शि.प. ने विभिन्न संस्थानों/बहुशिल्पो/विश्वविद्यालयों आदि को ₹79.50 करोड़ जारी किए। ₹9.50 करोड़ के अधिक निर्गम हेतु कारण अभिलेख पर नहीं थे।
- के.हो.अ.प. ने 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. निधि के अव्ययित शेष से ₹27.60 लाख की आकस्मिकता अग्रिम अदा की थी तथा इसे अंतिम व्यय/उपयोग किया गया के रूप में माना। विभाग ने बताया (दिसंबर 2014) के अग्रिमें प्रत्याशित व्यय के प्रति अदा की गई थीं तथा व्यय के रूप में दर्शाया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अग्रिमों का व्यय के रूप में अर्थ नहीं लगाया जा सकता।

ज.जा.उ.यो. लेखाओं हेतु कोई अलग बजट शीर्ष न होना

- अ.भा.त.शि.प.

अ.भा.त.शि.प. तकनीकी शिक्षा के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न संस्थान/विश्वविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों आदि को अनुदाने जारी करता है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, यह देखा गया था कि अ.भा.त.शि.प. ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹79.50 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधियां जारी की थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निधियों को यह सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था कि परियोजनाएं ज.जा.उ.यो. निधियों अथवा अ.ज.जा. जनसंख्या के लिए प्रासंगिक थी तथा वे ज.जा.उ.यो निधि में शामिल किए जाने योग्य थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निधियों को यह सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था कि परियोजनाएं ज.जा.उ.यो. निधियों अथवा अ.ज.जा. जनसंख्या से संबंधित थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निधियों के निर्गमों तथा उपयोग के मामले में इसका कोई वियोजन उपलब्ध नहीं था। उत्तर में, अ.भा.त.शि.प. ने बताया कि व्यय को अलग से दर्ज करने हेतु कोई अलग बजट लेखा शीर्ष सृजित नहीं किया गया था; ज.जा.उ.यो. निधि के उपयोग के संबंध में मंत्रालय से कोई विशिष्ट दिशानिर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त जारी की गई अनुदान को केवल 7.5 प्रतिशत की सीमा तक अ.ज.जा. शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता था तथा उपयोग को इस विधि से प्रतिवेदित किया जा सकता था।

उत्तर सुस्पष्ट निर्देशों की कमी तथा विभिन्न अभिकरणों द्वारा अपनाई गई भिन्न प्रक्रियाओं को उजागर करता है। ज.जा.उ.यो. निधि के लेखाबद्ध व्यय करना एवं उपयोग के प्रतिवेदन को रूटीन अभ्यास के रूप में लिया गया।

- इग्नू

इग्नू ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान मा.सं.वि. मंत्रालय से ₹11.33 करोड़ की ज.जा.उ.यो निधियां प्राप्त की तथा समेकित प्रारूप में अपने विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को जारी की तथा इग्नू के पास संवितरित ज.जा.उ.यो. निधि का कोई वियोजन उपलब्ध नहीं था। इग्नू ने बताया (सितंबर 2014) कि प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र को प्रत्येक संघटक के अंतर्गत संवितरित अनुदान का वियोजन संभव नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों के बावजूद, इग्नू द्वारा अ.ज.जा. लाभार्थियों को लाभ पहुचाने हेतु परियोजना चिन्हित करने के लिए कोई सम्मिलित प्रयास नहीं किया था।

मामला अध्ययन

ज.जा.उ.यो. निधियों का विपथन

आयुष विभाग की तीन परिषदों ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹28.27 करोड़ में से ₹27.29 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधि का अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत औषधियों की खरीद, नियमित स्टाफ को अदा किए गए वेतन, आकस्मिकताओं आदि के प्रति उपयोग किया गया था। व्यय अ.ज.जा. के विकास से संबंधित नहीं था क्योंकि अनुसंधान कार्यक्रम भारतीय औषधी प्रणालियों के प्रसार तथा विकास से संबंधित है जहां लाभ जनसंख्या के पूर्ण स्तर तक फैले हैं।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान ज.जा.उ.यो निधि के अंतर्गत ₹9.77 करोड़ के आवंटनों। निर्गमों से के.यू.ओ.अ.प. तथा के.हो.अ.प. ने ₹5.86 करोड़ की अव्ययित ज.जा.उ.यो. निधि का अन्य सामान्य योजनागत निधि के प्रति विपथन किया।

आयुष (के.हो.अ.प.) मंत्रालय ने अभ्युक्तियों (जुलाई 2015) को स्वीकार किया। के.यू.ओ.अ.प. के मामले में, कहा कि निधि का विपथन सामान्य योजना की ओर नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने उत्तर को तथ्यात्मक रूप से गलत पाया।

अभ्युक्तियों सिद्ध करती है कि संगठन ज.जा.उ.यो के अंतर्गत प्राप्त की गई विधियों को नियमित निधियों की तरह जनसंख्या के लाभ के लिए उपयोग करने के तरीकों में अस्पष्टता थी।

3.7 ज.जा.उ.यो. निधियों का गैर-व्यपगत पूल (ज.नि.गै.व्य.पू.)

संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 5.9 ने अनुबंध किया कि एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ज.जा.उ.यो. निधियों (सभी मंत्रालयों के लघु शीर्ष 796 के अंतर्गत क्रमशः दर्शाया गया है) के अप्रयुक्त रहने पर इसे अनुसंधानों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल (अ.गै.व्य.के.पू.) की दिशा पर उत्तर पूर्व क्षेत्र हेतु अतंरित किया जा सकता है जिसे “ज.जा.उ.यो. निधियों का गैर-व्यपगत पूलों से निधियों को अ.ज.जा. विकास हेतु योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ-साथ ज.जा.उ.यो. के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए

जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित किया जाए जो राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता का एक भाग बनाएगी।

अंतर-मंत्रालयी समिति की अनुशंसाओं (जनवरी 2013) ने भी स्पष्ट किया था कि मामले में यह पाया गया था कि एक विशिष्ट वर्ष में ज.जा.उ.यो. हेतु चिन्हित निधियों का राज्य में अ.ज.जा. जनसंख्या के अंश के अनुपात में व्यय नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंतर को संबंधित नोडल मंत्रालय अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय जो बदले में केवल अ.ज.जा. के लाभ हेतु योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु निधियां आवंटित करेगा, द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले गैर-व्यपगत पूल में उस सीमा तक निधियां प्रदान करके, उपयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

योजना आयोग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ज.जा.उ.यो. निधियों का गैर-व्यपगत पूल (ज.नि.गै.व्य.पू.) हेतु संसाधन के प्रावधान करना अभी था। आगे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भी उत्तर दिया कि (अक्टूबर 2014) अभी तक ज.जा.उ.यो. के गैर व्यपगत केन्द्रीयपूल की स्थापना नहीं की गई थी और इस प्रकार मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई निधियां प्राप्त नहीं की थी।

इस प्रकार, अप्रयुक्त ज.जा.उ.यो. निधियों का ज.नि.गै.व्य.पू. को अंतरण का विचार गैर-प्रवर्तक रहा।

3.8 चयनित योजनाओं के संबंध में वित्तीय प्रबंधन पर राज्य विशिष्ट निष्कर्ष

चयनित राज्यों में अभिलेखों की जांच ने निधि प्रबंधन तथा उपयोग से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि की। नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार वित्तीय प्रबंधन में कमियां:

3.8.1 ज.जा.उ.यो. निधि के अलग लेखे का गैर-अनुरक्षण

स्कू.शि. एवं सा. विभाग

- असम, बिहार, दमन एवं दीव, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, केरल में केन्द्र से

ज.जा.उ.यो के अंतर्गत प्राप्त निधियों के कोई अलग लेखाओं/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। ज.जा.उ.यो. सहित योजना के कार्यान्वन हेतु प्राप्त सभी निधियों को एक सामान्य पूल निधि में रखा गया था। इस प्रकार, ज.जा.उ.यो. निधि के व्यय की प्रमात्रा भी उपलब्ध/निर्धारित नहीं थी (अनुबंध 9(i))।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- मध्य प्रदेश, झारखण्ड, असम, ओडिशा, ज.एवं.क., कर्नाटक, केरल, सिक्किम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु तथा दमन एवं दीव के राज्यों में 2011-14 के दौरान स्वास्थ्य संघटकों के अंतर्गत चयनित योजनाओं में ज.जा.उ.यो. निधि के संबंध में लेखाओं का अलग से अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जारी ज.जा.उ.यो. निधियों का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था (अनुबंध 9(ii))।

3.8.2 केन्द्र द्वारा कम/निर्गम में विलम्ब

स्कू.शि. एवं सा. विभाग

- गुजरात तथा छत्तीसगढ़ में केन्द्र द्वारा 2011-14 के दौरान स.शि.अ. तथा 2011-12 और 2013-14 के दौरान आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत कोई निधियां प्रदान नहीं की गई थीं।
- आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा सिक्किम में ज.जा.उ.यो. निधियों का केन्द्रीय अंश स.शि.अ., दो.भो., आर.एम.एस.ए., आई.सी.टी. तथा टी.ई.एम. के अंतर्गत क्रमशः 12 से 20 महीनों के बाद अंत में जारी किया गया था (अनुबंध 10(i))।

स्वा. एवं प.क. विभाग

- ज.एवं.क., केरल असम, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तथा सिक्किम राज्य में 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा एन.पी.सी.डी.सी.एस., एन.पी.एच.सी.ई., टीकाकरण, एफ.पी.एस.पी.

आई.पी. एवं एम.एस. के अंतर्गत कोई केन्द्रीय अंश जारी नहीं किया गया था
(अनुबंध 10(ii))।

3.8.3 राज्य सरकार द्वारा कम/निर्गम में विलम्ब

स्कू.शि. एवं सा. विभाग

- आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, ज.एवं.क., झारखण्ड, कर्नाटक, म.प्र. तथा मणिपुर में स.शि.अ., दो.भा., आर.एम.एस.ए., आई.सी.टी. तथा टी.ई.एस. के अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त निधियों के बराबर राज्य अंश जिलों को जारी नहीं किया गया था (अनुबंध 11(i))।
- आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बगांल तथा सिक्किम में योजना के अंतर्गत राज्य के अंश को क्रम जारी गया था तथा झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा तथा राजस्थान में राज्य अंशों को समय सीमा के भीतर जारी नहीं किया गया था (अनुबंध 11(ii))।

स्वा. एवं प.क. विभाग

- कर्नाटक, बिहार, असम, ज.एवं.क. तथा सिक्किम राज्य में एन.पी.सी.डी.सी.एस. एन.पी.एच.सी.आई., आई.एम.एस. तथा एफ.पी.एस. पी.आई.पी. के अंतर्गत कोई राज्य अंश जारी नहीं किया गया था (अनुबंध 12(i))।
- मध्य प्रदेश के पाँच जिलों⁵ में निधियों को जिलों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में जारी नहीं किया गया था। फिर भी, भारत सरकार द्वारा ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत जनजातीय योजना के अनुपात में ₹5.29 करोड़ कम निर्गम किया गया। (अनुबंध 12(ii))

⁵ धार, झाबुआ, छिन्दवारा, रतलाम तथा होशंगाबाद

3.8.4 ज.जा.उ.यो. निधियों का गैर/कम उपयोग

स्कू.शि. एवं सा. विभाग

- छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, गुजरात, ज.एवं क., मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा अण्डमान एवं निकोबार में निर्गम के प्रति विभिन्न योजनाओं में निधियों का कम उपयोग था (अनुबंध 13(i))।

स्वा. एवं प.क. विभाग

- मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, ज.एवं.क., ओडिशा, झारखण्ड तथा राजस्थान राज्यों में एन.पी.सी.डी.सी.एस., एन.पी.एच.सी.ई., एफ.पी.एस.पी.आई.पी., आई.एम.एस. तथा टीकाकरण योजनाओं में ज.जा.उ.यो. का कम उपयोग था (अनुबंध 13(ii))।

3.8.5 अन्य कमियाँ

स्वा. एवं प.क. विभाग

- मणिपुर राज्य में, ₹16.32 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधि का विपथन तथा ₹1.94 करोड़ की ज.जा.उ.यो. निधि का अनियमित आहरण पाया गया था (अनुबंध 14)।

अनुशंसाएं -

- मंत्रालय को ज.जा.उ.यो कार्यनीति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि इसके अंतर्गत सूचित किए गए व्यय को अ.ज.जा के लाभों के प्रवाह से जोड़े जाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके।
- मंत्रालय को लेखांकन प्रबंधनों को शुरू करना चाहिए ताकि ज.जा.उ.यो. निधियों का विपथित न होना सुनिश्चित किया जा सके।
- ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत आवृत्त योजनाओं के अबाधित कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर सभी घटकों के लिए मंत्रालय को निधियों का सामयिक निर्गम सुनिश्चित करना चाहिए।

मंत्रालय को अलग खाते के अनुरक्षण तथा राज्यों द्वारा ज.जा.उ.यो. निधियों के अलग उ.प्र. को तैयार/प्रस्तुत करने के लिए उचित निर्देश जारी करने चाहिए।

अध्याय-4

कार्यान्वयन

4.1 ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई योजना

योजना आयोग (2006) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ज.जा.उ.यो. को जनजाति मामला मंत्रालय द्वारा निरीक्षण तथा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में समर्पित इकाई के गठन द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

4.1.1 ज.जा.उ.यो. का उपयोग

जनजातीय उप-योजना का मूल उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों हेतु कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में विकास के लिए निधियों को चिन्हित करके परिव्ययों के प्रवाह को नियमित करना है। हालांकि, केन्द्रीय स्तर से निधियों को राज्य की त्रिभाजित शीर्ष सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा. के अंतर्गत तथा राज्यों द्वारा ज़िलों को जारी किया जाता था, यद्यपि प्रत्येक स्तर पर अलग से ऐसे व्यय के लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। बुनियादी स्तर पर, ज.जा.उ.यो. की निधियों को उचित रूप से चिन्हित नहीं किया गया था और अतः चिन्हित करने का अंतिम उद्देश्य, के पूरा होने के आश्वासन का निर्धारण का पता लगाना संभव नहीं था। यद्यपि, ज.जा.उ.यो. एक योजना आधारित कार्यनीति है, आवंटन या चिन्हित करने की प्रक्रिया जनजातीय विशेष योजनाओं पर आधारित नहीं थी।

इसे ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने ज.जा.उ.यो. निधियों के उपयोग के लिए अनुसरण की गई कार्यप्रणाली की जांच के लिए राज्यों के आदिवासी बहुल ज़िलों में दो क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा एवं स्वास्थ्य का चयन किया था। इन दो क्षेत्रों के अंतर्गत योजनाओं को भी ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों के आवंटन के आधार

पर चयन किया गया था। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. निधियों का आवंटन नीचे दिया गया है:

2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. की योजना-वार वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	अवधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत चिन्हित निधियां	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधियां
शिक्षा क्षेत्र				
सर्व शिक्षा अभियान	2011-12	61734.36	6518.23	2276.26
	2012-13	69875.30	7475.67	2632.90
	2013-14	49130.24	5265.57	2910.09
	कुल	180739.90	19259.47	7819.25
मध्यांतर आहार	2011-12	9901.91	1110.66	1087.49
	2012-13	10867.90	1277.26	1172.75
	2013-14	10927.21	1417.23	1339.82
	कुल	31697.02	3805.15	3600.06
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2011-12	2512.45	273.73	273.73
	2012-13	3172.63	342.81	342.81
	2013-14	3123.00	366.99	366.99
	कुल	8808.08	983.53	983.53
शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र प्रायोजित योजना का पुनर्गठन एवं पुनर्व्यवस्था	2011-12	500.00	उपलब्ध नहीं	57.88
	2012-13	500.00		76.62
	2013-14	500.00		60.46
	कुल	1500.00		194.96
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	2011-12	500.00		53.21
	2012-13	352.70		37.45
	2013-14	559.14		42.28
	कुल	1411.84		132.94
स्वास्थ्य क्षेत्र				
कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग तथा स्ट्रोक के नियंत्रण तथा निवारण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	2011-12	125.00	10.00	9.92
	2012-13	300.00	24.60	0.02
	2013-14	300.00	32.70	9.32
	कुल	725.00	67.3	19.26
वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	2011-12	75.00	0.00	Nil
	2012-13	150.00	12.30	4.82
	2013-14	50.00	5.45	0.30
	कुल	275.00	17.75	5.12
प्रतिरक्षण	2011-12	871.00	101.90	97.09
	2012-13	1605.00	171.51	116.65
	2013-14	1605.00	174.94	157.31
	कुल	4081.00	448.35	371.05

अवसंरचना रखरखाव	2011-12	4280.00	327.00	395.36
	2012-13	4928.00	527.64	625.43
	2013-14	4928.00	537.13	534.15
	कुल	14136.00	1391.77	1554.94
राज्य पी.आई.पी. हेतु लचीला पूल	2011-12	9890.00	1334.00	1334.00
	2012-13	10789.51	1155.21	1291.08
	2013-14	11111.01	1211.07	1267.54
	कुल	31790.52	3700.28	3892.62

कार्यान्वयन में कमियाँ

4.2 जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा निरीक्षण की कमी

योजना आयोग के दिशानिर्देशों ने निर्धारित किया कि जनजातीय मामला मंत्रालय (ज.जा.मा.मं) को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि जनजातीय मामला मंत्रालय न तो वार्षिक योजना अभ्यासों में और न ही ऐसे निरीक्षण के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देने के दिशानिर्देशों में शामिल था।

जनजातीय मामला मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि उसे किसी केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के वार्षिक योजना के निर्माण एवं अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा निरीक्षण भूमिका की अनुपस्थिति के कारण योजना आयोग के दिशानिर्देश केवल लिखित रूप में रहे जोकि नियंत्रण की स्पष्ट विफलता है।

4.3 मंत्रालय द्वारा समर्पित इकाई का विलंबित निर्माण एवं ज.जा.उ.यो. दिशानिर्देशों का नियमन

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 से ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग ने अनुशंसा की। दिशानिर्देशों के अनुसार, ज.जा.उ.यो. के निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल अभिकरण के रूप में प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में एक समर्पित इकाई को गठित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालयों/विभागों में नोडल इकाईयों के निर्माण में विलम्ब थे। ऐसे नोडल इकाईयों के निर्माण के क्रमानुसार विलंब नीचे दर्शाए गए हैं:

जून 2012	एक नोडल इकाई अर्थात् शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति (रा.मॉ.स.) को डेढ़ वर्षों के विलंब के पश्चात् गठित किया गया था।
जुलाई 2012	रा.मॉ.स. के गठन के अलावा, रा.मॉ.स. की सहायता हेतु स्थायी समिति तथा स्थाई समिति की सहायता हेतु छ: कार्य दलों को भी गठित किया गया था।
अप्रैल 2013	मंत्रालय में ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों की तैयारी का कार्य स्थायी समिति को सौंपा गया था जिसे रा.मॉ.स. की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया गया था।
अक्तूबर 2013	अनुशंसा के पश्चात् ढाई वर्षों के विलंब के पश्चात् मा.सं.वि.म. के सभी संबंधित विभागों को दिशानिर्देशों को परिचालित किया गया था। इसके कारण ज.जा.उ.यो. के वास्तविक कार्यान्वयन विलंबित हुआ था।
अक्तूबर 2013	मा.सं.वि.म. ने कार्यान्वयन पर दिशानिर्देशों को जारी किया तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कर दिया था। दिशानिर्देशों को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। उपरोक्त दिशानिर्देश का पैरा 2(iv) (ख) प्रदान करता है कि मा.सं.वि. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी संगठन अपने संबंधित संगठनों/कार्यक्रमों में ज.जा.उ.यो. कार्यान्वयन पर ध्यान देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के मामले में नोडल इकाई अथवा समिति अथवा परियोजना संस्वीकृति बोर्ड (प.सं.बो.) को नामिति करेंगे। यह इकाइयाँ/समितियाँ/प.सं.बो., अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास में अंतरण को अनुमानित करने के पश्चात् परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति से इन संगठनों/योजनाओं से संबंधित ज.जा.उ.यो. तैयार करेंगे।
दिसम्बर 2013	दिशानिर्देशों को जारी किए जाने के बाद यू.जी.सी. नोडल इकाई का निर्माण कर सकता था।

मई एवं जून नोडल इकाई के निर्माण के पश्चात मई एवं जून 2014 (5 महीनों 2014 के विलंब के पश्चात) में नोडल इकाई की केवल दो बैठकें संचालित की गयी थी।

अप्रैल 2014 यू.जी.सी. में ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन पर केवल ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को संस्कीर्ति हेतु मंत्रालय को प्रेषित किया गया था जोकि अभी तक प्रतीक्षित थी।

4.4 एन.पी.सी.डी.सी.एस. तथा एन.पी.एच.सी.ई. (योजना भाग को अंतरण) के अंतर्गत (सू.शि.सं.) मुख्य गतिविधियों का सृजन न किया जाना।

केंसर, डायबिटीज, हृदय रोग तथा स्ट्रोक के नियंत्रण एवं बचाव हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि केन्द्र सरकार समुदाय को खतरे के घटकों, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए तथा अन्य चैनलों, विभिन्न इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के बारे में सूचित करने के लिए स्ट्रोक समेत हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, केंसर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) तैयार करेंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान दोनों कार्यक्रमों में योजना प्रकोष्ठ द्वारा जनजातीय व्यक्ति के लाभ हेतु कोई सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियां नहीं हुई थीं।

4.5 चयनित योजनाओं के अंतर्गत राज्य विशिष्ट निष्कर्ष

जैसाकि इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 के पैरा 2.1.2 में उल्लिखित किया गया है लेखापरीक्षा ने जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित पांच मुख्य योजनाओं के कुछ प्रमुख घटकों का निरीक्षण किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ज.जा.उ.यो. निधियों को अन्य निधियों के साथ मिला दिया गया था तथा राज्य स्तर पर कोई अलगाव उपलब्ध नहीं था। चयनित योजनाओं की जांच के परिणामों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

4.5.1 शिक्षा

4.5.1.1 सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.)

2001-02 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.), भा.स. द्वारा अपना ध्यान उचित स्कूल अवसंरचना, कार्मिक, अकादमिक सहायता, वंचित सामाजिक वर्गों (अनुसूचित जनजाति समेत) पर केंद्रित करके, देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स.शि.अ. की शुरुआत की गई थी। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटकों को प्रदान करने के लिए भा.स. ने क्रमशः 2003 तथा अगस्त 2004 में स.शि.अ. को अतिरिक्त सहायता के रूप में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रा.स्त.ल.शि.रा.का.) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क.गां.बा.वि.) योजना की शुरुआत की थी।

4.5.1.1(i) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क.गां.बा.वि.) की स्थापना में कमियां

क.गां.बा.वि. दिशानिर्देशों के पैरा 2.1.1 तथा स.शि.अ. दिशानिर्देशों के पैरा 3.7.2.1 में प्रदत्त है कि मुख्य रूप से अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. आदि स्तर की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर रिहायशी स्कूलों को उन ब्लॉकों में स्थापित किया जाना चाहिए था, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता 46.13 प्रतिशत से कम थी।

लेखापरीक्षा ने क.गां.बा.वि. की स्थापना/निर्माण में कमियां पायी थीं। महाराष्ट्र जम्मू एवं कश्मीर तथा गुजरात में, इन स्कूलों को किराएं पर ली गई इमारतों में चलाया जा रहा था तथा छात्रावास जैसी सुविधाएं तथा शौचालयों, कम्पाउंड की दीवारों, खेल के मैदानों जैसी आवश्यक अवसंरचना को प्रदान नहीं किया गया था। इन राज्यों में पाई गई कमियों का विवरण आगे अनुबंध -15 में दिया गया है।



चित्र-1: पशुशाला के रूप में उपयोग में लाई जा रही क.गां.बा.वि. की इमारत (निर्माणाधीन) (दुंगी), राजौरी, ज. एवं क.



चित्र-1: पशुशाला के रूप में उपयोग में लाई जा रही क.गां.बा.वि. की इमारत (निर्माणाधीन) (दुंगी), राजौरी, ज. एवं क.



चित्र-3: क.गां.बा.वि., खंगेला, दाहोद, गुजरात के परिसर के भीतर अवैध रूप से निर्मित निजी घर

4.5.1.1(ii) 'बालिकाओं के लिए मॉडल क्लस्टर स्कूल' की स्थापना तथा तथा कार्यान्वयन न किया जाना

प्रा.स्त.बा.शि.रा.का. दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि जहाँ पर अ.जा./अ.ज.जा. महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है तथा अ.ज.जा. जनसंख्या (जनगणना 2001) के कम से कम 5 प्रतिशत वाले ब्लॉकों में राज्य सरकार द्वारा 'बालिकाओं हेतु मॉडल क्लस्टर स्कूल' की स्थापना की जानी है। लेखापरीक्षा ने सात राज्यों में कमियां पाई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- महाराष्ट्र में, मार्च 2011 के पश्चात् 18 जिलों में कोई बा.मॉ.क्ल.वि. नहीं खोला गया था।
- गुजरात में, प्रा.स्त.बा.शि.रा.का. के अंतर्गत कोई बा.मॉ.क्ल.वि. नहीं खोला गया था। हालांकि, प्रा.स्त.बा.शि.रा.का. के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों को मौजूदा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बालिका विद्यार्थियों के लाभ के लिए उपयोग में लाया गया था।
- असम में, 2012-13 तक कार्बी अंगलांग जिले में 14 बा.मॉ.क्ल.वि. स्थापित किए गए थे जो कि अतिरिक्त निधियों को आवंटित न किए जाने के कारण गैर-क्रियात्मक रहे थे।
- आनंद प्रदेश में, 2013-14 से भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण ‘प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रा.स्त.बा.शि.रा.का.)’ बंद कर दिया गया था। इसके पश्चात् आनंद प्रदेश में स्थापित बालिकाओं हेतु मॉडल क्लस्टर स्कूलों को 2013-14 से बंद कर दिया गया था।
- जम्मू एवं कश्मीर में, 3 जिलों (रिआसी, पुंछ एवं अनन्तनाग) में 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राज्य सरकार से प्रा.स्त.बा.शि.रा.का. के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई थीं।
- झारखण्ड में, भा.स. से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण 2013-14 के दौरान 2961 बा.मॉ.क्ल.वि. के माध्यम से कुल 210 ब्लॉक आवृत किए गए थे, जिन्हें भा.स. से निधियां प्राप्त न होने के कारण 2013-14 से बन्द कर दिया गया था।
- राजस्थान में, 4 चयनित जिलों के 9 ब्लॉकों में 709 बा.मॉ.क्ल.वि. खोले गए थे जिसमें से 107 केवल बालिकाओं के लिए थे।
- दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लड़कों के लिए बा.मॉ.क्ल.वि. भी स्थापित किए गए थे।
- 2011-12 के दौरान भा.स. से कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

इस प्रकार, बा.मॉ.क्ल.वि. की स्थापना न किए जाने तथा गैर-कार्यात्मक बा.मॉ.क्ल.वि. के कारण, अ.ज.जा. जनसंख्या योजना के अंतर्गत लक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका था।

4.5.1.1(iii) मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की कमी

स.शि.अ. दिशानिर्देशों में प्रदत्त है कि मूलभूत अवसंरचना जैसे शौचालय एवं पेयजल सुविधाएं, बाड़ लगाना/चारदीवारी तथा अन्य स्कूली अवसंरचना को प्रदान किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों जहाँ अ.ज.जा. जनसंख्या काफी अधिक थी वहाँ पर उपलब्धता एवं गुणवत्ता का पता लगाने की दृष्टि से स्कूली अवसंरचना की जांच शुरू की थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मणिपुर, ज. एवं क. तथा गुजरात में स्वच्छ पेय जल, चारदीवारी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की कमी थी। कमियों के विवरण अनुबंध-16 में दिए गए हैं।



चित्र-4: एम.सी.एस. (यू.पी.एस.) फतेहपुर, राजौरी, ज.एवं क. में विद्यार्थियों द्वारा पीने के लिए उपयोग में लाया गया अस्वच्छ पेय-जल



चित्र-5: चंदपुरी फलिया, दंतोल, पंचमहल, गुजरात के प्राथमिक विद्यालय की क्षतिग्रस्त परिसर की दीवार तथा लड़कियों का शौचालय



चित्र-6: उच्च प्राथमिकता विद्यालय, वरोली तलत, वलसाड ज़िले, गुजरात के क्षतिग्रस्त स्थिति में शौचालय ब्लॉक

4.5.1.1 (iv) स्कूल की वर्दी का संवितरण न किया जाना

स.शि.अ. दिशानिर्देशों में प्रदत्त है कि राज्य सरकारों को शिक्षा अधिकार अधिनियम या नियमावली में बालक की हकदारी के रूप में विद्यालय की वर्दी के लिए प्रावधान शामिल करना था तथा विद्यालय के बच्चों को उसका संवितरण सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ज. एवं क. असम तथा आनंद प्रदेश के राज्यों में मानदंडों के अनुसार विद्यालय की वर्दी को संवितरित नहीं किया गया था जिसका विवरण अनुबंध -17 में दिया गया है।

4.5.1.1(v) अ.ज.जा. विद्यार्थियों को पृथक रखने के मुद्दे

स.शि.अ. दिशानिर्देशों में प्रदत्त है कि स्थानीय वक्ताओं को कार्यरत करके स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करके अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को पृथक रखने के मुद्दे संबोधित किये जाने थे, जिससे स्थानीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री के विकास से बच्चों में अलगाव की भावना हटाना था; आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए गैर-आदिवासी शिक्षकों के लिए आदिवासी बोली के जान सहित विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अ.ज.जा. विद्यार्थियों की विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करने वाले अपेक्षित दिशानिर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया था, क्योंकि स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति में कमियां, स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की गैर-उपलब्धता आदि थी। यह कमियां मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीगढ़, गुजरात, असम, महाराष्ट्र एवं ज. एवं क. के राज्यों में पायी गयी थीं। विवरण अनुबंध-18 दिए गए हैं।

4.5.1.1(vi) शिक्षकों की कमी

वित्तीय प्रबंधन तथा स.शि.अ. के प्राप्ति पर नियमावली, प्रदान करती है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हर 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों के लिए कम से कम 2 शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक कक्ष के लिए 1 शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़, गुजरात एवं असम के राज्यों में शिक्षकों की कमी थी तथा परिणामस्वरूप विद्यार्थी गुणवत्ता शिक्षा से वंचित थे। राज्य विशिष्ट विवरण अनुबंध -19 में दिए गए हैं।

4.5.1.2 राष्ट्रीय मध्यांतर भोजन कार्यक्रम (रा.म.भो.का.)

रा.म.भो.का. मुख्य रूप से सुविधाहीन बच्चों के लिए शुरू किया गया था क्योंकि उससे स्कूलों में नामांकित तथा उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना अपेक्षित था। मध्यांतर भोजन योजना के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. अनुदान सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. के लिए अ.ज.जा. से संबंधित अ.ज.जा. जनसंख्या की शिक्षा से संबंधित जिला सूचना प्रणाली (शि.जि.सू.प्र.) प्रतिशतता पर अधारित थी।

4.5.1.2(i) वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (वा.का.यो.ब.) में कमियां

म.भो. दिशानिर्देश में प्रदत्त है कि प्रत्येक राज्य को ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरों पर एकत्रित तथा विद्यालय स्तर पर, अनुरक्षित सूचना के आधार पर वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो एवं ब.) तैयार करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ राज्यों में नमूना परीक्षित जिलों में स्कूलों/ब्लॉकों से एकत्रित डाटा के साथ न तो वार्षिक कार्य योजना बजट तैयार किया गया था और न ही अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए परियोजनाओं या कोई विशेष योजना थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	कमियां
1.	असम	<ul style="list-style-type: none"> स्कूल, ब्लॉक तथा जिला स्तर से डाटा एकत्रित किए बिना 2011-14 के दौरान वा.का.यो. एवं बजट तैयार किए गए थे। 8 नमूना परीक्षित जिलों में से 6 में वा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किया गया था।
2.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> 9 जिलों में 72 स्कूल तथा 18 तालुकाओं ने वा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किया था। ज.जा.उ.यो. के लिए कोई अलग कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।
3.	पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> निचले स्तर की इकाईयों से किसी इनपुट के बिना 2011-13 के लिए योजना तैयार की गई थी।
4.	जम्मू व कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> ब्लॉक एवं स्कूल स्तरों हेतु वा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किया गया था।

5.	बिहार	<ul style="list-style-type: none"> • 128 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 113 में वा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किए गए थे।
6.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> • 90 चयनित स्कूलों में वा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किया गया था।
7.	तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> • स्कूली स्तर पर कोई वा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किया गया था।
8.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> • स्कूल, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कोई वा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, योजना बनाने में पूर्ण दृष्टिकोण की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित किए जाने के बावजूद जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अलग से राज्य स्तर पर वा.का.यो. एवं ब. नहीं था। यह स्पष्ट रूप से योजना बनाने की प्रक्रिया में ज.जा.उ.यो. कार्यनीति के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर प्रकाश डालता है।

4.5.1.2(ii) रसोई सह गोदाम की अनुपस्थिति

मध्यांतर भोजन योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अवसंरचना, पक्की रसोई-सह-गोदाम, रसोई के उपकरण तथा स्वच्छ पेयजल हेतु प्रावधान था। हालांकि, चयनित स्कूलों की लेखापरीक्षा के दौरान मध्यांतर भोजन के ज.जा.उ.यो. घटक के अंतर्गत प्राप्त निधियों वाले आदिवासी जनसंख्या वाले 10 राज्यों/स.शा.क्षो. में रसोई शेड, रसोई के उपकरणों तथा स्वच्छ पेय जल से संबंधित कमियां पाई गई थीं। (अनुबन्ध-20)

रसोई शेडों, रसोई में पूर्ण अवसंरचना, रसोई के उपकरणों तथा पर्याप्त पेयजल की अनुपलब्धता के कारण बच्चों को स्वास्थ्य का खतरा था क्योंकि भोजन को खुली तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खुली जगह पर बनाया/बांटा जा रहा था।



चित्र-7: जी.एम.एस. कृष्णानल्ला, हतबे, अ. एवं
नि. द्वीपसमूह के रसोई घर में भोजन पकाने
का वातावरण



चित्र-8: जी.एम.एस., तमाल, कारनिकोबार, अ.
एवं नि. द्वीपसमूह में खुला रसोईघर

4.5.1.2 (iii) शिकायत निवारण तंत्र

म.भो. योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए।

सात राज्यों में शिकायत तंत्र को गैर-मौजूद/कमीपूर्ण पाया गया था जैसाकि विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	ज. एवं क., गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, एवं कर्नाटक	नमूना परीक्षित जिलों/स्कूलों में कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।
2.	पश्चिम बंगाल	नमूना परीक्षित 6 जिलों तथा 20 ब्लॉकों में से 4 जिलों में शिकायत रजिस्टर अनुरक्षित किया गया था।
3.	महाराष्ट्र	नमूना परीक्षित 115 स्कूलों में से 10 चयनित जिलों में 39 में शिकायत निवारण तंत्र नहीं था।

4.	मध्य प्रदेश	10 जिलों में 84 चयनित स्कूलों में से 48 स्कूलों में शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था।
5.	तमिलनाडु	9 जिलों में 192 चयनित स्कूलों में से केवल 55 में शिकायत निवारण तंत्र था। 130 स्कूलों में कोई तंत्र नहीं था।

4.5.1.2 (iv) खाद्यान्नों का कुप्रबंधन

मध्यांतर भोजन के अंतर्गत, भा.स. प्राथमिकता कक्षाओं (I-V) तथा उच्च प्राथमिकता कक्षाओं (VI-VIII) के लिए मुफ्त खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.भो. के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति, पकाने की लागत तथा निधियों के उपयोग को छत्तीसगढ़, असम, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के चयनित जिलों में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त एवं नियमित नहीं पाया गया था। कमियों का संक्षिप्त रूप से विवरण अनुबंध -21 में दिया गया है।

4.5.1.3 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)

भारत सरकार ने 11वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा शिक्षा तक पहुँच के सार्वभौमिकीकरण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) की शुरुआत की थी (जून 2009)। रा.मा.शि.अ. के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा को 14-18 वर्षों के आयु समूह के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की उपलब्धता, पहुँच तथा स्तर में उपलब्ध करवाया जाना है।

4.5.1.3(i) अनुचित अवसंरचना

रा.मा.शि.अ. दिशानिर्देश में प्रदत्त है कि रा.मा.शि.अ. के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्यों को प्रत्येक जिले के लिए अवसंरचना आवश्यकता के उचित आंकलन के साथ

शुरू किया जाना चाहिए था तथा शौचालयों, पेयजल, आदि समेत प्रत्येक स्कूल हेतु पर्याप्त अवसंरचना की आवश्कता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, ज. एवं क. तमिलनाडु एवं गुजरात के राज्यों में चयनित स्कूल अपूर्ण अवसंरचना के साथ कार्यान्वित थे, जिसके कारण बेहतर शिक्षण तथा सीखने के माहौल से वंचित था। राज्य विशिष्ट निष्कर्षों का अनुबंध-22 में विवरण दिए गए हैं।



चित्र-9: दोकमोक उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कर्बी -अंगलांग, असम-समापन की देय तिथि से 12 माह की चूक के पश्चात् भी इमारत पूरी नहीं हुई थी।



चित्र-10: शंकर देव मिशन माध्यमिक स्कूल, उदलगुड़ी, असम समापन की देय तिथि से लगभग नौ महीनों की चूक के पश्चात् भी इमारत पूरी नहीं हुई थी।



चित्र-11 सरकारी माध्यमिक स्कूल, रहदुनगरी, गुजरात - कक्षा IX के छात्रों द्वारा बरामदे के तल पर बैठकर पढ़ाई करना।

4.5.1.3 (ii) सामुदायिक गतिशीलता एवं अभिनव हस्तक्षेप

रा.मा.शि.अ. हेतु ढांचे में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. आदि के बच्चों को पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिकाएं तथा स्टेशनरी आदि; अनिवासी छात्रों को वर्दियां, जूते, साइकिल/व्हीलचेयर, बोर्डिंग एवं लॉजिंग सुविधा तथा वजीफा आदि जैसा हस्तक्षेप तथा संसाधन सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 13 राज्यों में अनुदानों की गैर-प्राप्ति, पाठ्यपुस्तकें, साइकिलें आदि प्रदान करने में अ.ज.जा. बच्चों को सहायता देने में कमी के मामले पाए थे। लेखापरीक्षा ने नामांकन डाटा के मेल न खाने, छात्रवृत्ति, बोर्डिंग लॉजिंग, वर्दियों आदि को प्रदान न किये जाने के मामले पाए थे जिसके विवरण अनुबंध-23 में दिए गए हैं।

4.5.1.3(iii) शिक्षकों के लिए रिहायशी आवासीय सुविधा का उपलब्ध न होना

रा.मा.शि.अ. दिशानिर्देशों में दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। विशिष्ट क्षेत्र के भीतर महिला शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए आवास के साथ रिहायशी कलस्टरों के रूप में मकानों का निर्माण किया जाना था।

त्रिपुरा में, एक रिहायशी स्कूल को छोड़कर, ग्रामीण एवं कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के लिए रिहायशी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आगे, यह भी

पाया गया कि महिला शिक्षकों के लिए स्कूलों की कोई भी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

गुजरात में, परियोजना संस्वीकृत बोर्ड (प.सं.बो.) ने जनजातीय क्षेत्रों में 25 सरकारी माध्यमिक स्कूलों⁶ के लिए 40 रिहायशी मकानों (₹6.00 लाख प्रति मकान) के लिए ₹2.40 करोड़ संस्वीकृति (जुलाई 2011) किए गए थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन मकानों को अगस्त 2014 तक निर्मित नहीं किया गया था, क्योंकि मकानों के लिए स्थल का चयन नहीं किया गया था तथा जनजातीय क्षेत्रों के शिक्षक प.सं.बो. द्वारा संस्वीकृति के तीन वर्षों से अधिक की चूक के पश्चात भी आवासीय सुविधाओं से वंचित थे।

4.5.1.4 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (शि.प्र.सं.) का सशक्तिकरण

शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 (शि.रा.नी.) के निर्माण के अनुवर्ती में 1987 में शुरू किया गया था। योजना को शिक्षक शिक्षा प्रणाली हेतु असाधारण चुनौतियों को पूरा करने के लिए XII योजना में संशोधित किया गया था।

4.5.1.4(i) शिक्षा हेतु अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना न किया जाना

रा.शि.अ.प्र.प. की संरचना में अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हेतु शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी थी। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पश्चिम बंगाल एवं केरल में ऐसा कोई प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया था। उसी प्रकार, अ.जा./अ.ज.जा अधिकार समूहों से नामांकित सदस्यों के साथ रा.शि.अ.प्र.प. में कार्यक्रम सलाहकारी समिति होनी चाहिए थी। रा.शि.अ.प्र.प. में ऐसी समिति भी स्थापित नहीं की गई थी।

⁶ बनसंकठा (तीन), दाहोद (दो), सूरत (चार), बडोदरा (तीन) एवं वलसाड (13)

4.5.1.4 (ii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.) की स्थापना न किया जाना

शि.प्र.सं. दिशानिर्देशों के अनुसार, शिक्षक व्यवसायी विकास हेतु जिला स्तर पर शिक्षा के विकेन्द्रीकरण में सहायता तथा प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार, मानव संसाधन विकास द्वारा जि.शि.प्र.सं. को सृजित किया गया था। विकेन्द्रीकरण के महत्वपूर्ण स्तर अर्थात् जिला पर जि.शि.प्र.सं. स्थित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित पांच राज्यों में कुछ जि.शि.प्र.सं. ठीक से कार्यान्वित नहीं थी जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिलों की संख्या	संस्वीकृत जि.शि.प्र.सं. की संख्या	कार्यात्मक जि.शि.प्र.सं. की संख्या	असंस्वीकृत गैर-कार्यात्मक जि.शि.प्र.सं. की संख्या
1.	असम	27	23	18	9
2.	झारखण्ड	22	22	19	3
3.	नागालैण्ड	08	08	06	2
4.	राजस्थान	33	32	32	1
5.	पश्चिम बंगाल	18	18	16	2
कुल					17

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 5 राज्यों में 17 जि.शि.प्र.सं. या तो संस्वीकृत नहीं थे या गैर-कार्यात्मक थे।

अभिलेखों की जांच से महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में जि.शि.प्र.सं. की स्थापना न किए जाने के मामले सामने आए। विशिष्ट निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

महाराष्ट्र में, स्थल की उपलब्धता न होने के कारण मुम्बई को छोड़कर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.) स्थापित किए गए थे।

तमिलनाडु में, 32 जिलों के प्रति, 29 जिलों में जि.शि.प्र.सं. स्थापित किए गए थे। यह पाया गया कि चयनित जिलों में जि.शि.प्र.सं. में प्रशिक्षित शिक्षकों का

समुदाय-वार डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा इसलिए लेखापरीक्षा इस कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित अ.ज.जा. शिक्षकों की संख्या का पता नहीं लगा पाया था।

परिणामस्वरूप, शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका था तथा शिक्षकों की स्थिति तथा व्यवसायी क्षमता में सुधार का उद्देश्य विफल हुआ था।

4.5.1.4 (iii) जि.शि.प्र.सं. का कम निष्पादन

लेखापरीक्षा ने पाया कि ज. एवं क. में, न तो पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध थी (जि.शि.प्र.सं. लेह को छोड़कर) और न ही, राजौरी तथा पुंछ जिलों में पूर्ण स्टाफ की उपलब्धता के बावजूद नमूना परीक्षित जिलों में जि.शि.प्र.सं. में । से VIII कक्षा हेतु विकसित पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम शि.के.अ. 2009 के अनुसार थीं तथा न ही उपरोक्त गतिविधियों अर्थात् जि.शि.के.अ. में नव नियुक्त शिक्षकों तथा प्रधान अध्यापक का प्रशिक्षण प्रशिक्षाणार्थियों के लिए प्रशिक्षण, सामग्री विकसित करना, जि.शि.प्र.सं. लेक्चररों की प्रवीणता विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित करना को संचालित किया गया था। जि.शि.प्र.सं. राजौरी तथा रआसी प्रधानाचार्य ने चूक के कारण निधियों की अनुपलब्धता तथा वर्ष के अंत में निधियों का निर्गम बताए। जि.शि.प्र.सं. पुंछ के प्राधानाचार्य ने चूक के कारण छात्रावास सुविधा तथा कम्प्यूटर कक्ष की अनुपस्थिति बताया और स्वीकार किया कि भविष्य में इन गतिविधियों को संचालित करने के प्रयास किए जाएंगे।

बिहार में, 10 चयनित जिलों में यह पाया गया था कि कैमूर तथा बांका में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। 2011-13 के दौरान तीन से सात शिक्षकों की कमी थी।

जि.शि.प्र.सं., पूर्णियाँ में, नवम्बर 2013 तक रा.शि.शि.प. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था जिसके कारण अवधि के दौरान विद्यार्थियों को नामांकित नहीं किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश में, 2 जि.शि.प्र.सं.⁷ (सात नमूनों में से) कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा कार्यालय हेतु इमारतों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं अच्छी हालात में नहीं थी, तथा कुछ इमारतों के पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता थी इसके अतिरिक्त, शिक्षक स्टाफ के पद भी रिक्त पड़े हुए थे।

राजस्थान में, 2012-13 तक 32 जि.शि.प्र.सं. संचालन में थे परंतु 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई राज्य अंश जारी नहीं किया गया था क्योंकि जि.शि.प्र.सं. हेतु केन्द्र सरकार/शिक्षक शिक्षा के ब्लॉक संस्थान (शि.शि.ब्लॉ.सं.) द्वारा 100 प्रति शत केन्द्रीय सहायता योजना (के.स.यो.) प्रदान की गई थी।

4.5.1.4 (iv) नव नियुक्त शिक्षकों एवं मुख्य शिक्षक का प्रशिक्षण

जि.शि.प्र.सं. में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण अधिदेश है। लेखापरीक्षा ने इस संदर्भ में कमियाँ पायी जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
1.	पश्चिम बंगाल	2011-14 के दौरान, प्रशिक्षण पांच ⁸ नमूना परीक्षित जि.शि.प्र.सं. में किसी में भी नव नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	तीन जिलों (0-100 प्रतिशत), रिआसी (100 प्रति शत) अनंतनाग (43 से 50 प्रतिशत), लेह (65 से 70 प्रतिशत) में अ.ज.जा शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी पाई गयी थी। न तो पुंछ एवं राजौरी जिले में उपलब्ध अ.ज.जा. शिक्षकों की कुल संख्या दर्शाते हुए डाटा था और न ही जि.शि.प्र.सं. में प्रशिक्षित अ.ज.जा. शिक्षकों की संख्या के बारे में विशेष डाटा जि.शि.प्र.सं. पुंछ एवं राजौरी में अनुरक्षित किया गया था।

⁷ वारंगल एवं नेल्लौर

⁸ बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बंकुश एवं जलपाईगुड़ी

3.	मध्य प्रदेश	10 चयनित आदिवासी बहुल जिलों में, 12050 अ.ज.जा. शिक्षकों में से, 8025 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
4.	आनंद प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा निधियों के निर्गम न किए जाने के कारण सात नमूना जिलों में किसी भी जि.शि.प्र.सं. में नव नियुक्त शिक्षकों एवं मुख्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया गया था।
5.	राजस्थान	2011-12 से 2013-14 के दौरान नौ चयनित जि.शि.प्र.सं. में प्रशिक्षण हेतु चयनित 15833 अ.ज.जा. शिक्षकों के प्रति केवल 8154 अ.ज.जा. शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था।
6.	अण्डमान एवं निकोबार	2012-13 में अ.ज.जा. शिक्षकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

4.5.1.4(v) शिक्षकों की शिक्षा के ब्लॉक संस्थान (शि.शि.ब्लॉ.सं.) की स्थापना न किया जाना

शि.प्र.सं. दिशानिर्देशों के अनुसार, 196 शिक्षकों की शिक्षा के ब्लॉक संस्थान (शि.शि.ब्लॉ.सं.) स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ऐसा एक संस्थान 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (अ.ब.जि.) के प्रत्येक ब्लॉक में तथा अ.ज.जा/अ.ज.जा. बहुल जिलों जि.शि.प्र.सं. संस्वीकृत ब्लॉक को छोड़कर अन्य ब्लॉक), जिसके लिए केन्द्र की सहायता प्रदान की जाएगी। शि.शि.ब्लॉ.सं. एक पूर्व-सेवा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान होगा।

आठ राज्यों के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित को दर्शाया:

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
1.	जम्मू एवं कश्मीर	अ.जा./अ.ज.जा. बहुल ब्लॉकों में कोई शि.शि.ब्लॉ.सं. स्थापित नहीं हुए।
2.	केरल	यद्यपि, वायनाद जिले में शि.शि.ब्लॉ.सं. की स्थापना हेतु जून 2013 में राज्य सरकार ने ₹31.00 लाख जारी किए थे। परंतु उसे स्थापित नहीं किया गया था।

3.	महाराष्ट्र	भा.स. ने 2011-12 में राज्य अर्थात् खामगांव, बसमत, नवपुर गंगाखेड़ तथा मंगरूलपुरि में पांच शि.शि.ब्लॉ.सं. संस्थीकृत किए थे। राज्य सरकार ने 2012-13 में खामगांव तथा 2013-14 में मंगरूलपुरि में शि.शि.ब्लॉ.सं. की स्थापना हेतु भूमि को चिन्हित एवं आवंटित की थी। हालांकि, 2013-14 तक शि.शि.ब्लॉ.सं. का अभी तक कार्यात्मक किया जाना था।
4.	मध्य प्रदेश	कोई शि.शि.ब्लॉ.सं. स्थापित नहीं किया गया था।
5.	राजस्थान	
6.	तमिलनाडु	
7.	असम	असम में 14 जल्दों ⁹ को ब्लॉक स्तर पर शि.शि.ब्लॉ.सं. की स्थापना हेतु अल्पसंख्यक/अ.ज.जा. बहुत क्षेत्रों को पहचाना गया था। परंतु इन जिलों में किसी में भी कोई शि.शि. ब्लॉ.सं. स्थापित नहीं किया गया था।
8.	बिहार	सभी 10 नमूना परीक्षित जिलों में से किसी में भी मार्च 2014 तक कोई शि.शि.ब्लॉ.सं. स्थापित नहीं गई थी।

4.5.1.5 स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.)

शैक्षिक प्रौद्योगिकी (शै.प्रौ.) की योजना को 1972 में शुरू किया गया था। जुलाई, 1998 में प्रधानमंत्री द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास (सू.प्रौ.सॉ.वि.) पर राष्ट्रीय कार्य बल ने स्कूलों समेत शिक्षा क्षेत्र में सू.प्रौ. के समावेश पर विशिष्ट अनुशंसाएं की थीं ताकि विद्यार्थी कम्प्यूटर योजना, शिक्षक कम्प्यूटर योजना तथा स्कूल कम्प्यूटर योजनाओं के माध्यम से कम्प्यूटरों तक पहुँच हो सके।

⁹ बरपेता, बोगांडगांव, कचर, डरांग, धुबरी, गोलपारा, हेलाकंडी, कर्बी अंगलांग, करीमगंज, कोकरझार, मोरीगांव, नागांव, कामरूप, एन.सी. हिल्स

4.5.1.5(i) सू.सं.प्रौ. योजना का कार्यान्वयन न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 2011-14 के दौरान काफी अधिक अ.ज.जा. की उपस्थिति वाले नमूना परीक्षित जिलों में योजना के गैर-कार्यान्वयन के मामले पाए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- क **अण्डमान एवं निकोबार में**, 2012-13 के दौरान मा.सं.वि.मं. ने स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करने के लिए अं. एवं नि. प्रशासन को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत ₹5.38 लाख संस्वीकृत किए थे। परन्तु राशि का उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि प्रशासन को मा.सं.वि.मं. से प्राधिकरण पत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी।
- ख **गुजरात में**, नमूना परीक्षित जिलों के 96 रा.मा.शि.अ. स्कूलों में केवल 34 रा.मा.शि.अ. स्कूल सू.सं.प्रौ. के अंतर्गत आवृत्त थे।
- ग **असम में**, 33 चयनित स्कूलों¹⁰ में से 32 के अभिलेख नमूना परीक्षित किए गए थे। सू.सं.प्रौ. योजना इन 32 स्कूलों में से केवल 12 में कार्यान्वित की गई थी।
- घ **तमिलनाडु में**, ज.जा.उ.यो. निधि की राशि ₹15.05 करोड़ (भा.स. अंश ₹11.29 करोड़ जमा राज्य अंश ₹3.76 करोड़) तक की राशि यद्यपि 2011-12 के दौरान संस्वीकृत की गई थी, परंतु नवम्बर 2014 तक व्यर्थ पड़ी हुई थी।

योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण जनजातीय जिलों के विद्यार्थी कम्प्यूटर शिक्षा के लाभ से वंचित रहे।

¹⁰ 16 माध्यमिक स्कूल एवं 16 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, एक स्कूल ने अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए थे।

4.5.1.5(ii) स्मार्ट स्कूल की स्थापना न किया जाना।

दिशानिर्देश के अनुसार, मौजूदा राज्य सरकार स्कूलों में से एक में बदलाव करके एक स्मार्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी तथा आस-पड़ोस के स्कूलों में भी संसाधन एवं अवसंरचना को बांटा जाएगा। स्मार्ट स्कूल की स्थापना के लिए 40 कम्प्यूटरों के साथ अन्य सामान को योजना के अंतर्गत चयनित स्कूल को प्रदान किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों अर्थात् त्रिपुरा, असम, गुजरात, आनंद प्रदेश तमिलनाडु एवं कर्नाटक में नमूना परीक्षित जिलों में किसी में भी स्मार्ट स्कूल की स्थापना नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया की भा.स., मा.सं.वि.मं. ने महाराष्ट्र के लिए स्मार्ट स्कूल संस्वीकृत नहीं किया था, तथा राजस्थान के मामले यद्यपि शिक्षा निदेशालय ने भा.स. को फरवरी एवं नवम्बर 2011 में सात स्मार्ट स्कूलों को स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मा.सं.वि.मं. ने कोई स्मार्ट स्कूल संस्वीकृत नहीं किया था।

इस प्रकार, वांछित सुविधा को सृजित नहीं किया जा सका तथा जनजातीय जिलों के विद्यार्थियों द्वारा लाभ नहीं उठाए जा सके थे।

4.5.1.5(iii) अवसंरचना का विकास न होना

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को बाह्य उपकरणों के साथ सर्वर के माध्यम से जोड़े गए 10 पी.सी. या 10 नोड्स प्रदान किए जाएंगे। योजना में ब्रोडबैंड कनेक्टीविटी, अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति वाले स्कूलों में जनरेटरों, औसतन 10 अध्यापकों को प्रेरण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाना प्रदत्त था।

लेखापरीक्षा ने चार राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान एवं असम में स.सं.प्रौ. अवसंरचना विकास में कमियां पायी गयी थी। राज्य विशिष्ट निष्कर्षों का विवरण अनुबंध 24 में दिया गया है।

4.5.1.5 (iv) प्रेरण एवं पुनर्चर्या प्रशिक्षण न दिया जाना

दिशानिर्देशों के अनुसार, सू.सं.प्रौ. में प्रथम बार का प्रेरण प्रशिक्षण 10 दिनों (प्रति दिन 8 घंटे) की अवधि के लिए संस्वीकृत स्कूलों में सभी अध्यापकों को प्रदान किया जाना चाहिए था।

अध्यापन में सू.सं.प्रौ. के उपयोग पर प्रेरण प्रशिक्षण संस्वीकृत स्कूलों के सभी अध्यापकों को प्रति वर्ष 5 दिनों (प्रतिदिन 8 घंटे) के लिए प्रदान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम एवं राजस्थान में अनुबंध 25 में दिए गए विवरणों के अनुसार योजना के अंतर्गत अपेक्षित रूप से प्रेरण/पुनर्चर्या प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अ.ज.जा. के विद्यार्थी सू.सं.प्रौ. ज्ञान में वंचित रहे थे। इसके अतिरिक्त, उचित पुनर्चर्या प्रशिक्षण की अनुपस्थिति से सू.सं.प्रौ. शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी।

4.5.2 स्वास्थ्य

4.5.3 4.5.2.1 कैंसर, डायबिटीज, हृदयरोग तथा दौरे से बचाव एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.)

एन.पी.सी.डी.सी.एस. को भा.स., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.का.म.) द्वारा जैसे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग तथा दौरे जैसी असंक्रामक रोगों के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई थी, जोकि मानव जीवन के संभावित उत्पादक वर्षों को कम करने वाले मुख्य कारक हैं, जिनके कारण अत्यधिक आर्थिक हानि होती थी। 2011-14 के दौरान, 21 राज्यों में 100 चिन्हित जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवृत्त किया गया था।

4.5.2.1(i) व्यवहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन की गतिविधियों को संचालित न किया जाना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में यह प्रदत्त है कि संचार मीडिया, सामुदायिक शिक्षा तथा पारस्परिक संपर्क, सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) के माध्यम से सामान्य जागरूकता सृजित की जाए ताकि समुदाय को जोखिम के बारे में अवगत कराया जा सके, स्वरूप जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाना आदि को राज्यों में प्रचारित किया जाए।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि जनता में जागरूकता सृजन हेतु मध्य प्रदेश (2011-12), झारखण्ड, पश्चिम बंगाल (जलपाईगुड़ी जिला), सिक्किम (2011-13), जम्मू एवं कश्मीर (2011-12), बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ (2011-12) में सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) अभियानों को आयोजित नहीं किया गया था।
- मध्य प्रदेश (छिंदवाड़ा जिलों को छोड़कर), सिक्किम, ओडिशा (2011-14) कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर (लेह: 2011-14) एवं कार्गिल: 2011-12) तथा छत्तीसगढ़ (2011-12) में लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई कैम्प आयोजित नहीं किए गए थे तथा ना ही संचार मीडिया एवं सामुदायिक शिक्षा का संचालन किया गया था।

4.5.2.1(ii) शीघ्र निदान हेतु लोगों की जांच न किया जाना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, पुरानी असंक्रात्मक रोगों के शीघ्र निदान हेतु कार्यनीति में किसी भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, चाहे वो गांव, सा.स्वा.के., जिला अस्पताल, तृतीयक देखभाल अस्पताल आदि के साथ प्राथमिकतः संपर्क पर 30 वर्षों से अधिक आयु के लोगों की परिस्थितिजन्य जांच शामिल है ताकि उन लोगों को पहचाना जा सके जिनमें डायबिटीज तथा हृदयरोग विकसित होने का अधिक जोखिम है, के संबंध में आगे की जांच/कार्रवाई की गारंटी प्रदान करता है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश (धार एवं रतलाम जिला), झारखण्ड, महाराष्ट्र (2011-12) एवं छत्तीसगढ़ (2011-13) में, स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा सामान्य अ.सं.रो. के विकसित होने के अधिक जोखिम वाले व्यक्तियों की जांच को संचालित नहीं किया था।

4.5.2.1(iii) उपचार सुविधाएं प्रदान न किया जाना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में “अ.सं.रो. क्लीनिक” स्थापित करने तथा जिला अ.सं.रो. क्लीनिक में जांच सुविधाओं की उपलब्धता तथा कुछ प्रयोगशाला जांचें (मेमोग्राफी, एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउंड) जोकि जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, को बाहर से करवाने का विकल्प प्रदान किया गया है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल (नमूना परीक्षित सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के.) में, आन्ध्र प्रदेश एवं असम में कैसर के रोगों की विस्तृत जांच हेतु परीक्षण/टेस्ट जिला अ.सं.रो. क्लीनिक पर उपलब्ध नहीं थे।
- मध्य प्रदेश (धार एवं रतलाम जिलों) तथा आन्ध्र प्रदेश में, परीक्षण/टेस्ट की अनुपलब्ध सुविधाओं को बाहर से नहीं करवाया गया था।
- बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश एवं असम में, गंभीर रोगियों को घर पर उपचारात्मक देखभाल प्रदान नहीं की गई थी।
- कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में गंभीर रोगियों के लिए कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

4.5.2.1(iv) प्रशिक्षण गतिविधियों में कमी

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में जैसा कि परिकल्पित है कि, केन्द्रीय अ.सं.रो. प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया था। राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रशिक्षण को आयोजित तथा प्रदान करने की क्षमता के साथ मास्टर प्रशिक्षकों का पूल तैयार किया जाना था। प्रशिक्षुओं के पत्येक श्रेणी के

लिए प्रशिक्षण किटों के मूल रूप केन्द्रीय अ.सं.रो. प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाना था। राज्य स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर तैनात मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण का कार्यक्रम मानव संसाधनों के क्षमता निर्माण हेतु तैयार किया जाना था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग), महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं असम, राज्यों में पर्याप्त मास्टर प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं थे।
- मध्य प्रदेश एवं सिक्किम में, प्रशिक्षण कैलेण्डर तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार नहीं किए गए थे।
- मध्य प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक में प्रशिक्षण किटें उपलब्ध नहीं थीं।

लेखापरीक्षा में पायी गई अन्य कमियों/खामियों को अनुबंध 26 में दिया गया है।

4.5.2.1(v) तृतीयक कैंसर केन्द्रों (तृ.कै.के.) की स्थापना न किया जाना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में परिकल्पित किया गया है कि राज्य सरकार को तृ.कै.के. योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/जिला अस्पताल/सरकारी संस्थान को चिन्हित करना था। केन्द्रीय एवं राज्य अंश 80:20 के साथ प्रत्येक केन्द्र एक-बार अधिकतम ₹6.00 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए पात्र था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने तृतीयक कैंसर केन्द्र के रूप में कोई अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान चिन्हित नहीं किया था।
- सिक्किम में, 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण गतिविधियों/उपकरणों के प्राप्ति हेतु तृ.कै.के. के अंतर्गत भा.स. ने ₹480 लाख संस्वीकृत किए थे। स.थो.ना.मे. अस्पताल को निधियां जारी की जानी थीं। हालांकि, रा.स्वा.सो. अ.सं.रो. ने न तो स.थो.ना.मे. अस्पताल को निधियां अंतरित की थीं और न ही उपकरण के प्राप्ति हेतु कोई कार्रवाई

की थी। परिणामस्वरूप, 2012-13 से सोसायटी के खाते में निधियां पड़ी हुई थीं।

4.5.2.2 वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.)

एन.पी.एच.सी.ई. को भा.स., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.मं.) द्वारा बाह्य सेवाओं समेत राज्य स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को अलग एवं व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया था। निवारक एवं प्रोत्साहक देखभाल, बीमारी में देखभाल करना, वृद्धावस्था सेवाओं हेतु स्वास्थ्य श्रमशक्ति विकास, चिकित्सा पुर्नस्थापना एवं उपचारात्मक उपायों तथा सू.शि.सं., एन.पी.एच.सी.ई. में परिकल्पित कुछ कार्यनीतियां हैं।

4.5.2.2(i) सू.शि.सं. तथा पत्र पत्रिकाओं की गतिविधियों को संचालित न करना

परिचालनात्मक दिशानिर्देश के अनुसार, अ.सं.रो. प्रकोष्ठ वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल पर प्रोटोटाइप सू.शि.सं. सामग्री तैयार करेगा ताकि समुदाय को देखभाल, स्वास्थ्य जीवन शैली आदि के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

योजना राज्य अ.सं.रो. प्रकोष्ठ द्वारा संयोजित कैंपों समेत संचार के विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक जागरूकता भी प्रदान करती है, ताकि वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन आदि के बारे में जनता को जागरूक बनाया जा सके।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश (2011-2013 के दौरान), सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर-कारगिल जिला (2011-12), बिहार, कर्नाटक महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के नमूना परीक्षित जिलों में जनता की जागरूकता हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) अभियान संयोजित नहीं किए गए थे।
- मध्य प्रदेश (2011-13), महाराष्ट्र, झारखण्ड, सिक्किम, असम, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर (कारगिल जिला 2011-13) तथा (लेह जिला 2011-14),

कर्नाटक, बिहार एवं छत्तीसगढ़ में कोई कैम्प संयोजित नहीं किए गए थे तथा जनता को शिक्षित करने के लिए कोई प्रचार मीडिया तथा पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से सामुदायिक, शिक्षा संचालित नहीं की गई थी।

अनुबंध 27 में विवरणों के अनुसार हमने चिकित्सकीय सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप के उपयोग (मध्य प्रदेश), भा.स. से प्रचार सामग्री के प्राप्त न होने (सिक्किम) जैसी राज्य विशिष्ट कमियां भी पाई थीं।

4.5.2.2 (ii) कोई स्वास्थ्य सेवा प्रदान न किया जाना

परिचालनात्मक दिशानिर्देश में प्रदत्त है कि केन्द्रीय अ.सं.रो. प्रकोष्ठ, एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत सशक्तिकृत एवं समर्थित 8 क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्रों को सहायता प्रदान एवं कार्यान्वयन को मॉनीटर करेंगे।

दिशानिर्देशों में वृद्ध व्यक्तियों को जि.अ., सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उ.स्वा.के. स्तरों पर अतिरिक्त वार्ड, क्लीनिक, नैदानिक सुविधा, निवास के दौरां, मानव संसाधन, मशीनरी तथा उपकरण, उपयोग्य वस्तुओं तथा दवाईयों आदि द्वारा समर्पित सुविधाएं/सेवाएं प्रदान करना तथा प्रत्येक जि.अ. में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए दस-बिस्तर वाला वृद्धों का वार्ड स्थापित किया जाना था तथा प्रत्येक जि.अ., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अलग वृद्धों का क्लीनिक स्थापित किया जाना था।

प्रा.स्वा.उ.के./प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. स्तर पर ग्राम स्तर पर सभी वृद्धों की वार्षिक जांच को आयोजित किया जाना चाहिए तथा रा.स्वा.सो. के द्वारा विकिसित वृद्धों के लिए मानक स्वास्थ्य कार्ड में सूचना अद्यतित की जानी चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों के लिए सहायक सामग्री जैसे कि चलने की छड़ी, कैलिपर, इंफ्रारेड लैम्प, भार चक्र, पुली, वॉकर आदि को उप-केन्द्र स्तर पर उपलब्ध करवाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- असम एवं मध्य प्रदेश (धार ज़िला) में, वृद्ध व्यक्तियों को नियमित समर्पित बा.रो.वि. सेवाएं प्रदान करने के लिए ज़िला अस्पताल में कोई वृद्ध क्लीनिक स्थापित नहीं किया गया था।
- कर्नाटक में, किसी भी उ.के./प्रा.स्वा.के. में उपकरण तथा सहायक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। पश्चिम बंगाल के केन्द्रों में केवल नेब्यूलाइज़र उपलब्ध था।
- मध्य प्रदेश (सभी नौ सा.स्वा.के., नमूना परीक्षित सा.स्वा.के., 16 प्रा.स्वा.के. में से 14 प्रा.स्वा.के. एवं 34 उ.स्वा.के. में से 28 उ.स्वा.के.), पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में नमूना परीक्षित ज़िलों में घर पर रहने वाले/बिस्तर पर पड़े रहने वाले/बिस्तर पर पड़े हुए वृद्ध व्यक्तियों को प्रशामक देखभाल प्रदान नहीं की गई थी।
- कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश (सा.स्वा.के.), असम (ज़िला एवं सा.स्वा.के.) में वृद्धों हेतु वार्षिक जांच अथवा साधारण जांच को संचालित नहीं किया गया था।

हमने राज्य विशिष्ट कमियां भी पायी जो कि अनुबंध 28 में दिए विवरण के अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य हस्तक्षेप सिक्किम, आनंद प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं झारखण्ड में उपलब्ध नहीं थी।

4.5.2.2 (iii) प्रशिक्षण गतिविधियों में कमियां

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न सुविधाओं के कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर एवं योजना तैयार की जाएगी, जिसमें राज्य अ.सं.वि. प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान, अवधि, विस्तृत पाठ्यक्रम आदि का वर्णन किया जाएगा। केन्द्रीय अ.सं.रो. प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए प्रशिक्षण किटों का मूल रूप तैयार किया जाना था।

- झारखण्ड (सा.स्वा.के.), पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं के कर्मियों के लिए किसी प्रशिक्षण को संचालित नहीं किया गया था।
- मध्य प्रदेश, सिक्किम में, न तो विभिन्न स्तरों पर कोई प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया गया था और न ही तैनात मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कोई प्रशिक्षण दिया गया था।
- असम, कर्नाटक में, प्रशिक्षुओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए केन्द्रीय स्तर से किसी प्रशिक्षण किट की आपूर्ति नहीं की गयी थी।

हमने निधियो, स्टाफ की कमी (जम्मू एवं कश्मीर तथा मध्य प्रदेश) तथा वृद्धों के लिए क्लीनिकों (कर्नाटक) आदि में राज्य विशिष्ट कमियां भी पायी थीं। विवरण अनुबंध -29 में दिए गए हैं।

4.5.2.3 टीकाकरण

नियमित टीकाकरण तथा पल्स पोलियो टीकाकरण के अंतर्गत बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) के अंतर्गत टीकाकरण एक मुख्य क्षेत्र है। बच्चों का सात टीका निवारणीय रोगों अर्थात् डीप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, बचपन में तपेदिक का गंभीर रूप तथा हेपेटाइट्स बी का टीकाकरण नियमित आधार पर सुधार के रूप में किया जा रहा था।

4.5.2.3 (i) शिशु रोग

(क) शिशुओं के रोगों पर कम नियंत्रण

- गुजरात के 12 जनजातीय जिलों में 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान पांच वर्षों से कम के बच्चों में 368.23 प्रतिशत तक खसरा के

मामले तथा तीव्र श्वसन संक्रमण (ती.श्व.सं.) के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 एवं 2012-13 की तुलना में 2012-13 और 2013-14 के दौरान पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं में ती.श्व.सं. के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई थी, यद्यपि गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु में टीकाकरण गतिविधियां आयोजित/संचालित की गयी थीं।
- कर्नाटक तथा तमिलनाडु में खसरा तथा श्वसन संक्रमण तथा दस्त जैसे शिशु रोगों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पाया गया था।

(ख) लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में कमियां

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने 13 राज्यों¹¹ में प्रतिरक्षित बच्चों के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी पाई। राज्य-वार अभ्युक्तियों के विवरण अनुबंध 30 में शामिल हैं।

(ग) गर्भवती महिलाओं के लिए आई.एफ.ए. गोलियों एवं जांच में कमियां

12 राज्यों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने पाया कि पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच तथा अनुवर्ती जांचों में काफी अंतराल था। राज्य-वार अभ्युक्तियों के विवरण अनुबंध 31 में शामिल हैं।

(घ) प्रशिक्षण में कमियां

नौ राज्यों में विभिन्न चिकित्सकीय स्टाफ एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने में कमियां थीं। राज्य-वार अभ्युक्तियां अनुबंध 32 में शामिल हैं।

¹¹ तमिलनाडु, झारखण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान

4.5.2.4 अवसंरचना रखरखाव योजना (अ.र.यो.)

सरल सेवा प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए जिला तथा उप-जिला स्तर पर राज्य सरकार के माध्यम से भा.स., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.मं.) द्वारा भ.र.यो. कार्यान्वित की गयी थी। अवसंरचनात्मक स्थापना में चिकित्सकीय तथा पैरा-मेडिकल स्वास्थ्य व्यवसायियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर परिवार कल्याण ब्यूरो, उप-केन्द्र, शहरी कल्याण केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य पद, प्रशिक्षण स्कूल तथा केन्द्र, शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न घटकों/गतिविधियों अर्थात् किराया, आकस्मिकता, वजीफा आदि हेतु राजकोषीय मार्ग के माध्यम से चार अग्रिम त्रैमासिक किस्तों में सहायता अनुदान को जारी किया जाता था।

मई 2012 से, परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नियमित स्टाफ के वेतन पर व्यय भा.स. द्वारा किया जाना था। अन्य घटक/गतिविधियों पर व्यय संबंधित राज्य/सं.शा.क्षे. सरकार द्वारा किया जाएगा।

4.5.2.4 (i) अपर्याप्त अवसंरचना

निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य स्तर पर राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (रा.प.क.ब्यू.) को स्थापित किया जाना है, जहाँ परिवार नियोजन गतिविधियों की देखभाल हेतु परिवार कल्याण अनुभाग स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार, मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी (मु.चि.स्वा.अ.) के कार्यालय में जिला स्तर पर जि.प.क.ब्यू. स्थापित किए गए थे।

- मणिपुर में, स्वास्थ्य केन्द्र की कमी थी अर्थात् 11 सा.स्वा.के. की आवश्यकता के प्रति 7 सा.स्वा.के., 47 की आवश्यकता के प्रति 38 प्रा.स्वा.के. तथा 312 की आवश्यकता के प्रति 134 सा.स्वा.के. थे। गैर कार्यात्मक सा.स्वा.के. की कुछ तस्वीर नीचे दर्शाई गयी हैं:



चित्र-12: सा.स्वा.के. माओ, मणिपुर में बंद किया गया निर्माण कार्य



चित्र-13: सा.स्वा.के. माओ, मणिपुर में गैर-कार्यात्मक ऑपरेशन कक्ष

प्रा.स्वा.के. मराम में ₹27.96 लाख¹² की कुल लागत पर निर्भित स्टाफ क्वार्टर अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इसी प्रकार, प्रा.स्वा.के. मराम में ₹12.60 लाख की कुल लागत पर परिसर की दीवार तथा जनरेटर शेड का निर्माण कार्य पूर्ण बताया गया था। हालांकि, संयुक्त भौतिक जांच के दौरान ऐसी कोई अवसंरचना नहीं देखी गयी थी। फोटोग्राफिक प्रमाण नीचे दर्शाए गए हैं:



चित्र-14: मराम, प्रा.स्वा.के., सेनापति जिला, मणिपुर में अप्रयुक्त स्टाफ क्वार्टर



चित्र-15: मराम प्रा.स्वा.के. सेनापति जिले, मणिपुर में झाड़ियों से घिरा हुआ अप्रयुक्त स्टाफ क्वार्टर

इसी प्रकार, माखन केन्द्र प्रा.स्वा.उ.के., सेनापति जिले में कार्यात्मक नहीं था क्योंकि इमारत पर एक परिवार का कब्जा था। शाजौबा प्रा.स्वा.उ.के. में कोई इमारत नहीं थी तथा स्वास्थ्य केन्द्र निजी मकान से चलाया जा रहा था।

¹² एस.एच.एम.एस., 2014 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ₹13.98 लाख का भुगतान किया गया।



चित्र-16: गैर-कार्यात्मक माखन केन्द्र प्रा.स्वा.उ.के., सेनापति ज़िला, मणिपुर



चित्र-17: मराम खुल्लेन प्रा.स्वा.उ.के., सेनापति ज़िला, मणिपुर में प्रसूति कक्ष की खराब स्थिति

लेखापरीक्षा में पाई गई, बिलों के अनियमित प्रतिपूर्ति (राजस्थान) तथा वाहनों के गैर-प्रापण (गुजरात) के बारे में अन्य कमी/अभाव को अनुबंध 33 में दिया गया है।

4.5.2.4 (ii) स्वास्थ्य सुविधा की कमी

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच उप-केन्द्र सबसे परिधीय तथा प्रथम संपर्क बिन्दु है। ढांचे में 3000 की जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र (उ.के.), 20000 की जनसंख्या के लिए प्रा.स्वा.के. तथा जनजातीय क्षेत्रों में 80000 की जनसंख्या के लिए एक सा.स्वा.के. प्रदान करने का लक्ष्य था, इन केन्द्रों को संचालित करने के लिए एक पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, एक म.स्वा.आ. को पर्यवेक्षण हेतु छ: उप-केन्द्र सौंपे गए थे। स.प्र.न. एवं म.स्वा.आ. का वेतन भा.स. द्वारा दिया जाना था तथा पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी का वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था।

- **सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल** के 10 जिलों में जनजातीय जनसंख्या के लिए 1607 उ.के., 243 प्रा.स्वा.के. तथा 61 सा.स्वा.के. की आवश्यकता के प्रति 891 उप.के., 88 प्रा.स्वा.के. तथा 24 सा.स्वा.के. उपलब्ध थे, जोकि मानदंडों के विरुद्ध था जिसके कारण जनजातीय लोग अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा ने पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के पद पर भर्ती न किए जाने में कमियां (मध्य प्रदेश में), निर्धारित मानदंडों का अनुसरण किए बिना अवसंरचना का सृजन तथा मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण

पड़ी हुई अप्रयुक्त परिसंपत्तियां (सिक्किम में), जनसंख्या मानदण्डों का अनुसरण किए बिना उप-केन्द्रों की स्थापना (राजस्थान, कर्नाटक में), आदि पायी थी। विवरण अनुबंध 34 में दिए गए हैं।

4.5.2.4 (iii) श.प.क.के. की उपलब्धता न होना

शहरी क्षेत्र में जिला अस्पताल तथा सिविल अस्पताल में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों (श.प.क.के.) को स्थापित किया जाना ताकि परिवार नियोजन के बारे में प्रचार तथा जागरूकता बनाई जा सके तथा परिवार कल्याण, जच्चा एवं बच्चा स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा तथा प्रजनन बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को स्वीकार करने के लिए पात्र दंपत्तियों को प्रेरित किया जा सके।

श.स्वा.यो. को शहरीबस्ती क्षेत्रों में स्थापित किया जाना था ताकि प्रसव पूर्व-प्रसव, माताओं की प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल, बच्चों के टीकाकरण, छोटी बीमारी उपचार तथा परिवार नियोजन स्वीकारकर्ता को सलाह तथा सेवाओं समेत समेकित विवरण प्रणाली को निष्पादित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने श.प.क.के. एवं श.स्वा.यो. उपलब्धियों की योजनाओं तथा गतिविधियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की गैर-उपलब्धता (मध्य प्रदेश में), श.प.क.के. की गैर स्थापना (पश्चिम बंगाल में) की गैर-स्थापना, आदि जैसी विभिन्न कमियां पाई थी। राज्य-वार अभ्युक्तियों के विवरण अनुबंध 35 में शामिल हैं।

4.5.2.4(iv) म.स्वा.आ./ब.उ.क.(पुरुष) के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में कमियां

सहायक नर्स दाई (स.न.दा.) तथा महिला स्वास्थ्य आगंतुक (म.स्वा.आ.) को स.न.दा./म.स्वा.आ. का उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा एवं बच्चा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन में उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान की जाएं। उसी प्रकार, बहु उद्देश्य कर्मचारी (पुरुष) के लिए परिवार कल्याण, जच्चा एवं बच्चा स्वास्थ्य, टीकाकरण आदि को मूल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने प्रशिक्षण स्कूलों में प्राधानाध्यापकों के पद रिक्त रहना (मध्य प्रदेश में), 1992 से प्रशिक्षण संचालित करना (झारखण्ड में), प्रशिक्षण निधि का सामान्य, ज.जा.उ.प. तथा अ.ज.जा. उ.यो; में विपथन (छत्तीसगढ़) में तथा सूचित व्यय का मेल न खाना आदि जैसी विभिन्न कमियां पायी थीं। राज्य-वार अभ्युक्तियों के विवरण अनुबंध-36 में दिए गए हैं।

4.5.2.5 राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना हेतु लचीला पूल (रा.का.का.यो.ल.पू.)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जोकि अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता, उसे स्वास्थ्य प्रणाली एवं लोगों मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार लाने की दृष्टि से शुरू किया गया है। रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत निधियों को साथ में पूल किया जाता है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रदान किया जाता है। एक ऐसा कार्यक्रम है राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना हेतु लचीला पूल (रा.का.का.यो.ल.पू.) जिसे विभाजित किया गया है (क) प्रजनन बच्चा स्वास्थ्य लचीला पूल (प्र.ब.स्वा.ल.पू.) एवं (ख) मिशन लचीला पूल (मि.ल.पू.) जिसके अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन गतिविधियों के लिए निधियों का उपयोग किया गया है।

(क) प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कल्याण पूल (प्र.शि स्वा.क.पू.)

4.5.2.5(i) अपर्याप्त मातृ स्वास्थ्य सुविधाएं

मातृ स्वास्थ्य न्याय नीति में वृद्धि करने और गरीबी को कम करने में किसी देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। माताओं की उत्तर जीविता एवं कल्याण केवल उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है अपितु बड़े आर्थिक, सामाजिक तथा विकासात्मक चुनौतियों में सुधार लाने के लिए भी केन्द्रीय है।

- काफी अ.ज.जा. संख्या वाले नमूना परीक्षित जिलों में अभिलेखों तथा डाटा की जांच के दौरान, हमने जम्मू एवं कश्मीर में जननी सुरक्षा योजना (ज.सु.यो.) के भुगतान में अधिक विलंब, सिक्किम में संस्थागत प्रसव को

अपर्याप्त प्रोत्साहन, असम में पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों की कमी तथा अवसंरचना आदि (पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान) की अनुपस्थिति पायी। विस्तृत राज्य विशिष्ट निष्कर्ष अनुबंध 37 (क) में दिए गए हैं।

- राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल, त्रिपुरा एवं गुजरात में प्रथम संदर्भित इकाईयों एवं 24x7 सा.स्वा.के. की अपर्याप्त उपलब्धता पाई गई थी। जिसका विवरण अनुबंध 37 (ख) में दिया गया है।

4.5.2.5(ii) बाल स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार, जम्मू एवं कश्मीर तथा महाराष्ट्र में आवश्यक दवाईयां जैसे ओ.आर.एस., ज़िक, एंटीबायोटिक दवाईयों (कॉट्रीमॉवज़ोल), आयरन एवं फोलिक एसिड एवं विटामिनए, सा.स्वा.के., सा.स्वा.के. में उपलब्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त असम, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान एवं तमिलनाडु में सुविधाओं अर्थात् नवजात देखभाल कॉर्नर (न.दे.कॉ.), विशेष नवजात देखभाल इकाईयों (वि.न.दे.इ.) एवं नवजात स्थिरिकरण इकाईयों (न.स्थि.इ.) की कमी थी। राज्य विशिष्ट निष्कर्षों के विवरण अनुबंध 38 में दिए गए हैं।

4.5.2.5(iii) परिवार नियोजन हेतु अपर्याप्त प्रशिक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेप्रोस्कोपिक नसबंदी मिनीलैप प्रशिक्षण तथा आन्ध प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात में स्टाफ तथा चिकित्सकीय स्टाफ के लिए परिवार नियोजन के प्रशिक्षण के अपर्याप्त प्रशिक्षण के मामले थे। इसके अतिरिक्त, हमने मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात में मासिकधर्म स्वच्छता योजना को प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। राज्य-वार विस्तृत अभ्युक्तियां अनुबंध 39 में दी गई हैं।

4.5.2.5 (iv) कि.प्र.यौ.स्वा. गतिविधियों को संचालित न करना

किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (कि.प्र.यौ.स्वा.) को मुख्य तकनीकी कार्यनीति के रूप में प्र.ब.स्वा.-॥ कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया था ताकि किशोर जनसंख्या को पुर्णगठित करने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाए जोकि विवाह की आयु में देरी, किशोरक्य में गर्भावस्था की घटनाओं को कम करना, शीघ्र एवं सुरक्षित गर्भपात सेवा तक पहुँच समेत प्रसूति कठिनाइयों से बचाव एवं प्रबंधन में लाभ प्रदान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ में काफी अ.ज.जा उपस्थिति के साथ नमूना परीक्षित जिलों में कि.प्र.यौ.स्वा. की सू.शि.सं. गतिविधियों तथा हेल्पलाइन की गैर-स्थापना, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में एक दिन उन्मुखीकरण कार्यशाला को संचालित न किए जाने के मामले पाए गए थे। राज्य-वार विस्तृत अभ्युक्तियां अनुबंध 40 में दी गयी हैं।

इसके अतिरिक्त, मणिपुर में, चिकित्सकीय रूप से असेवित/कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक चलायामान चिकित्सा इकाई (च.चि.इ.) प्रदान की जानी थी। तदनुसार 2011-14 के दौरान, ₹3.89 करोड़ की लागत पर 18 चलायामान वैनों का प्राप्त किया गया था हालांकि, नमूना परीक्षित जिलों में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जिला स्वास्थ्य संस्थाओं के निदेशक वाहनों को किराए पर ले लिया करते थे जब भी आउटरीच कैम्पों का संचालन किया जाता था। जि.स्वा.सं., सेनापति ने न तो कार्य-पंजी और न ही चलायामान चिकित्सा इकाई के परिचालनात्मक अभिलेखों को अनुरक्षित किया था। इस प्रकार, च.चि.इ. का व्यर्थ पड़े रहना तथा कार्य-पंची एवं परिचालनात्मक अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण ने असेवित/कम सेवा प्रदान किए गए ज.जा.उ.यो. क्षेत्रों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के रा.गा.स्वा.मि. को प्रभावित किया था।

(ख) मिशन लचीला पूल

4.5.2.5 (v) अव्ययित खुले अनुदान

रा.ग्रा.स्वा.मि. ढाचा निर्धारित करता है कि 10,000 एवं 25,000 तथा 50,000 के खुले अनुदान क्रमशः प्रत्येक स्था.स., सा.स्वा.स. तथा सा.स्वा.स. को प्रदान किया जाना था ताकि उसे मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी स्थानीय स्वास्थ्य गतिविधि के लिए उपयोग में लाया जा सके। खुले अनुदान को परिवार सर्वेक्षणों, स्वास्थ्य केंपों, स्वाच्छता अभियानों, परिक्रामी केंपों, निधि आदि के लिए उपयोग में लाया जाना था ताकि आकस्मिक प्रवृत्ति के कार्यों को किया जा सके जिन्हें जिला स्तर पर विकेन्द्रित योजनाओं के अंतर्गत सामन्य रूप से आवृत्त नहीं किया गया था। इन निधियों को अनुपस्थित अंतरालों को भरने तथा अधूरे जनोपयोगी परिसंपत्तियों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से आवंटित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2014 को, चार राज्यों में विभिन्न सा.स्वा.के, तथा स्था.स्वा.स. में ₹3.87 करोड़ के खुले अनुदान अव्ययित पड़े हुए थी। विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

राज्य	राशि	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	1.41	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹33.88 करोड़ की उपलब्ध निधि के प्रति ₹32.47 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था तथा ₹1.41 करोड़ की निधि अव्ययित रही थी। दस नमूना परीक्षित जिलों में से आठ में 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹27.65 प्रतिशत की खुली निधियों का उपयोग नहीं किया गया था।
तमिलनाडु	0.56	<ul style="list-style-type: none"> चयनित नौ जिलों को 2011-12 से 2013-14 के दौरान खूले अनुदान के रूप में ₹5.72 करोड़

		की राशि जारी की गयी थी तथा मार्च 2014 के अंत तक इन जिलों के पास ₹0.56 करोड़ का अव्ययित शेष था। इन नौ जिलों में चयनित 93 सा.स्वा.के. में, मार्च 2014 के अंत तक ₹0.06 करोड़ का अव्ययित शेष था।
जम्मू एवं कश्मीर	0.66	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹5.87 करोड़ को जारी निधियों में से सा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. स्तर पर केवल ₹5.21 करोड़ का उपयोग किया गया था जिसके कारण ₹0.66 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही थी। छ: नमूना परीक्षित जिलों में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹0.47 करोड़ (21.91%) की खुली निधियों का उपयोग नहीं हुआ था।
गुजरात	1.24	<ul style="list-style-type: none"> 31 मार्च 2014 को, चयनित जिलों में विभिन्न उप-केन्द्रों, सा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. स्तरों पर ₹1.24 करोड़ अव्ययित पड़ा हुआ था।
छत्तीसगढ़	--	<p>15 सा.स्वा.के. एवं 34 सा.स्वा.के. में यह पाया गया था कि:</p> <ul style="list-style-type: none"> एक से तीन वर्षों के लिए निर्धारित राशि के आधिक्य में खुली निधि सात¹³ सा.स्वा.के. को जारी की गई थी। पिछले दो वर्षों से से सा.स्वा.के., विजयनगर को कोई निधियां जारी नहीं की गई थी। सा.स्वा.के. लायलुंगा के मामले में खु.नि. एक वर्ष में जारी नहीं की गयी थी जबकि अगले वर्ष में निर्धारित राशि से तिगुणा जारी कर दिया गया था। 16¹⁴ सा.स्वा.के. की एक से तीन वर्षों के लिए निर्धारित राशि से अधिक में खुली निधि जारी की गई थी जबकि तीन¹⁵ सा.स्वा.के. को दो से

¹³ वद्रानानागर, नांगुर, कोटा, मारवाही, गोरेल्ला ढोरपुर, बिशरामपुर

¹⁴ जमवंतपुर, बदकगांव, गुरुकुल, बस्तर, अदावल, कुरंदी, बेलगेहना, कर्गी काला, धोबेर, सिओनी, बस्ती बंगर, किओची, बारबेलानवनगर, सोंगरा, रेवती

¹⁵ भानपुरी, कंदराई, लाटोरी

		तीन वर्षों के लिए निधियां जारी नहीं की गई थीं, एक वर्ष लिए दो ¹⁶ सा.स्वा.के. को निधियां जारी नहीं की गई थीं तथा अगले वर्ष में तिगुनी जारी कर दी गई थी। तीन ¹⁷ सा.स्वा.के. द्वारा कोई सूचना नहीं की गई थी।
कुल	3.87	

बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त खुला अनुदान दर्शाता है कि स्वा.के. के प्रभारी समेत संबंधित कार्याकर्ताओं को इन निधियों के उपयोग के संबंध में अवगत नहीं करवाया गया था।

4.5.2.5 (vi) अव्ययित रोगी कल्याण समिति अनुदान

रो.क.सं. को मुख्यतः प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के प्रभावी सामुदायिक प्रबंधन के लिए, सा.स्वा.के. को ₹1 लाख एवं प्रत्येक जि.अ. को ₹5 लाख का अनुदान राज्यों को प्रा.स्वा.के. /सा.स्वा.के./जि.अ. के लिए दिया जाना था, जबकि रो.क.स. गठित की जा चुकी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रो.क.स. को जारी निधियों के कारण पांच राज्यों में ₹10.97 करोड़ के अव्ययित अनुदान थे। मध्य प्रदेश के मामले में, भारत सरकार ने ₹10.12 करोड़ कम जारी किये थे। मणिपुर में, संयुक्त फ़िल्ड जांच के दौरान, यह पाया गया कि अवितरित दवाइयों की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों से माओंस.स्वा.के. एवं मरम प्रा.स्वा.के. में डॉक्टर (आ.यो.यू.सि.हो.) की भी तैनाती नहीं हुई थी। इन केन्द्रों में रो.क.स. के गैर-निर्माण के कारण सामुदायिक भागीदारिता की कमी को दर्शाता है। राज्य विशिष्ट निष्कर्ष अनुबंध 41 में हैं।

¹⁶ मुकदेगा, राजपुर

¹⁷ सिसिरंगा, बर्गादुह, रघुनाथपुर

4.5.2.5 (vii) अप्रयुक्त वार्षिक रखरखाव अनुदान

वार्षिक रखरखाव अनुदान (वा.र.अ.) को मुख्यतः भौतिक अवसंरचना में सुधार एवं रखरखाव के लिए मुख्य रूप से प्रदान क्या जाता था ताकि अवसंरचना का सशक्तिकरण, तथा भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान किया जा सके। इसे केवल भारत सरकार के स्वामित्व वाली इमारतों के लिए प्रदान किया जाता है न कि किराए की इमारतों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अंश होने के रूप में, एक वा.र.अ. विभिन्न इकाइयों अर्थात् सा.स्वा.के. अर्थात् सा.स्वा.के. को ₹1.00 लाख प्रति वर्ष तथा उ.स्वा.के. को ₹10.000 प्रति वर्ष प्रदान किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ को ₹2.84 करोड़ की सीमा तक उपयोग में नहीं लाया गया था। भारत सरकार ने भी मध्य प्रदेश को ₹8.48 करोड़ कम जारी किए थे। राज्य विशिष्ट निष्कर्ष अनुबंध 42 में है।

इस प्रकार, वार्षिक रखरखाव अनुदानों का उपयोग न किए जाने के कारण, राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या योजना के लाभों से वंचित रहीं।

4.5.2.5 (viii) मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (मा.प्रा.स्वा.का.) की कमी

रा.ग्रा.स्वा.मि. ढांचे में 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक मा.प्रा.स्वा.का प्रदान करना परिकलित किया गया था। जनजातीय, पहाड़ी, रेगिस्तान इलाकों के लिए, कार्यभार पर निभर करते हुए प्रत्येक निवास के लिए एक मा.प्रा.स्वा.का. हेतु मानदंडों में छूट दी जा सकती है।

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान एवं कर्नाटक में, 31वें मार्च 2015 तक मा.प्रा.सा.स्वा.का. की कमी थी राज्य विशिष्ट निष्कर्ष अनुबंध 43 में दिए गए हैं।

4.5.2.5 (ix) स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की कमी

पी.आई.पी. के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में वृद्धि एवं नए निर्माण की आवश्यकता को जनसंख्या मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाना था। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं के अद्यतन एवं संशक्ति करण हेतु अभ्यास भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (भा.सा.स्वा.मा.) मानदंडों के अनुसार मानव संसाधन की तैनाती, गुणवत्ता देखभाल, सेवाओं के वितरण के संदर्भ में किया जाना था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार काफी अ.ज.जा. उपस्थिति वाले चयनित राज्यों के चयनित जिलों में मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की कमी थी:

राज्य	विवरण
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दवाईयों तथा सामग्री के साथ जिले पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> • इन उप-केन्द्रों में जल आपूर्ति की कमी थी। • स्थारी कोपीबाड़ी, प्रा.स्वा.से.के. में नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए बेबी वार्मर प्रदान नहीं किया गया था। • मूलभूत आवश्यकताओं की अनुपस्थिति तथा मरीज एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता की अनुपस्थिति। • ₹20.38 लाख की कीमत के उपकरण व्यर्थ पड़े हुए थे। • मूल दवाईयों के बिना उप-केन्द्र चलाए जा रहे थे। • दो उप-केन्द्रों (बसीलख तथा पेलिंग) में तथा जिला अस्पताल, पश्चिम में 29 समय सीमा समाप्त हुई दवाईयों पाई गयी थीं।
केरल	<ul style="list-style-type: none"> • तीन अतिरिक्त उप-केन्द्रों के निर्माण के लिए ₹20.15 लाख की राशि जारी की गई थी (अनुमानित लागत ₹69 लाख), मार्च 2014 तक कार्य को शुरू नहीं किया गया था क्योंकि चिन्हित साइट निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं थीं।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> • आधारभूत अवसंरचना के सृजन में कमी।

गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> चयनित जिलों में, अवसंरचना की कमी थी।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 6 प्रा.स्वा.के. (दुगारपुर-3 एवं उदयपुर-3) में चिकित्सा अधिकारी तैनात नहीं थे।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 2013-14 के दौरान ₹433.45 लाख (34 प्रतिशत) में से ₹146.08 लाख की राशि अव्ययित पड़ी हुई थी।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. की नमूना जांच में, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> आठ जिला अस्पतालों के 15 सा.स्वा.के. एवं 34 प्रा.स्वा.के. में 2010-11 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत कुल 3121 निर्माण कार्यों में से केवल 675 निर्माण कार्य (22 प्रतिशत) को पूरा कर लिया गया था जबकि 1578 निर्माण कार्य (50 प्रतिशत) निर्माणाधीन थे तथा लेखापरीक्षा तक 868 निर्माण कार्य (28 प्रतिशत) शुरू नहीं किए गए थे।

उपकरणों, अवसंरचनाओं, दवाइयों आदि के बारे में लेखापरीक्षा में पाई गई विस्तृत कमियां **अनुबंध 44** में दी गयी हैं।

इसके अतिरिक्त, असम में भी लेखापरीक्षा ने अवसंरचना तथा रोगी सेवाएं (रो.से.), प्रस्तुति सेवाएं, नवजात देखभाल, प्रा.स्वा.के. स्तर पर आकस्मिक सेवाएं, रक्त संग्रहण सुविधा, अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एक्स-रे, बीमार बच्चों की बाल चिकित्सा देखभाल आदि जैसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की अत्याधिक कमी पाई थी।

- उप-केन्द्र स्तर पर पुरुष एवं महिला हेतु अलग उपयोगिताएं उपलब्ध नहीं थी।
- नमूना परीक्षित 10 प्रा.स्वा.के. में किसी में भी ऑपरेशन थियेटर की सुविधाएं मौजूद नहीं थी।
- प्रा.स्वा.के. स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हीलचेयर, स्टैचर, न.जा.स्थि.इ. की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

- आठ चयनित जिलों में, गर्भवती महिलाओं को मुख्य सङ्क तक लाने के लिए रेफरल परिवहन अर्थात् पाल्की या उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

स्वास्थ्य केन्द्रों में खराब अवसंरचनात्मक सुविधाओं को दर्शाते हुए कुछ फोटोग्राफ नीचे दिए गए हैं:



चित्र-18: कामरूप जिले (असम) में गोरायमारी सा.स्वा.के. में अस्वच्छ परिस्थिति में रखा गया नवजात शिशु

चित्र-19: कामरूप जिला (असम) में गोरायमारी सा.स्वा.के. में गैराज के रूप में बदला गया ऑपरेशन थियेटर



चित्र-20: धीमाजी जिले (असम) में तेलम प्रा.स्वा.के. में विशेष मरीज बिस्तर की मांग के कारण मरीज को प्रतीक्षा कक्ष में रखा गया था।

विभागीय अधिकारी के साथ संयुक्त प्रत्यक्ष जांच (अगस्त 2014) में पता चला कि कोकराझर जिले में बशबरी सा.स्वा.के. तथा कर्बी अंगलॉग जिले में सिलडुबी उ.के. कार्यात्मक नहीं थे जबकि बिजली के कार्यों को छोड़कर सा.स्वा.के. की इमारत को

काफी पहले पूर्ण हुआ बताया गया था तथा प्रस्तुत पी.आई.पी. के अनुसार उ.के. कार्यात्मक था।



चित्र-22: कोकराझर जिले (असम) में गैर-कार्यात्मक बशबरी सा.स्वा.के.

चित्र-23: कर्बी अंगलाँग जिले में गैर कार्यात्मक सिल्डुबी उप-केन्द्र

मणिपुर में, विभाग के पास अभिलेख में उपलब्ध पुराने उपकरण के निपटान या उपकरण की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने भंडार एवं स्टॉक की प्रत्यक्ष जांच संचालित नहीं की थी।

4.5.2.5 (x) श्रमशक्ति की कमी

पी.आई.पी. के अनुसार, मानव संसाधन का प्रावधान कठिन तथा कठिनाई से पहुंचने वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त/प्रोत्साहित प्रावधान के साथ अंतर विश्लेषण पर आधारित किया जाना था। सभी स्तरों पर अधिक संविदात्मक मानव संसाधनों के संवर्धन हेतु राज्य सरकार तथा रा.ग्रा.स्वा.मि. द्वारा मौजूदा रिक्तियों को भरा जाना था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि काफी अ.ज.जा. उपस्थिति वाले चयनित राज्यों तथा चयनित जिलों में मानदंडों के अनुसार चिकित्सा तथा पैरा-मेडिकल श्रमशक्ति की कमी थी।

मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं मणिपुर में, चयनित राज्यों में चिकित्सकीय तथा पैरा-मेडिकल श्रमशक्ति की कमी थी। विवरण अनुबंध 45 में दिए गए हैं।

4.5.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त निष्कर्ष से पाया कि काफी अ.ज.जा. उपस्थिति के साथ जिलों में योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां तथा चूंके थीं। ज.जा.उ.यो. के मूल उद्देश्यों अर्थात् अ.ज.जा. के लाभ हेतु व्यय किए गए संसाधनों का अंश, गरीबी में काफी कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, पर्याप्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से मानव संसाधन विकास तथा भौतिक एवं वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाया था जैसाकि उपरोक्त निष्कर्ष में दर्शाया गया है। अ.ज.जा. को आवंटन के बावजूद, इन कार्यक्रमों के भीतर उनकी उन्नति को मॉनीटर करने के लिए कोई तंत्र नहीं थे।

अनुशंसाएँ

- **विशेषत:** जनजातीय प्रमुख ब्लॉकों में सामुदायिक भागीदारी के साथ योजना बनाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाए जाने की आवश्कता है ताकि संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
- राज्य सरकार को राज्य स्तर/जिला स्तर पर मॉनीटरिंग तथा विशेष रूप से ज.जा.उ.यो. निधि के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग की समीक्षा करने के लिए एक अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए।
- राज्य/जिला स्तर पर नोडल इकाई को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि जनजातियों के निवास क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक अंतराल तथा विकास आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो., रा.कृ.वि.यो. आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधिकरण का अभिसरण करने की आवश्यकता है।

अध्याय-5

निगरानी तंत्र

5.1 प्रस्तावना

ज.जा.उ.यो. में यह परिकल्पित था कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के ज.जा.उ.यो. से संबंधित संघटक की अनुपालना के लिए केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग उत्तरदायी होंगे। ज.जा.उ.यो. की प्रगति की निगरानी योजना आयोग द्वारा मंत्रालयों/विभागों के कार्य-निष्पादन के अर्धवार्षिक और वार्षिक समीक्षा के समय की जानी थी। संबंधित मंत्रालय की नोडल इकाई को सुनिश्चित करना था कि संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण को समय पर निधियाँ जारी की जाएँ जिससे वह बदले में अपनी क्षेत्रीय स्तर के कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियाँ जारी कर सके। जनजातियों को उनके विकास के लिए योजनाओं/ कार्यक्रमों की उपलब्धता की जानकारी के बारे में सूचना के प्रसार का उत्तरदायित्व मंत्रालय में ज.जा. की नोडल इकाई का था। समर्पित इकाईयों कार्यान्वित योजनाओं की अनुपालना और मंत्रालय में ज.जा.उ.यो. के तहत सृजित परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का रख-रखाव भी सुनिश्चित करती हैं।

5.2 निगरानी तंत्र में कमियाँ

क. केंद्रीय मंत्रालय/विभाग

5.2.1 योजना आयोग द्वारा गैर-क्रियाशील समर्पित ज.जा.उ.यो. इकाई और तिमाही प्रगति रिपोर्ट की गैर-निगरानी

योजना आयोग द्वारा 28 केंद्रीय मंत्रालयों की पहचान की गई जो अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात में विनियोजन का निर्धारण कर रहे थे और 2011-12 से अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में ज.जा.उ.यो. निधियों को जारी कर रहे थे। 2011-12 से 2013-14 के दौरान सम्पूर्ण कुल लागत व व्यय का ब्यौरा इस प्रकार थे:-

वर्ष	कुल लागत (व.अ.)	कुल व्यय (वास्तविक)
2011-12	18091.23	17453.60
2012-13	21710.11	20184.10
2013-14	24598.39	22029.97 (आर.ई)

स्रोत: व्यय बजट खण्ड-I, 2014-15

लेखापरीक्षा ने पाया कि समर्पित ज.जा.उ.यो. इकाई जिसे नवम्बर 2005 से स्थापित किया गया था, योजना आयोग में कार्यरत नहीं थी यद्यपि ज.जा.उ.यो. पर होने वाला व्यय वर्ष 2011-12 में ₹17453.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹22029.97 करोड़ रुपये हो गया था।

योजना आयोग ने सूचित किया गया (नवम्बर 2014) कि कार्य, जो पृथक प्रकोष्ठ द्वारा किया जाना था वह योजना आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग (सा.न्या.अ.) को सौंप दिया गया था। तथापि, यह प्रभाग अपर्याप्त स्टाफ के कारण कार्य को उचित तरीके से करने की स्थिति में नहीं था। अतः ज.जा.उ.यो. की निगरानी के लिए योजना आयोग में समर्पित इकाई को स्थापित किया गया था वह अक्रियाशील रही। इसी दौरान, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा योजना आयोग से अनुरोध किया गया (मार्च 2013) कि वह प्रत्येक तिमाही एस.सी.एस.पी और ज.जा.उ.यो. के तहत होने वाले व्यय की निगरानी करे। तदनुसार योजना आयोग ने (अक्टूबर 2013) सभी मंत्रालयों/विभागों से वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में उनके मंत्रालयों/विभागों में ज.जा.उ.यो. के तहत क्रियाशील योजनाओं/कार्यक्रमों की योजनावार समेकित भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 28 चिन्हित मंत्रालयों/विभागों में से केवल दो विभागों अर्थात् कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रथम तिमाही अर्थात् अप्रैल 2014

से जून 2014 तक के लिए रिपोर्ट भेजी गई। अन्य किसी भी मंत्रालय/विभाग के द्वारा योजना आयोग को प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी गई।

योजना आयोग ने आगे बताया (नवम्बर 2014) कि इसने कार्यान्वयन मंत्रालयों से बार-बार प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया था परंतु कई मंत्रालयों से उसे समुचित जवाब प्राप्त नहीं हुआ। कार्यान्वयन मंत्रालयों से व्यवहार करने वाले सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग द्वारा भी योजना आयोग में नोडल प्रभाग/विषय-वस्तु प्रभागों के साथ भी इस विषय को उठाया गया परंतु जवाब अपर्याप्त था।

इस प्रकार, प्र.म.का. के निर्देशों के बावजूद योजना आयोग (अब नीति आयोग) ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन तथा निधियों के उपयोग की शायद ही निगरानी कर सका था।

5.2.2 जनजातीय मामलों को मंत्रालय में नोडल इकाई का गठन न करना

जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों के आवंटन हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से वार्षिक योजनाओं की तैयारी के समय योजना स्तर पर सह-संबंध स्थापित करना था। मंत्रालय को निगरानी स्तर पर कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं दी गयी थी। इसे तथापि, इसके द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सभी अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों की तरह एक समर्पित नोडल इकाई को स्थापित करना था। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान जनजातीय उप-योजना के तहत ₹10502.66 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। मंत्रालय के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. के तहत निधियों के आवंटन और व्यय का वर्ष-वार व्यौरा इस प्रकार था :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब. अ.	स. अ.	व्यय
2011-12	3723.01	3723.01	3623.87
2012-13	4090.00	3100.00	3056.68
2013-14	4279.00	3879.00	3822.11
कुल	12092.01	10702.01	10502.66

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस मंत्रालय में भी ऐसी कोई नोडल इकाई अस्तित्व में नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय द्वारा जवाब दिया गया (अक्टूबर 2014), कि ज.जा.उ.यो. निधियों की निगरानी के लिए मंत्रालय में विशेष ज.जा.उ.यो. नोडल इकाई की स्थापना नहीं की गई परंतु मंत्रालय की योजना के लिए बजट शीर्ष 796 के तहत बजट प्रावधान किए जाते थे और मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों द्वारा अपनी संबंधित योजनाओं की निगरानी का प्रबंध किया जाता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नोडल इकाई को संपूर्णता में ज.जा.उ.यो. निधियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी के विशिष्ट कार्य करने थे।

5.2.3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप-योजना अनुसंधान केन्द्र और जनजातीय शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र (ज.जा.शै.प्र.सू.त.) का गैर-स्थापन

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (01 अक्टूबर 2013) के पैराग्राफ 2 (iv) (ई) के अनुसार ज.जा.उ.यो. के तहत निवेश की प्राथमिकताओं की पहचान के लिए पूरक विश्लेषण व अध्ययन करने के लिए उप-योजना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जानी थी। केन्द्र द्वारा ज.जा.उ.यो. के तहत निर्धारित कार्यान्वयन, व्यय, निर्गम और परिणाम सूचकों की प्रगति का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित करके संगठनों/कार्यालयों की नोडल इकाईयों के माध्यम से राज्यवार, योजनावार और लाभार्थीवार ढ्यौरे का रखरखाव किया जाना था। इसके अतिरिक्त पैरा 2(iv) (एफ) के अनुसार सरकारी सर्वरों में एक विशेष अ.ज.जा. शिक्षण वेबसाइट का विकास किया जाना था जिसके दो उद्देश्यों (i) मा.सं.वि.मं. की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं

और कार्यक्रमों तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों, जो ज.जा.उ.यो. के तहत प्रतिवर्ष निधियों का निर्धारण करते हैं, के विषय में सूचना प्रदान करना (ii) विद्यालयी शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों का पता लगाना जिसमें शैक्षिक जरूरतों जैसे छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों आदि तक उनकी पहुँच भी शामिल है। इस वेबसाईट को अंग्रेजी व सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की शासकीय भाषाओं में विकसित किया जाना था। ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों के निर्धारण तथा योजना पर संपूर्ण आंकड़े वेबसाईट पर प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराना था।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि न तो केन्द्र और जनजातीय शैक्षिक प्रबंधन उप-योजना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई और न ही जैसा परिकल्पित था भारतीय सामाजिक विज्ञान तथा अनुसंधान परिषद (भा.सा.वि.अं.प.) द्वारा ज.जा.शै.प्र.सू.त. का विकास किया गया था। भा.सा.वि.अं.प. द्वारा अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में बताया गया कि दिशानिर्देश के पैरा 2 (iv) (एफ) में ज.जा.शै.प्र.सू.त. के विकास में भा.सा.वि.अ.प. की भूमिका का कोई जिक्र नहीं है जबकि मा.सं.वि. मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा भा.सा.वि.अं.प. को इन अभियोज्य बिंदुओं पर कार्यवाही रिपोर्ट के निर्देश दिए गए थे।

अतः मंत्रालय, जैसा कि इसके द्वारा नियोजित किया गया था, ज.जा.उ.यो. की निधियों की निगरानी के लिए ढँचा विकसित करने में असफल रहा। भा.सा.वि.अ.प. के साथ संवाद में कमी थी तथा कोई निगरानी तंत्र उपलब्ध नहीं था (अक्तूबर 2014)।

5.2.4 मा.सं.वि.मं. में निगरानी समितियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी

(क) राष्ट्रीय निगरानी समिति

राष्ट्रीय निगरानी समिति के प्रस्ताव के अनुसार, समिति को स्थायी निकाय के रूप में कार्य करना तथा शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना साथ ही साथ अ.जा./अ.ज.जा. और विकलागों की शैक्षिक उन्नति के उद्देश्य

से मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के कार्य की समीक्षा करना था। समिति जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठकें कर सकती थीं परंतु वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य अर्थात् प्रत्येक वर्ष 27 जून को बैठक होनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.वि.स. ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान बैठक की; परंतु जून 2013 के पश्चात् रा.नि.स. द्वारा कोई बैठक नहीं की गई।

(ग) स्थायी समिति

अ.जा./अ.ज.जा. विकलांगों की शिक्षा के लिए रा.नि.स. की स्थायी समिति के संविधान के जुलाई 2012 के आदेश के अनुसार समिति द्वारा रा.नि.स. को शैक्षिक विकास के विषय पर सलाह दी जानी थी और शैक्षिक अवसरों के उद्देश्य से कार्यान्वित योजनाओं की निगरानी करनी थी। स्थायी समिति को तथा जितनी बार आवश्यक हो बैठकें कर सकती थीं परंतु वर्ष में कम से कम दो बार अपनी प्रक्रिया को नियत करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान जनवरी 2014 माह में केवल एक बैठक की गई थी।

5.2.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) में समर्पित इकाई का गठन न किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि जैसा कि 2010 के दिशा-निर्देशों में निर्धारित था वैसी कोई समर्पित इकाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में गठित नहीं की गई।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि 1981 में टी.डी.पी. कक्ष स्थापित किया गया था तथा तब से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कई परिवर्तन हो चुके थे। उन्होंने बताया कि 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) के प्रारंभ के बाद तथा 2013 में इसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (रा.स्वा.मि.) में परिवर्तन से वामपंथ उग्रवाद (वा.उ.) प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय एवं लोगों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल किया गया और इसकी निगरानी और मूल्यांकन रा.स्वा.मि. के ढाँचे/संरचना के तहत किया जाता है। विभाग का उत्तर

यह नहीं दर्शाता कि जनजातियों पर विशेष ध्यान के साथ समर्पित नोडल इकाई द्वारा संचालित की गई ज.जा.उ.यो. की निगरानी किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विभाग ने अवधि 2011-12 से 2013-14 के दौरान तीन योजनाओं अर्थात् आधारभूत संरचना अनुरक्षण, राज्य पी.आई.पी.आर.सी.एच. नम्य पूल हेतु प्रतिरक्षण (पल्स पोलियो प्रतिरक्षण), नम्य पूल तथा नम्य पूल मिशन के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय उप-योजना शीर्ष '796' के अंतर्गत ₹4395.32 करोड़ जारी किया है लेकिन इनके लिए मंत्रालय द्वारा कोई निगरानी उपाय नहीं किए गए।

5.2.6 आयुष में नोडल समर्पित इकाई की अनुचित कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयुष विभाग ने अपने बजट प्रभाग की ज.जा.उ.यो. के लिए नोडल इकाई के रूप में पहचान की थी जो केवल निधियों का निर्धारण मात्र करता था। ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत आवंटित निधियों में से किए गए खर्च के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए किसी पृथक समर्पित इकाई का गठन नहीं किया गया था।

अपने जवाब में, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अप्रैल 2014 से ज.जा.उ.यो. के निर्धारण तथा क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए भी नोडल इकाई के रूप में बजट प्रभाग की पहचान की गई थी, परंतु ज.जा.उ.यो. निधियों के आवंटन/उपयोग के कार्य की निगरानी के लिए व्यवस्था का गठन प्रक्रियाधीन था।

ख केन्द्रीय स्तर के स्वायत्तशासी निकायें

मा.सं.वि. मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने ज.जा.उ.यो. क्रियान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों को सभी संबंधित विभागों को जारी किया (अक्टूबर 2013)। इन दिशानिर्देशों में निहित था कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठन अपने संबंधित संगठनों/कार्यक्रमों में ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए एक नोडल इकाई या एक समिति या परियोजना अनुमोदन बोर्ड (प.अ.बो.) को मनोनित करेंगे। ये इकाईयाँ/समितियाँ/प.अ.बो. एक परामर्शक/मंत्रणात्मक प्रक्रिया/विधि के माध्यम से अ.ज.जा. के शैक्षणिक विकास में कमी/त्रुटि का

आकलन करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने संगठनों/योजनाओं के संबंध में स.स्व.यो. तैयार करेंगी।

निम्नलिखित तालिका मा.सं.वि.मं. तथा आयुष के अंतर्गत केन्द्रीय स्वा.नि. के निष्कर्षों का सार प्रस्तुत करती है:

केन्द्रीय स्वा.नि.	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
वि.आ.आ.	लेखापरीक्षा ने देखा कि नोडल इकाई के गठन (अक्टूबर 2013) के बाद भी, केवल दो बैठकें की गई थी अर्थात् मई 2014 तथा जून 2014 को तथा वि.आ.आ. में ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन पर मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया था तथा अनुमोदन हेतु मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया था (अप्रैल 2014)। मंत्रालय से दिशानिर्देशों का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।
अ.भा.त.शि.प.	लेखापरीक्षा ने पाया कि सितम्बर 2014 तक अ.भा.त.शि.प. में ऐसी कोई भी समर्पित इकाई गठित नहीं की गई थी। अतः ऐसी किसी भी निगरानी इकाई के अभाव में ज.जा.उ.यो. का कार्यान्वयन तथा अ.ज.जा. के शैक्षणिक विकास में अन्तर के आकलन की तैयारी जिसे एन.एम.सी. के पास भेजा जाना अनिवार्य था का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका था।
इं.गा.रा.मु.वि.	इं.गा.रा.मु.वि. ने अक्टूबर 2013 में एक समिति का गठन किया था तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए पहली बैठक दिसम्बर 2013 में हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि संबंधित प्रभाग/इकाई द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों की विस्तृत संरचना निर्मित की जाएगी तथा एक बार, सिद्धांतों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन होने पर, इसके अनुमोदन के लिए उसी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि पहली बैठक को छोड़कर आगे अन्य कोई भी बैठक नहीं हुई थी। जैसा कि फैसला लिया गया था, अ.ज.जा. के लाभ के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों की विस्तृत संरचना भी प्रसंस्कृत नहीं की गई थी अथवा अनुमोदन हेतु उचित प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत की गयी थी। अतः 2011-14 के दौरान मा.सं.वि.मं. द्वारा जनजातियों के लाभ हेतु जारी ₹10.17 करोड़ का ज.जा.उ.यो. निधि पूर्ण रूप से उपयोग तो की गयी थी परंतु जनजातियों के लाभ हेतु बिना कोई योजना बनाए।
सी.सी.आर.ए.एस. सी.सी.आर.यू.एम. /सी.सी.आर.एच.	लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.सी.आर.यू.एम., सी.सी.आर.एच एवं सी.सी.आर.ए.एस. में ऐसी कोई समर्पित इकाई का गठन नहीं किया गया था। विभाग (सी.सी.आर.एच., सी.सी.आर.यू.एम. एवं

सी.सी.आर.ए.एस.) ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2015) कि ज.जा.उ.यो. के मामले को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान कर ली गयी थी।

5.2.7 राज्यों द्वारा ज.जा.उ.यो. निधि की निगरानी

लेखापरीक्षा हेतु चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल ज.जा.उ.यो. निधि में भारी राशि होने के कारण योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार एक मजबूत और दक्ष निगरानी तंत्र आवश्यक था। यह राज्य स्तर पर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान राज्य स्तर पर भी खराब निगरानी पायी गयी जैसा कि एम.आई.एस. की कमी, किसी भी निगरानी प्रारूप की गैर-उपलब्धता आदि से स्पष्ट था। महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि ज.जा.उ.यो. के लिए अलग से निगरानी के लिए कोई संकल्पना नहीं थी। विवरण अनुबंध 46 (i) में तथा 46 (ii) में है।

जनजातीय उप योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के बड़े पैमाने पर विस्तार तथा 28 मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक सूचना के प्रवाह की जटिल प्रकृति के कारण, इसकी निगरानी के लिए समग्र रूप से प्रगति को दर्ज करने को एक विशिष्ट कार्यप्रणाली की आवश्यकता है। इस अध्याय में लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि नोडल इकाईयों ने जो प्रगति तथा संपूर्ण निगरानी को जोड़ने के लिए जो संकल्पना की थी वह अधिकांशतः गैर-क्रियात्मक थी।

अनुशंसारं

- ❖ प्रत्येक मंत्रालय विभाग के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. के गठन, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए समर्पित नोडल इकाईयों को क्रियात्मक बनाया जाना चाहिए तथा ज.जा.उ.यो. के संपूर्ण निगरानी ढांचे में जनजातीय मामले के मंत्रालय की पर्यवेक्षण भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए।
- ❖ अ.ज.जा. के सामाजिक आर्थिक विकास पर ज.जा.उ.यो. के प्रभाव के निर्धारण का मूल्यांकन अध्ययन का संचालन किया जाना चाहिए तथा ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों का योजना प्रक्रिया हेतु पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

अध्याय-6

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा 5वीं पंच वर्षीय योजना (1974-79) में जनजातीय उप-योजना की संकल्पना की शुरूआत की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ.ज.जा. के लाभ हेतु व्यय किए गए संसाधनों का अंश, कम से कम देश की जनसंख्या में उनके अंश के अनुपात में था। इस प्रकार, जनजातीय उप-योजना का मूल उद्देश्य दोनों भौतिक एवं वित्तीय दृष्टि में अ.ज.जा. के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में सामान्य क्षेत्रों से परिव्यय एवं लाभों के प्रवाह को चैनल करना है।

दोषपूर्ण योजना बनाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010 तक, जनजातीय उप-योजना तथा जनजातीय लोगों को प्रवाहित लाभों के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करने के बीच कोई संबंध नहीं था। तटुपरांत, योजना आयोग द्वारा सभी क्षेत्रों एवं योजनाओं में ज.जा.उ.यो हेतु निधियों के कुछ भाग को चिन्हित करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आवंटित निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र अपर्याप्त है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना के निर्माण एवं अंतिम रूप देने की प्रक्रिया, जो कि ज.जा.उ.यो. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित आधार था, के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना बनाना दोषपूर्ण था जिन्हें ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत अपेक्षित रूप में जनजातीय लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिए बिना ही निर्मित किए गया था। परिकल्पित रूप से अ.ज.जा. के विकास में अंतराल के आकलन के लिए किसी अध्ययन को संचालित नहीं किया गया था। कई मामलों में, जहां नोडल अभिकरणों का गठन किया गया था, उनके पास ज.जा.उ.यो के निर्माण, कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग पर कोई भूमिका/नियंत्रण नहीं था।

निधियों का खराब उपयोग

योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि ज.जा.उ.यो. निधियों के कम उपयोग तथा विपथन के कई मामले पाए गए थे। जबकि, कुछ राज्यों ने जिला/कार्यान्वयन अभिकरणों को अंश का अपना अनुपात जारी नहीं किया था। विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य सरकार से नोडल अभिकरण/कार्यान्वयन अभिकरण की निधियों के निर्गम में विलंब पाए गए थे।

पृथक खाते का रखरखाव न करना

यद्यपि केन्द्र स्तर से निधियों को तीन मुख्य शीर्ष अर्थात् सामान्य/अ.जा/अ.ज.जा. (ज.जा.उ.यो) को राज्यों तथा राज्यों से जिला कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किया गया था, प्रत्येक स्तर पर घटक-वार रूप से व्यय के लेखे नहीं रखे गये थे। राज्यों/जिलों ने किए गए व्यय के घटक-वार विवरणों को न दर्शाए हुए समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। परिणामस्वरूप, ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत सटीक व्यय का पता नहीं लगाया जा सका था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के व्यय बजट में ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत किए गए व्यय के आंकड़े दर्शाए गए थे जबकि यह उपयोगिता प्रमाणपत्रों में उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण ऐसे आंकड़ों की विश्वसनीयता के साथ राशियों के समेकन के तरीकों पर सवाल उठाता है। यह भी दर्शाता है कि ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निर्गमों को वास्तव में अंतिम व्यय के रूप में माना गया है जोकि अपर्याप्त अभ्यास तथा व्यवस्थित अक्षमताओं को इंगित करता है।

कमजोर मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन तंत्र

केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन दोषयुक्त था तथा सशक्तिकरण की आवश्यकता थी। मा.सं.वि. मंत्रालय स्वयं के द्वारा बनाई गई योजना के तहत, ज.जा.उ.यो. निधियों की मॉनीटरिंग हेतु ढांचे को विकसित करने में विफल रहा जैसे कि उप-योजना अनुसंधान केन्द्र तथा अ.ज.जा.शि.प्र.सू.प्र. जिन्हे आज तक स्थापित एवं विकसित नहीं किया जा सका था। स्वा.एवं प.क. मंत्रालय में किसी नोडल समर्पित इकाई को निर्मित नहीं किया गया था। राज्य स्तर/ जिला स्तर पर कोई अलग मॉनीटरिंग समिति को गठित नहीं किया गया था जैसाकि दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है ताकि ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत

योजनाओं/कार्यक्रमों के इष्टतम कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। जनजातीय मामला मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की वार्षिक योजना की निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं था।

सरकार को ऐसी प्रणालियों को बनाने की आवश्यकता है जिससे यह आश्वासन मिल सके कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया था जिसके लिए उसे अभिप्रेत किया गया था।

नई दिल्ली

दिनांक : 29 सितम्बर 2015



(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 5 अक्टूबर 2015



२५ अक्टूबर २०१५
(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पैरा 2.1.4 के संदर्भ में: लेखापरीक्षा प्रतिचयन)

चयनित 132 ज़िलों के चयनित 356 प्रखंडों की सूची

जम्मू एवं कश्मीर	
ज़िला	चयनित ब्लॉक
लेह	लेह
	खालसी
कारगिल	कारगिल
	शंकु
पुँछ	मेंढर
	हवेली
रजौरी	बुधहल
	रजौरी
रियासी	गुल गुलाबगढ़
	रियासी
अनंतनाग	कुकेरनाग
	पहलगाम

केरल	
ज़िला	चयनित ब्लॉक
कासरगोड़	परअप्पा
	कराडका
वायनाड़	सुलतानबथेरी
	मनाथावडे
पलक्कड़	अट्टापेड़डी
	कोलनगोडे
	चित्तूर
इडुक्की	इलम देसम
	देवीकुलम

मणिपुर	
ज़िला	चयनित ब्लॉक
सेनोपति	माव-मारम
	पुरुल
चूड़ाचांदपुर	चूड़ाचांदपुर
	चूड़ाचांदपुर उत्तरी
उखरूल	उखरूल मध्य
	उखरूल उत्तरी

सिक्किम	
जिला	चयनित ब्लॉक
पूर्वी जिला	गंगटोक पक्योंग
पश्चिमी जिला	गयालशिंग सोरेंग

त्रिपुरा	
जिला	चयनित ब्लॉक
पश्चिम त्रिपुरा	जिरानिया
	जामपुजला
	बिशालगढ़
	मनडई
दक्षिण त्रिपुरा	बोकाफा
	रूपैछड़ी
	किल्ला

अंडमान एवं निकोबार	
जिला	चयनित ब्लॉक
निकोबार	कार निकोबार नानकाउरी
दक्षिण अंडमान	पोर्ट ब्लेयर लिटिल अंडमान

दमन एवं दीव	
जिला	चयनित ब्लॉक
दमन	दमन
दीव	दीव

छत्तीसगढ़	
जिला	चयनित ब्लॉक
सरगुजा	अम्बिकापुर
	लुंदरा
जशपुर	पाथलगांव
	बगीचा
रायगढ़	उदयपुर (धरमजयगढ़)
	लैलुंगा
बिलासपुर	कोटा
	पेंड्रा रोड गोरिल्ला
	मारवाही
बस्तर	बस्तर
	जगदलपुर

कोडागांव	कोडागांव
	मकड़ी
सूरजपुर	सूरजपुर
	प्रतापपुर
बलराम पुर	वाडाफनगर
	रामानुजगंज

आन्ध्र प्रदेश	
जिला	चयनित ब्लॉक/मंडल
आदिलाबाद	नारनौर
	उत्तनूर
	इंदरवैली
	अदिलाबाद
गुंटुर	गुंटुर
	मचेरला
	वेलदूरथी
	बोलापल्ली
विजयनगरम	सलूर
	पाचीपेटा
	जी.आई.पुरम
	कुरुपम
वारंगल	महबूबाबाद
	मारीपेडा
	गुड्हर
	कुरावी
खन्माम	कोथागुडेम
	तेकूलापल्ले
	येलांडू
	सिंगरेनी
विशाखापटनम	चिन्तापल्ले
	गुडेमकोथावीधि
	अराकू वैली
	जी. मदुगुला
श्री पोद्दीश्रीरामुलु नेल्लोर	नेल्लोर
	कोवर
	गुड्हर
	कावली

असम	
जिला	चयनित ब्लॉक
कोकराझार	कोकराझार (पीटी)
	गोसाईगाँव (पीटी)
गोलपाड़ा	बालीजाना

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

	दूधनई
सोनितपुर	धेकियाजूली (पीटी)
	गोहपुर
लखीमपुर	उत्तरी लखीमपुर
	धकुआखाना (पीटी)
धेमाजी	जोनाई
	सिसीबरगांव
कार्बा आंगलोंग	रोंगखांग.डॉंगकामोकाम
	सांमेलांगसो/हावडाघाट
कामरूप (आरा)	बोको
	छायगांव
	रामपुर/गोरोईमारी
उदलगुरी	उदलगुरी
	हरीसिंगा

बिहार	
जिला	चयनित ब्लॉक
पश्चिम चंपारण	सिघाव
	गौनाहा
	रामनगर
	मेनातनर
अररिया	रानीगंज
	फॉरबिसगंज
किशनगंज	पोठिया
	ठाकुरगंज
पूर्णिया	पूर्णिया ईस्ट
	धमदाहा
	बनमंखी
कटिहार	मनिहारी
	कोरहा
	अमदाबाद
	कटिहार
गोपालगंज	कूचायकोट
	हथुआ
	भोरे
सिवान	सिसवान
	रघुनाथपुर
	दरौली
	सिवान
आगलपुर	पिरपेंती
	कहलगांव
	सोन्हौला
	रंगरा चौक
बांका	कटोरिया

	बौसी
	चानन
कैमूर (भभुआ)	अधौरा
	चैनपुर
	भभुआ

ગુજરાત	
જિલા	ચયનિત બ્લોક
સાબરકાંઠા	ખેદબ્રહ્મા
	મિલોદા
	વિજયનગર
પંચમહલ	સંતરામપુર
	કડાના
	ઘોઘમબા
દોહદ	ઝાલોદ
	દોહદ
નવસારી	ચિખલી
	બંસડા
વલ્સાડ	કપરાડા
	ઘરમપુર
સૂરત	માંડવી
	સૂરત સિટી
તાપી	વ્યારા
	સાંગથ
વડોદરા	જેતપુરપાવી
	છોટા ઉદ્યપુર
	કાવંત

ઝારખંડ	
જિલા	ચયનિત બ્લોક
પૂર્વ સિંહભૂમ	ગોલમુરી-સહ-જુગસલાય
	પોટકા
	ચકુલિયા
દુમકા	શિકારીપારા
	રામગઢ
રાঁચી	কাংকে
	নামকুম
	মন্দর
	বেরো
খુঁটી	খুঁটী
	কারা
গুমলা	গুমলা
	ঘাঘরা

	सिसाई
सिमडेगा	थथान्वंगर
	सिमडेगा
पश्चिमी सिंहभूम	चक्रधरपुर
	चाईबासा
	बंदगाँव
	खूटपानी

कर्नाटक	
जिला	चयनित ब्लॉक
बेलगाम	बेलगाम
	गोकक
बीदर	बसावकल्याण
	होमनाबाद
रायचूर	देवदुर्गा
	मानवी
बेल्लारी	बेल्लारी
	कुदलिगी
चित्रदुर्ग	चल्लाकेरे
	चित्रदुर्ग
देवांगिरी	देवांगिरी
	हडपन्नहल्ली
तुमकुर	पावागडा
	तुमकुर
बैंगलोर	अनेकल
	बैंगलोर उत्तरी
मैसूर	मैसूर
	हेगाददेवनकोटे

मध्य प्रदेश	
जिला	चयनित ब्लॉक
रत्नाम	रत्नाम
	सैलाना
धार	कुकशी
	धार
खारगोन (पश्चिम निमार)	भगवानपुरा
	झीरनया
बरवानी	सेंधवा
	राजपुर
बेतुल	भैसदेही
	घोदाड़ोंगरी
दिंदोरी	दिंदोरी
	शाहपुरा

मांडला	बिछिया
	घुघरी
छिंदवारा	जमाई
	हराई
	तमिया
सेओनी	लखनादन
	घनसौर
बालाघाट	बैहर
	पारसवाडा

महाराष्ट्र	
जिला	चयनित ब्लॉक
नन्दुरबार	नवापुर
	शहादे
धूले	सकरी
	शिरपुर
जलगांव	चोपडा
	यावल
	जलगांव
	रवेर
अमरावती	धरनी
	चिखलदरा
	वरुद
गढचिरोली	एटापल्ली
	धनोरा
	अहेरी
चंदपुर	चिमूर
	चंदपुर
	वरोरा
यवतमल	यवतमल
	केलापुर
	पुसाद
	घटनजी
नासिक	नासिक
	दिंदोरी
	सुरगाना
थाणे	धनाऊ
	पालघर
	तलासरी
नागपुर	नागपुर (शहरी)
	रामटेक
	हिंगना

ओडिशा	
जिला	चयनित ब्लॉक
संभलपुर	बमारा
	कोचिंदा
	जुजुमारा
	जमंकिरा
सुंदरगढ़	राजागंगापुर
	कुवरमुन्डा
	बिसरा
	बालीसंकर
केंदुझार	केंदुझर सदर
	घाटगांव
	पटाना
	तेलकोई
मूरभंज	जाशीपुर
	खुंटा
	उडाला
	बनगिरिपोसी
कंधमाल	बालीगुडा
	डेरिंगबाड़ी
	फिरिगिया
	रायकिया
कालाहांडी	जयापटना
	भवानीपटना
	कोकासारा
रायगड़ा	रायगड़ा
	गुनुपुर
	भीष्मकाटक
कोरापुट	बोपारीगुडा
	कोटपद
	पौड़गी
	जैपोर
नबरंगपुर	ऊमरकोट
	दाबूगान
	रायगढ़

राजस्थान	
जिला	चयनित ब्लॉक
अलवर	राजगढ़
	थानागाजी
	लक्ष्मणगढ़
करौली	तोडाभीम
	सपोत्रा
सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर

	गंगापुर
दौसा	लालसोट
	दौसा
जयपुर	जाम्बारामगढ़
	बस्सी
	संगानेर
सिरोही	आबु रोड़
	पिंडवाड़ा
डुंगरपुर	डुंगरपुर
	सिमलवाड़ा
बांसवाड़ा	कुशालगढ़
	बागीडोरा
उदयपुर	गिरवा
	कोटा
	झडोल
प्रतागढ़	धारियाबाद
	पीपलखूट

तमिलनाडु	
जिला	चयनित ब्लॉक
तिरुवेल्लूर	मिन्जुर गुम्मीडीपूँडी एल्लापुरम पूँडी
कांचीपुरम्	थोमस मलाई कट्टनकोलाथुर थिरुकलाउकुन्दरम थिरुपोरूर
वेल्लौर	अलंगायम अनायकुट माधानुर जोलरपेट
तिरुवनामलाई	जवादुमलई थंड्रमपेट तिरुवन्नामलई किलेन्नाथुर
विलुप्पुरम	कलरायन हिल्स जिंगी वनुर कनाई
सलेम	पी.एन. प्लायम येरकौड गंगावल्ली कोलातुर

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

नामाकल	कोल्ली हिल्स नामगिरी पेट सेन्दामंगलम वैनननदुर
नीलगिरी	गुदालुर कोटागिरी
धर्मपुरी	पप्पीरेड्डीपट्टी हरूर

पश्चिम बंगाल	
जिला	चयनित ब्लॉक
दार्जिलिङ	फनसिदेवा दार्जिलिङ पुलबाज़ार
जलपाईगुड़ी	जोरेबुन्डलोव सुकियापोखरी कलचिनी मल धूपगुरी
बर्द्धमान	जमालपुर मेमारी – I कलना – II मेमारी – II
बाँकुरा	रानीबूঁধ रायपुर छटনা খতা
পুরলিয়া	কাশীপুর বুঁদবান মনবাজার - II বলরামপুর
পश्चिम मেदिनिपুর	নরাযণগঢ বিনপুর - II দেবরা নয়াগ্রাম

अनुबंध-2

(पैरा 2.1.4. के संदर्भ में: लेखापरीक्षा प्रतिचयन)

चयनित जिलों एवं ब्लॉकों की सं.

क्र.सं.	राज्य के नाम	जिलों की सं.	ब्लॉकों की सं.
1.	आन्ध्र प्रेदश	7	28
2.	असम	8	17
3.	बिहार	10	32
4.	छत्तीसगढ़	8	17
5.	गुजरात	8	19
6.	जम्मू एवं कश्मीर	6	12
7.	झारखण्ड	7	20
8.	कर्नाटक	9	18
9.	केरल	4	9
10.	मध्य प्रदेश	10	21
11.	महाराष्ट्र	10	30
12.	मणिपुर	3	6
13.	ओडिशा	9	33
14.	राजस्थान	10	23
15.	सिक्किम	2	4
16.	तमिलनाडु	9	32
17.	त्रिपुरा	2	7
18.	पश्चिम बंगाल	6	22
19.	अड़मान एवं निकोबार	2	4
20.	दमन एवं दीव	2	2
	कुल	132	356

अनुबंध-2(i)

(संदर्भ पैरा 2.3 के संदर्भ में: लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रेवश बैठक	पृष्ठ संख्या	निर्गम बैठक	पृष्ठ संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-
2.	अंडमान निकोबार	28 मई 2013	13	11 सितम्बर 2014	13
3.	असम	20 मई 2014	140	02 फरवरी 2015	199
4.	बिहार	30 जुलाई 2014	80	20 जनवरी 2015	82
5.	छत्तीसगढ़	11 जून 2014	72	-	-
6.	दमन एवं दीव	-	-	-	-
7.	गुजरात	27 मई 2014	16	-	-
8.	जम्मू	18 जुलाई 2014	124	-	-
9.	झारखण्ड	29 मई 2014	88	-	-
10.	कर्नाटक	जून 2014	66	10 नवम्बर 2014	66
11.	केरल	03 जून 2014	49	-	-
12.	मध्य प्रदेश	जून 2014	269	-	-
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	-
14.	मणिपुर	जुलाई 2014	29	- 2014	28
15.	ओडिशा	22 मई 2014	32	-	-
16.	राजस्थान	-	-	26 मार्च 2015	230
17.	सिक्किम	-	60	-	59
18.	तमिलनाडु	30 मई 2014	210	20 नवम्बर 2014	210
19.	त्रिपुरा	03 जून 2014	145	17 दिसम्बर 2014	154
20.	पश्चिम बंगाल	जून 2014	32	-	-

अनुबंध-3

(संदर्भ पैरा 3.2 के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का अनुचित निर्धारण तथा कम जारी किया जाना)

क्र.सं.	28 मंत्रालयों/विभागों के नाम	मंत्रालय के लिए अनुशंसित ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों का निर्धारण (प्रतिशत में)
संवर्ग I	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों के निर्धारण के लिए बाध्यता नहीं वाले मंत्रालय/विभागों	0.0
संवर्ग II	मंत्रालयों/विभागों जिन्हे आंशिक निर्धारण करना अनिवार्य था (उनके योजना व्यय के 7.5% से कम)	--
1	दूरसंचार विभाग	0.25
2	कपड़ा मंत्रालय	1.20
3	जल संसाधन मंत्रालय	1.30
4	खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	1.40
5	संस्कृति मंत्रालय	2.00
6	आयुष विभाग	2.00
7	आ.एवं.श.ग.उ. मंत्रालय	2.40
8	पर्यटन मंत्रालय	2.50
9	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.50
10	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	8.20
11	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	3.60
12	खनन मंत्रालय	2.00
13	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6.70
संवर्ग III	मंत्रालयों/विभागों जिन्हे उनके अपने निर्धारण योजना व्यय के 7.5 से 8.2% के बीच अनिवार्य होगा।	
1	उच्च शिक्षा विभाग	7.50
2	कृषि एवं सहकारिता विभाग	8.00
3	वृ.ल.सू.उ. मंत्रालय	8.20
4	कोयला मंत्रालय	8.20
5	युवा मामले विभाग	8.20
6	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	8.20
7	पंचायतीराज मंत्रालय	8.20
8	खेल विभाग	8.20
9	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.20
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.20
संवर्ग IV	मंत्रालयों/विभागों जिन्हे निर्धारण हेतु ज.जा.उ.यो अंतर्गत उनके अपने योजना व्यय के 8.2% से अधिक निर्धारण अनिवार्य होगा।	--
1	भूमि संसाधन विभाग	10.00
2	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10.00
3	विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10.70
4	ग्रामीण विकास विभाग	17.50
5	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	100.00

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

अनुबंध-4

(पैरा 3.2 (ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का कम जारी करना)

(₹ करोड़ में)

अवधि-वार तथा योजनाएँ-वार कम निर्गम

योजना का नाम	अवधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत जारी निधियाँ जैसा योजनाओं द्वारा प्रतिवेदित हैं।	कम निर्गम
1	2	3	4	5	6=4-5
स.शि.आ.	2011-12	61734.36	6518.23	2276.26	4241.97
	2012-13	69875.30	7475.67	2632.90	4842.77
	2013-14	49130.24	5265.57	2910.09	2355.48
म.भो.पो.	2011-12	9901.91	1110.66	1087.49	23.17
	2012-13	10867.90	1277.26	1172.75	104.51
	2013-14	10927.21	1417.23	1339.82	77.41
आई.सी.टी.	2011-12	500.00	53.50	53.21	0.29
	2012-13	352.70	37.50	37.45	0.05
	2013-14	559.14	42.28	42.28	0
कम निर्गम की कुल राशि					11645.65

अनुबंध-5

(पैरा 3.2(ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का जारी नहीं किया जाना)

आई.सी.टी

राज्य/सं.श.क्षे. का नाम	वर्ष जिसमें निधियाँ जारी नहीं की गयी थीं
अंडमान एवं निकोबार	2011-12 एवं 2013-14
कर्नाटक	2013-14
केरल	2013-14
मध्य प्रदेश	2011-12, 2012-13 एवं 2013-14
राजस्थान	2011-12 एवं 2013-14
ओडिशा	2013-14
तमिलनाडु	2012-13 एवं 2013-14
त्रिपुरा	2012-13
पश्चिम बंगाल	2012-13

आर.एम.एस.ए.

राज्य का नाम	वर्ष जिसमें निधियाँ जारी नहीं की गयी थीं
बिहार	2011-12 एवं 2013-14
गुजरात	2011-12 एवं 2013-14
जम्मू एवं कश्मीर	2011-12
झारखण्ड	2012-13
महाराष्ट्र	2011-12 एवं 2012-13
सिक्किम	2012-13

टी.ई.एस

राज्य/सं.श.क्षे.का नाम	वर्ष जिसमें निधियाँ जारी नहीं की गयी थीं
अंडमान एवं निकोबार	2011-12 एवं 2013-14
बिहार	2011-12 एवं 2012-13
त्रिपुरा	2012-13 एवं 2013-14

अनुबंध-6

(पैरा 3.2 (ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का कम जारी करना)

(₹ करोड़ में)

अवधि-वार तथा योजनाएं-वार कम निर्गम					
परिषद का नाम	अवधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत जारी निधियाँ जैसा योजनाओं द्वारा प्रतिवेदित हैं।	कम निर्गम
1	2	3	4	5	6=4-5
वि.अ.आ.	2011-12	3204.50	240.00	240.00	0
	2012-13	3473.75	298.58	196.08	102.50
	2013-14	3087.90	240.31	209.33	30.98
	कुल	9766.19	778.89	645.41	
इं.गां.रा.मु.वि.	2012-13	55	4.13	4.13	0
	2013-14	111.50	8.36	6.38	1.98
	कुल	166.50	12.49	10.51	
अ.भा.त.शि.प.	2013-14	412.50	30.94	27.75	3.19
	कुल	412.50	30.94	27.75	
				कुल	138.65

अनुबंध-7

(पैरा 3.2 (ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का कम जारी करना)

(₹ करोड़ में)

अवधि-वार तथा योजनाएँ-वार कम जारी करना					
परिषद का नाम	अवधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत जारी निधियाँ जैसा योजनाओं द्वारा प्रतिवेदित है	आधिक्य/कमी
1	2	3	4	5	6=4-5
कर्क रोग, मधुमेह, हृदयवाहिका संबंधित रोग तथा हृदयाघात की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (क.रो.म.ह.ह.रो.नि.रा.का.)	2011-12	125.00	10.00	14.96	-4.96
	2012-13	300.00	24.60	0.01	24.59
	2013-14	300.00	32.70	9.30	23.40
कुल		725.00	67.30	24.27	
वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (वृ.स्वा.रो.रा.का.)	2011-12	75.00	0	0	0
	2012-13	150.00	12.30	4.82	7.48
	2013-14	50.00	5.45	0.30	5.15
कुल		275.00	17.75	5.12	
आधारभूत संरचना अनुरक्षण	2011-12	4280.00	327.00	373.96	-46.96
	2012-13	4928.00	527.64	573.30	-45.66
	2013-14	4928.00	537.13	489.83	47.30
कुल		14136.00	1391.77	1437.09	
प्रतिरक्षण (पी.पी.आई.)	2011-12	871.00	101.90	26.00	75.90
	2012-13	1605.00	171.51	27.39	144.12
	2013-14	1605.00	174.94	41.40	133.54
कुल		4081.00	448.35	94.79	
राज्य पी.आई.पी. के लिए नम्य पूल-आर.सी.एच. नम्य पूल तथा मिशन नम्य पूल (न.पू.रा.पी.आई.पी.-आर.सी.एच. एवं एम.एफ.पी.)	2011-12	9890.00	1334.00	656.54	677.46
	2012-13	10789.51	1155.21	940.4	214.81
	2013-14	11111.01	1211.07	1237.11	-26.04
कुल		31790.52	3700.28	2834.05	
कुल योग		51007.52	5625.45	4395.32	
वर्ष-वार अधिक/कम आवंटन					
2011-12		15241.00	1772.90	1071.46	701.44
2012-13		17772.51	1891.26	1545.92	345.34
2013-14		17994.01	1961.29	1777.94	183.35
कुल कम जारी					1353.75
कुल अधिक जारी					-123.62

अनुबंध-8

(पैरा 3.4 के संदर्भ में: वर्ष के अंत में निधियों का जारी करना)

वर्ष के अंत के दौरान ज.जा.उ.यो. अंतर्गत योजना-वार एव वर्ष-वार जारी सहायता अनुदान (प्रत्येक वर्ष मार्च को)						(₹ करोड़ में)	
क्रम सं.	योजनाओं का नाम	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2012-13
			तिथि	राशि	तिथि	राशि	तिथि
I	एन.पी.सी.डी.सी.एस	मध्य प्रदेश	29.3.12	1.42	-	-	-
			30.03.12	0.07	-	-	-
		असम	30.3.12	0.22	-	-	-
			30.3.12	0.07	-	-	-
		छत्तीसगढ़	30.03.12	0.07	-	-	-
		सिक्किम	30.3.12	0.08	-	-	-
			30.3.12	0.07	-	-	-
कुल				2.00	-	-	-
II	आधारभूत संरचना अनुरक्षण	छत्तीसगढ़	27.03.2013	8.34	-	-	-
		गुजरात	0	0.00	-	-	25.03.2014 13.32
		केरल	27.03.2013	0.26	-	-	-
		पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	25.03.2013 6.20
		मेघालय	-	-	-	-	25.03.2013 13.99
		त्रिपुरा	27.03.2013	1.27	-	-	-
कुल			-	9.87	-	-	33.51
III	प्रतिरक्षण (पी.पी.आई.)	बिहार	01.03.2012	0.62	-	-	-
		हिमाचल प्र.	-	-	14.03.13	1.95	-
		लक्षद्वीप	-	-	14.03.13	0.04	-
		दा. एवं ना. हवेली	-	-	14.03.13	0.06	-
		महाराष्ट्र	01.03.2012	2.30	-	-	-
		ओडिशा	-	-	14.03.13	6.37	-
		कर्नाटक	-	-	14.03.13	10.33	-
		केरल	-	-	14.03.13	3.71	-
		छत्तीसगढ़	-	-	14.03.13	4.92	-
कुल			-	2.92	-	27.38	-
IV	मिशन नम्य पूल	हिमाचल प्रदेश	29.03.2012	13.00	-	-	-
		ओडिशा	29.03.2012	9.00	-	-	-
		राजस्थान	29.03.2012	40.00	-	-	-
		तमिनाडु	29.03.2012	25.00	-	-	-
		उत्तराखण्ड	29.03.2012	3.14	-	-	-
कुल			-	90.14	-	-	-
V	आर.सी.एच.नम्य पूल	आन्ध्र प्रदेश	30.03.2012	10.73	-	-	-
		छत्तीसगढ़	30.03.2012	10.05	-	-	-
				14.95	-	-	-
		दादर एवं नगर हवेली	30.03.2012	0.08	-	-	-
				0.10	-	-	-
				0.05	-	-	-
		दमन एवं दीव	30.03.2012	0.01	-	-	-
		गुजरात	30.03.2012	2.79	-	-	-

			2.21	-	-	-	-	-
हरियाणा	30.03.2012	1.12	-	-	-	-	-	-
		5.67	-	-	-	-	-	-
		3.21	-	-	-	-	-	-
		3.21	-	-	-	-	-	-
		1.43	-	-	-	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	30.03.2012	2.79	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	30.03.2012	9.19	-	-	-	-	-	-
		5.81	-	-	-	-	-	-
केरल	20.03.2012	8.71	-	-	-	-	-	-
		2.73	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रेदश	30.03.2012	8.86	-	-	-	-	-	-
		26.14	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	30.03.2012	8.51	-	-	-	-	-	-
		21.49	-	-	-	-	-	-
पांडिचेरी	30.03.2012	0.24	-	-	-	-	-	-
पंजाब	20.03.2012	4.15	-	-	-	-	-	-
		2.33	-	-	-	-	-	-
	30.03.2012	3.24	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	30.03.2012	41.44	-	-	-	-	-	-
तमिनाडु	14.03.2012	17.90	-	-	-	-	-	-
		8.47	-	-	-	-	-	-
उत्तराखण्ड	30.03.2012	8.48	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	29.03.2012	25.90	-	-	-	-	-	-
कुल		262.00	-	-	-	-	-	-
कुल योग		49 मामले	366.93	7 मामले	27.38	3 मामले	33.51	
59 मामले में ₹ 427.82 करोड़								

अनुबंध-9 (i)

(पैरा सं. 3.8.1 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो निधियों हेतु पृथक लेखे का अनुरक्षण न किया जाना)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
असम	स.शि.अ., रा.मा.शि.अ., म.भो., सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	• ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधि के संबंध में पृथक लेखे नहीं रखे गए थे। ज.जा.उ.यो सहित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त सभी निधियों को एक ही निधि में संचित किया गया था। इस प्रकार, प्राप्त की गई ज.जा.उ.यो. निधियों में से व्यय की राशि, गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा अंत शेष को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
बिहार	रा.मा.शि.अ.	• राज्य में जनजातीय व्यक्तियों तथा परिवारों को प्रत्यक्ष तथा विशिष्ट लाभ प्रदान करने के लिए व्यय दर्शाने वाले पृथक अभिलेख/लेखे रखने के लिए कोई कार्यपद्धति नहीं अपनायी गई थी।
दमन एवं दीव	म.भो., स.शि.अ., और रा.मा.शि.अ.	• चूंकि ज.जा.उ.यो. निधियों तथा सं.राक्षे की अपनी निधियों को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर भिला दिया गया था, इसलिए जिला, ब्लॉक तथा विद्यालय स्तर पर ज.जा.उ.यो के कोई पृथक विस्तृत लेखे नहीं थे।
गुजरात	स.शि.अ., रा.मा.शि.अ., म.भो., तथा सू. एवं सं.प्रौ.	• मि.डे.म के अलावा व्यय को मॉनीटर करने के लिए किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। तथापि राज्य परियोजना निदेशक, एस ए एस तथा सभी चयनित जिलों के जि.प.स. ज.जा.उ.यो. अनुदान हेतु पृथक लेखाओं का अनुरक्षण नहीं कर रहे थे।
झारखण्ड	म.भो. एवं स.शि.अ.	• ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो तथा सामान्य के अंतर्गत व्यय का भेद करने हेतु कोई पृथक अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
कर्नाटक	म.भो. एवं रा.मा.शि.अ.	• जिला तथा विद्यालय स्तर पर ज.जा.उ.यो. संघटक हेतु कोई पृथक आबंटन नहीं किया गया था।
मध्य प्रदेश	स.शि.अ., म.भो., रा.मा.शि.अ. एवं अ.शि.यो.	• न तो ज.जा.उ.यो. निधियों हेतु किसी स्तर पर व्यय के कोई पृथक अभिलेख अनुरक्षित किए गए थे और न ही पृथक उपयोग प्रमाणपत्र भा.स. को प्रस्तुत किए गए थे।
मणिपुर	स.शि.अ., म.ओ., रा.मा.शि.यो., अ.शि.यो.	• विभाग ने ज.जा.उ.यो हेतु निर्दिष्ट निधियों हेतु पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए थे।
राजस्थान	रा.मा.शि.अ., म.भो.यो.	• न तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पृथक खाता खोला गया और न ही पृथक अभिलेख पुस्तिका अनुरक्षित की गई थी। इस प्रकार, आर एम एस ए के वास्तविक उपयोग तथा शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका। • जिला स्तर पर कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
तमिलनाडु	रा.मा.शि.अ., अ.शि.यो.	• प्राप्त की गई निधियों के संचित खाते में रखा गया है। ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत व्यय पर नजर रखने के लिए कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए हैं। • तमिलनाडु में टी ई एस हेतु कोई पृथक संचित लेखा नहीं है। भा.स. राज्य को सीधे निधियां जारी करती हैं। तत्पश्चात निधियां राज्य बजट के माध्यम से आबंटित की जाती हैं। ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत व्यय पर नजर रखने के लिए कोई पृथक लेखा नहीं बनाया गया है।
आन्ध्र प्रदेश	स.शि.अ.	• एस पी डी, आर वी एम (स.शि.अ.) आ.प्र. हैदराबाद जि.प.अ. को अन्य शीर्षों के अंतर्गत जारी निधियों सहित ज.जा.उ.यो. निधियां (केन्द्रीय तथा राज्य दोनों अंश) जारी कर रहे हैं। स.शि.अ. निधियां जारी करते समय अन्य निधियों से ज.जा.उ.यो. निधियों का कोई विभाजन नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के पास आबंटित की गई वास्तविक राशियाँ उपलब्ध नहीं थी।

झारखण्ड	स.शि.अ.	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. तथा राज्य सरकार तीन अलग-अलग शीर्षों अर्थात् ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. तथा सामान्य के अंतर्गत स.शि.अ. के कार्यान्वयन हेतु झा.शि.प.प के बैंक खाते में सीधे निधियां जारी करती हैं। झा.शि.प.प. ने अ.ज.जा., अ.जा. या सामान्य का भेद किए बिना स.शि.अ. के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार ये निधियां जिलों/विधानसभा को सीधे संवितरित की। परिणामतः भा.स. तथा राज्य सरकार द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत संस्वीकृत निधियों का केवल अ.ज.जा के लिए ही उपयोग नहीं किया जा रहा था।
केरल	म.भो., सू. एवं सं.प्रौ. एवं अ.शि.यो.	<ul style="list-style-type: none"> कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करते समय राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए लिए पृथक बजट शीर्षों/उप शीर्षों के अंतर्गत निर्दिष्ट ज.जा.उ.यो. निधियों को नहीं रखा गया था।

अनुबंध-9 (ii)

(पैरा सं. 3.8.1 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो. निधि के पृथक लेखे का गैर-अनुरक्षण)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
मध्यप्रदेश	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का., रा.वृ.स्वा.से.का., रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान भा.स द्वारा राज्य एन सी डी प्रकोष्ठ को तीन निर्दिष्ट संघटकों जैसे सामान्य शीर्ष, जनजातीय उप योजना तथा अनुसूचित जाति संघटक योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश तथा राज्य अंश की राशि जारी की गई थी लेकिन दोनों अंशों को राज्य एन सी डी प्रकोष्ठ तथा राज्य स्वास्थ्य समितियों की कार्पेस निधि में मिला दिया गया तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निर्दिष्ट किए बिना जिला एन सी डी प्रकोष्ठ तथा जिला स्वास्थ्य समितियों को जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त व्यय के पृथक अभिलेख नहीं रखे गए थे। ज.जा.उ.यो. निधियों हेतु पृथक उपयोग प्रमाणपत्र भा.स. अथवा राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
	आ.अ.यो.	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. ने तीन विभिन्न संघटकों अर्थात् सामान्य शीर्ष, ज.जा.उ.यो. तथा अ.जा.यो. में निधियां जारी की थी लेकिन राज्य स्तर पर बजट में ज.जा.उ.यो. निधियों के लिए पृथक कोड नहीं खोला गया तथा आ.अ.यो. निधियों के लिए प्रावधान सामान्य अनुदान अर्थात् अनुदान सं.-19 के अंतर्गत किया गया तथा जिलों को निर्दिष्टीकरण किए बिना निधियां जारी की गई। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के रूप में जारी की गई ₹207.40 करोड़ की कुल निर्दिष्ट निधियों को सरकार द्वारा सामान्य निधियों के तौर पर माना गया था।
झारखण्ड	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का.	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो., अ.जा.उ.यो. तथा सामान्य के अंतर्गत इस योजना पर जिला स्तर पर किए गए व्यय को राज्य एन सी डी प्रकोष्ठ द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया था, तथापि व्यय विवरण समेकित आधार पर तैयार किए गए थे।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. ने 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत ₹259.42 करोड़ तथा राज्य सरकार ने ₹64.57 करोड़ की निधियां जारी की। जे.आर.एच.एम.एस. ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जिलों को पृथक रूप से निधियां जारी करने के बजाय ज.जा.उ.यो., अ.जा.उ.यो. तथा सामान्य के अंतर्गत समेकित आधार पर निधियां संस्वीकृत की।
असम	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का.	<ul style="list-style-type: none"> रा.गा.स्वा.मि. के एन सी डी प्रकोष्ठ द्वारा भा.स. से ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्त निधि के संबंध में कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे। ज.जा.उ.यो सहित सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त सभी निधियों को एक ही कोष में संचित किया गया था।
ओडिशा	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 की अवधि के दौरान ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत ₹2.35 करोड़ आबंटित किए गए जबकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ₹6.68 करोड़ का कुल व्यय सामान्य शीर्ष के अंतर्गत

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

	नि.का.	व्यय कर दिया गया। पृथक ज.जा.उ.यो. लेखे का अनुरक्षण न किए जाने के कारण ज.जा.उ.यो. तथा गैर-ज.जा.उ.यो. शीर्षों के अंतर्गत व्यय अलग-अलग नहीं किया जा सका।
	रा.वृ.स्वा.से.का.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत ₹40.00 लाख के राज्य अंश सहित कुल ₹3.54 करोड़ जारी किए गए थे। लेकिन ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय के लिए कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किये गये थे। उक्त अवधि के दौरान ज.जा.उ.यो. संघटक सहित सामान्य शीर्ष में कुल ₹5.47 करोड़ का व्यय किया गया था।
जम्मू व कश्मीर	रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> व्यय की तुलना में ज.जा.उ.यो. के आबंटन संघटक का पृथक्करण न करना।
कर्नाटक	आ.अ.यो.	<ul style="list-style-type: none"> आ.अ.यो. के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमित कर्मचारियों के केवल वेतन संघटक को पूरा करने के लिए भा.स. निधियां जारी करती हैं। अतः भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी ₹59.28 करोड़ की निधि का अनुसूचित जनजातियों को व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक दोनों स्तर पर लाभ नहीं मिला।
सिक्किम	आ.अ.यो.	<ul style="list-style-type: none"> विभाग ने, राज्य में आ.अ.यो. के कार्यान्वयन हेतु भा.स. से ज.जा.उ.यो. के लिए प्राप्त निधि के लिए पृथक लेखाओं का अनुरक्षण नहीं किया था।
राजस्थान	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो. के लिए कोई पृथक व्यय दर्ज नहीं किया गया था।
बिहार	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 की अवधि के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत टीकाकरण हेतु कोई पृथक आबंटन प्राप्त नहीं किया गया था। व्यय के पृथक अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य ने निधियां अलग-अलग निर्दिष्ट नहीं की थी तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में अ.ज.जा की जनसंख्या के अनुसार पृथक रूप से निधियां जारी नहीं की थी राज्य अथवा जिला स्तर पर व्यय (₹12.12 करोड़) के कोई पृथक अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
तमில்நாடு	रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य संस्था ने ज.जा.उ.यो. संघटक हेतु कोई पृथक लेखाओं का अनुरक्षण नहीं किया है। परिणामतः वार्षिक लेखा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्तियों तथा व्यय को नहीं दर्शाता।
दमन व दीव	रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> दीव जिले हेतु कोई निधियां आबंटित नहीं की गई थीं।
केरल	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का., रा.वृ.स्वा.से.का., रा.पी.आई.पी.न.पू., आ.अ.यो. टीकाकरण	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो. निधियों का पृथक रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया था।

अनुबंध-10 (i)

(पैरा सं. 3.8.2 के संदर्भ में: केन्द्रीय सरकार द्वारा कम/विलम्बित निर्गम)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
गुजरात	स.शि.अ.	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार ने 2011-14 वर्षों के दौरान ₹1286.61 करोड़ राशि के अनुदान जारी नहीं किए, कार्यक्रम पूर्ण केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा।
छत्तीसगढ़	स.शि.अ. तथा रा.मा.शि.अ.	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कोई राशियां प्रदान नहीं की गई थी जबकि आर एम एस ए के लिए 2013-14 के दौरान निधि का नौ प्रतिशत जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत स.शि.अ. हेतु निधियों का केवल 18 प्रतिशत से 22 प्रतिशत आबंटित किया गया था।
आन्ध्र प्रदेश	स.शि.अ. सू. एवं सं.प्रौ.	<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 तथा 2013-14 वर्षों के लिए राज्य परियोजना निदेशक, आर.वी.एम (स.शि.अ.) आ.प्र. तथा हैदराबाद को संबंधित वर्ष के बिलकुल अंत¹ में केन्द्रीय अंश जारी किया गया था। वर्ष 2011-12 के लिए ₹2.63 करोड़ का केन्द्रीय अंश दिसम्बर 2013 में जारी किया गया था लेकिन राज्य सरकार ने ₹27.10 लाख का अपना अंश जनवरी 2014 में जारी किया है। इस प्रकार क्रमशः 20 महीने तथा 12 महीने से अधिक का विलम्ब था।
त्रिपुरा	म.भो., रा.मा.शि.अ., सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	<ul style="list-style-type: none"> सभी चयनित योजनाओं में निधियों का केन्द्रीय अंश जारी करने का संदर्भ लिए बिना राज्य अंश जारी किया गया था। इस प्रकार, संबंधित केन्द्रीय अंश के अनुरूप राज्य द्वारा जारी वास्तविक निधियों का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका तथा राज्य अंश जारी करने में हुए विलम्ब को भी परिकलित नहीं किया जा सका। ₹56.73 लाख के राज्य अंश में से राज्य द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान केवल ₹36.25 लाख ही जारी किए गए थे।
सिक्किम	रा.मा.शि.अ.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य-अंश के कम तथा एक से दो वर्षों तक विलम्ब से जारी किये जाने के कारण भा.स. द्वारा 2010-11 वर्ष से संबंधित ₹3.23 करोड़ का अनावर्ती अनुदान मार्च 2012 में जारी किया गया था तथा 2009-10 एवं 2010-11 वर्षों से संबंधित ₹7.62 करोड़ के अनावर्ती अनुदान की अंतिम किश्त भा.स. द्वारा मार्च 2014 में जारी की गई।

¹ 24.02.2013 को ₹2460.00 लाख तथा 27.03.14 को ₹102.38 लाख

अनुबंध-10 (ii)

(पैरा सं. 3.8.2 के संदर्भ में: केन्द्रीय सरकार द्वारा कम/विलम्बित निर्गम)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
जम्मू एवं कश्मीर	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का., रा.वृ.स्वा.से.का.	<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का. तथा रा.वृ.स्वा.से.का. के अंतर्गत कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं।
केरल	रा.वृ.स्वा.से.का.	<ul style="list-style-type: none"> इडुक्की जिले में सात के.स्वा.के/प्रा.स्वा.के. में भा.स. ने 2011-14 की अवधि के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की थीं। इडुक्की जिले के सात के स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई थीं।
असम	रा.वृ.स्वा.से.का.	<ul style="list-style-type: none"> स्वा. एवं प.क.मं द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत 2011-14 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत रोग प्रतिरक्षण हेतु 2011-14 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत आर.सी.एच.एफ.पी. हेतु कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
झारखण्ड	रा.वृ.स्वा.से.का.	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. ने 2011-14 के लिए ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत रा.वृ.स्वा.से.का. में कोई निधि जारी नहीं की।
	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भा.सं तथा राज्य ने जा.जा.उ.यो. के अंतर्गत रोग प्रतिरक्षण हेतु कोई राशि जारी नहीं की।
मध्यप्रदेश	आ.अ.यो.	<ul style="list-style-type: none"> तीन संघटकों अर्थात् ए.एन.एम./एल.एच.वी. प्रशिक्षण, एच.एफ.डब्ल्यू टी सी तथा एम.पी.डब्ल्यू प्रशिक्षण के प्रति भा.स. ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत कोई अनुदान जारी नहीं किया।
	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के लिए प्रतिरक्षण के अंतर्गत 2011-12 से 2013-14 के दौरान कोई निश्चित राशि जारी नहीं की गई थी।
कर्नाटक	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. द्वारा 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. हेतु कोई राशि जारी नहीं की गई थी।
राजस्थान	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान कोई ज.जा.उ.यो. निधि जारी नहीं की गई थी।
सिक्किम	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम हेतु कोई निधि उपलब्ध नहीं करायी गई थी।
महाराष्ट्र	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का.	<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रा.वृ.स्वा.से.का.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	आ.अ.यो.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रोग प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

अनुबंध-11 (i)

(पैरा सं. 3.8.3 के संदर्भ में: राज्य सरकार द्वारा कम/विलम्बित निर्गम)

राज्य का नाम	योजना (योजनाओं) का नाम	अभ्युक्तियां
आन्ध्रप्रदेश	सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान ₹1.46 करोड़ (25 प्रतिशत) का अपना अंश जारी नहीं किया गया।
असम	स.शि.अ., रा.मा.शि.अ., म.भो., सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान ₹65.12 लाख (50 प्रतिशत) तथा 2013-14 के दौरान ₹27.12 लाख (25 प्रतिशत) का अपना अंश जारी नहीं किया है। 2011-14 के दौरान भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि के अनुरूप राज्य का अंश प्राप्त नहीं किया गया था।
जम्मू एवं कश्मीर	रा.मा.शि.अ.	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत ₹19.72 करोड़ की जारी निधि के प्रति (2011-12 ₹00.00 लाख, 2012-13 ₹6.39 करोड़ और 2013-14 ₹13.33 करोड़) राज्य ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत अपना 25% अंश पृथक रूप से जारी नहीं किया।
झारखण्ड	रा.मा.शि.अ.	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. ने 2011-14 के दौरान ₹136.77 करोड़ जारी किए लेकिन राज्य सरकार ने अपना अंश जारी नहीं किया।
मध्य प्रदेश	अ.शि.यो.	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य का अंश जारी नहीं किया गया था।
मणिपुर	स.शि.अ., म.भो. एवं अ.शि.यो.	<ul style="list-style-type: none"> आर.एम.एस.ए के अतिरिक्त 2011-14 की अवधि के लिए ज.जा.उ.यो. हेतु राज्य के अंश का अंशदान लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं दिखाया जा सका।
कर्नाटक	अ.शि.यो.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार ने 2011-14 के दौरान राज्य का अंश जारी नहीं किया था।

अनुबंध-11 (ii)

(पैरा सं. 3.14 के संदर्भ में : राज्य की हिस्सेदारी के निर्मुक्तीकरण में कमी/देरी)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तियाँ
आंध्र प्रदेश	एस.एस.ए.	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-12 के लिए अपने 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹105.29 करोड़ के प्रति केवल ₹75.01 करोड़ निर्मुक्त किए गए। अतः ₹30.28 करोड़ की कम निधियों का निर्मुक्तिकरण किया गया। राज्य सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान अपनी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अर्थात ₹9.40 करोड़ के लिए ₹8.32 करोड़ निर्मुक्त किए गए। अतः राज्य की हिस्सेदारी में ₹1.08 करोड़ की कमी थी। 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्सेदारी (25 प्रतिशत) के रूप में निर्मुक्त किए जाने वाले ₹1.58 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹64.70 लाख निर्मुक्त किए। अतः ₹92.80 लाख का कम निर्मुक्तिकरण हुआ। 2012-14 के लिए, राज्य की कुल ₹2.19 करोड़ की हिस्सेदारी के प्रति ₹1.92 करोड़ निर्मुक्त किए गए। 2012-14 की अवधि के लिए ₹26.37 लाख का कम निर्मुक्तिकरण हुआ।
	आर.एम.एस.ए	
	आई.सी.टी.	
পশ্চিম বঙ্গাল	আই.সী.টী., টি.ই.এস.	<ul style="list-style-type: none"> আই.সী.টী. কে মামলে মেঁ, স্কুলী শিক্ষা বিভাগ কো নিধিয়ো কা নির্মুক্তিকরণ কৰনে মেঁ বিত্ত বিভাগ দ্বারা 25 দিবস সে এক বৰ্ষ চার মাহ তক কা বিলম্ব কিয়া গয়া। আই.সী.টী. কে মামলে মেঁ, বৰ্ষ 2013-14 কে দৌৱান ভা.স. দ্বারা কেন্দ্ৰীয় হিস্সেদারী কে রূপ মেঁ 2000 বিদ্যালয়ো কে লিএ ₹38.73 করোড় স্বীকৃত কিএ গए জিসমেঁ সে ₹7.75 করোড় জ.জা.ও.যো. শীৰ্ষ মেঁ নির্মুক্ত কিএ গए। ₹7.75 করোড় মেঁ সে কেবল ₹3.75 করোড় হী খৰ্চ কিএ গए তথা শেষ ₹4.00 করোড় ভা.স. সে বিলম্ব সে নিধি প্ৰাপ্ত হোনে কে কাৰণ (মাৰ্চ 2014) আহৰিত নহোঁ কিএ জা সকে। রাজ্য সরকার নে অপনী ₹5.00 করোড় কী হিস্সেদারী মেঁ সে ₹8.46 লাখ নির্মুক্ত কিএ গए। অধ্যাপক প্ৰশিক্ষণ সংস্থান যোজনা কে সুদৃঢ়ীকৰণ কে লিএ স্কুলী শিক্ষা বিভাগ নে জ.জা.ও.যো. কে লিএ দিসম্বৰ 2013 মেঁ লেখাশীৰ্ষ খোলা। পৱিণামস্বৰূপ, ইসনে বিত্ত বৰ্ষ 2011-12 ঔৱ 2012-13 মেঁ জ.জা.ও.যো. কে লিএ নিধি কা নির্মুক্তিকৰণ নহোঁ কিয়া জা সকা যদ্যপি মাৰ্চ 2012 (₹67.46 লাখ) ঔৱ অগস্ত 2013 (₹29.50 লাখ) মেঁ ₹96.96 লাখ প্ৰাপ্ত কিএ গए থো। এস.সী.ই.আর.টী. কে ক্ৰিয়ান্বয়ন কে লিএ, রাজ্য দ্বারা 25 প্ৰতিশত হিস্সে কা অংশদান দিয়া জানা থা তথাপি কোৰ্ট হিস্সা নির্মুক্ত নহোঁ কিয়া গয়া।
সিকিম	আর.এম.এস.এ.	<ul style="list-style-type: none"> রাজ্য দ্বারা 2009-10 সে 2013-14 কে দৌৱান ₹2.53 করোড় কী হিস্সেদারী কে বিরুদ্ধ কেবল ₹1.57 করোড় কী হিস্সেদারী নির্মুক্ত কী গই জিসকে পৱিণামস্বৰূপ ₹0.96 লাখ কা নির্মুক্তিকৰণ কম হুআ। ₹43.82 লাখ কী রাজ্য হিস্সেদারী কম প্ৰাপ্ত হুই।
	টি.ই.এস	
জ্বারখণ্ড	এস.এস.এ.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 কে দৌৱান রাজ্য সরকার দ্বারা নিধিয়ো কে নির্মুক্তিকৰণ মেঁ চার সে সাত মাহ কা বিলম্ব হুআ। 2011-14 কে দৌৱান রাজ্য সরকার দ্বারা নিধিয়ো কে নির্মুক্তিকৰণ মেঁ দো সে চার মাহ কা বিলম্ব হুআ।
	এম.ডী.এম.	
কৰ্ণাটক	আর.এম.এস.এ	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12, 2012-13 ঔৱ 2013-14 কে দৌৱান রাজ্য নে অপনী হিস্সেদারী ক্ৰমশ: 46 দিবস 72 দিবস তথা 86 দিবস পশ্চাত নির্মুক্ত কী গই।
মহারাষ্ট্ৰ	এস.এস.এ.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 কে দৌৱান রাজ্য সরকার দ্বারা অপনী হিস্সেদারী ক্ৰমশ: 39 দিবস 110 দিবসো কী দেৰী সে নির্মুক্ত কী গই। 2011-14 কে দৌৱান রাজ্য সরকার দ্বারা অপনী হিস্সেদারী 65 সে 192 দিবসো কী দেৰী সে নির্মুক্ত কী গই।
	আর.এম.এস.এ	

জনজাতীয় উপ-যোজনা কী নিষ্পাদন লেখাপৰীক্ষা

मणिपुर	एम.डी.एम. आर.एम.एस.ए	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता, केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त किए जाने की तिथि से, 170 से 851 दिवसों की देरी से निर्मुक्त की गई। राज्य सरकार की हिस्सेदारी के निर्मुक्तीकरण में 145 से 186 दिवसों का विलम्ब हुआ।
ओडिशा	आर.एम.एस.ए.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान राज्य द्वारा अपनी हिस्सेदारी के अंतरण में 15 से 59 दिवसों का विलम्ब किया गया।
राजस्थान	आर.एम.एस.ए.	<ul style="list-style-type: none"> यह देखा गया कि राज्य द्वारा जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आर.एम.एस.ए. के लिए समान हिस्सेदारी का निर्मुक्तिकरण 17 से 148 दिवसों की देरी से किया गया।

अनुबंध-12 (i)

(पैरा सं. 3.8.3 के संदर्भ में : राज्य सरकार द्वारा निर्मुक्तिकरण में कमी/देरी)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तियाँ
कर्नाटक	एन.पी.सी.डी.सी.एस	<ul style="list-style-type: none"> योजना के लिए राज्य की हिस्सेदारी प्रदान नहीं की गई। अतः योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹1.87 करोड़ अस्वीकार कर दिए गए। राज्य की हिस्सेदारी से टी.एस.सी. के लिए ₹9.47 लाख प्राप्त हुए। तथापि निदेशालय की वित्तीय विवरणी दर्शाती है कि राज्य सरकार से योजना के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।
बिहार	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान राज्य ने इसकी हिस्सेदारी प्रदान नहीं की गई।
असम	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	<ul style="list-style-type: none"> 2012-14 के दौरान टी.एस.पी. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि के समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी निर्मुक्त नहीं की गई।
जम्मू एवं कश्मीर	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा अपनी 20% हिस्सेदारी जो ₹2.24 करोड़ थी का अंशदान नहीं किया गया।
	प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने निर्धारित अनुपात में अपनी हिस्सेदारी का अंशदान नहीं किया।
बिहार	एन.पी.एच.सी.ई.	<ul style="list-style-type: none"> चूंकि राज्य के योजना परिव्यय को स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया गया था अतः राज्य ने स्वयं की हिस्सेदारी का निर्मुक्तिकरण नहीं किया।
जम्मू एवं कश्मीर	एन.पी.एच.सी.ई.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य ने अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी, जो ₹1.23 करोड़ थी, का अंशदान नहीं किया।
असम	आई.एम.एस.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-13 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त की गई निधि के समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी निर्मुक्त नहीं की गई।
सिक्किम	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार से ₹1.94 करोड़ प्राप्त होने के बावजूद 2013-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत राज्य की हिस्सेदारी निर्मुक्त नहीं की गई।

अनुबंध-12 (ii)

(पैरा सं. 3.8.3 के संदर्भ में : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मुक्तिकरण में कमी/देरी)

(₹ लाख में)							
क्र. सं.	योजना का नाम	भा.स. द्वारा निर्मुक्त कुल निधियाँ	जिलों की संख्या जिनके लिए भा.स. द्वारा निधियाँ निर्मुक्त की गई।	कुल जनसंख्या में पाँच चयनित जिलों की जनजातीय जनसंख्या का %	जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में निर्मुक्त की जाने वाली निधियाँ	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत वास्तविक रूप में जारी की गई निधियाँ	ज.जा.उ.यो. निधियों के निर्मुक्तिकरण में कमी
1.	एन.पी.एच.सी.ई.	624.56	4	47%	293.54	79.43	214.11
2.	एन.पी.सी.डी.सी.एस	1313.66	5	44%	578.01	263.39	314.62
कुल							528.73

अनुबंध-13 (i)

(पैरा सं. 3.8.4 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो. निधियों का अनुपयोग/न्यून उपयोग)

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तत्वाँ
छत्तीसगढ़	एस.एस.ए., एम.डी.एम व आर.एम.एस.ए.	<ul style="list-style-type: none"> एस.एस.ए. में 85 से 88 प्रतिशत और एम.डी.एम. में 87 से 93 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया। आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत 2011-12 और 2012-13 के दौरान उपलब्ध निधियों का मात्र 6 से 27 प्रतिशत जबकि 2013-14 में 74 प्रतिशत उपयोग किया गया। निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण एस.एस.ए. के अंतर्गत भा. स. की ₹4626.85 करोड़ की हिस्सेदारी के प्रति भा.स. द्वारा मात्र ₹2465.84 करोड़ (53 प्रतिशत) निर्मुक्त किए गए। तथापि एम.डी.एम के अंतर्गत ₹1585.39 करोड़ की उपलब्ध निधियों के प्रति पिछले तीन वर्षों में ₹1445.74 करोड़ (91 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।
दमन व दीव	एस.एस.ए	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान भा.स. द्वारा आवंटित ₹1.22 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया।
गुजरात	एम.डी.एम.	<ul style="list-style-type: none"> एम.डी.एम. के ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 के दौरान उपलब्ध निधियों के प्रति क्रमशः मात्र ₹9.25 करोड़ (12.67 प्रतिशत), ₹11.05 करोड़ (14.09 प्रतिशत), और ₹21.33 करोड़ (22.42 प्रतिशत) का व्यय किया गया।
जम्मू व कश्मीर	एस.एस.ए एम.डी.एम आर.एम.एस.ए. टी.ई.एस.	<ul style="list-style-type: none"> जिला स्तर के कार्यालयों ने निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया और एस.एस.ए. निधियों (सी.ई.ओ.²) के उपयोग में 2011-12 के दौरान 19% और 46%, 2012-13 के दौरान 17% और 61% तथा 2013-14 के दौरान 15% और 35% की कमी रही। भारत सरकार से ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्त (2011-14) निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका और अप्रोज्य/उपलब्ध निधियों 33% से 65% के बीच रहीं। 2011-14 के दौरान कुल ₹453.27 करोड़ के निर्मुक्तिकरण के प्रति विभाग मात्र ₹394.15 करोड़ का ही उपयोग कर सका जो 2011-12 और 2012-13 के दौरान 38% और 81% रहीं। 2011-14 की अवधि के दौरान अभिलक्षित जिलों³ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (नि.शि.प्र.स.) द्वारा निधियों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया गया और निधियों के उपयोग में कमी 2011-12 और 2012-13 के दौरान 0% से 100% और 2013-14 में 54% से 100% के बीच रही।
मध्य प्रदेश	आर.एम.एस.ए. और एस.एस.ए.	<ul style="list-style-type: none"> आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका और मार्च 2014 के अंत में ₹117.01 करोड़ अव्ययित शेष के रूप में पाए गए। 2011-12 से 2012-13 के दौरान एस.एस.ए. के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधियों में से 28 से 37 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
राजस्थान	टी.ई.एस.	<ul style="list-style-type: none"> कुल ₹1.23 करोड़ की निधि में से मात्र ₹60.76 लाख का ही उपयोग किया जा सका। अतः 2013-14 के दौरान ₹62.34 लाख का उपयोग नहीं किया जा सका। राज्य की ₹30.77 लाख की हिस्सेदारी के प्रति केवल ₹6.80 लाख।
तमில்நாடு	ଆ.இ.ஸி.டி.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 के दौरान आ.இ.ஸி.டி. योजना के अंतर्गत ₹58.12 करोड़ (भा.स. की हिस्सेदारी ₹43.60 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी ₹14.52 करोड़) प्राप्त हुए। इसमें से, ₹15.05 करोड़ (भा.स. हिस्सेदारी- ₹11.29 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी ₹3.76 करोड़) ज.जा.उ.यो. के लिए निर्धारित किए गए। समग्र राशि विगत दो वर्षों से राज्य के खाते में निष्क्रिय पड़ी है।
अंडमान और निकोबार	ଆ.இ.ஸி.टி.	<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 के दौरान मा.वि.सं.म. ने ज.जा.उ.यो. के तहत ₹5.38 लाख स्वीकृत किए गए परतुं प्राधिकार पत्र प्राप्त न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। प्रशासन ने ₹1.98 करोड़ की राशि का जनजातीय छात्रों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए उपयोग न

² अनंतनाग, कारगिल, लेह, पूँछ, राजौरी और रिआसी³ अनंतनाग, कारगिल, लेह, पूँछ, राजौरी और रिआसी

	एम.डी.एम.	<p>करके उसका एम.डी.एम के प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन घटक के लिए विपथन किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह प्रमाणित किए जाने के लिए कि 2013-14 के दौरान ₹8.25 लाख की लागत पर की गई खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का वास्तविक रूप में जनजातीय छात्रों के लाभ के लिए उपयोग किया गया था, कोई साक्ष्य नहीं था।
--	-----------	---

अनुबंध-13 (ii)

(पैरा सं. 3.8.4 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो. निधि का अनुपयोग/न्यून उपयोग)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तियाँ
मध्यप्रदेश	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	<ul style="list-style-type: none"> कुल उपलब्ध निधियों में से 2011-12 से 2013-14 के दौरान बचत 77 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात् जिला, सी.ए.सी. और एस.एच.सी. में उपलब्ध निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण मार्च 2012 और मार्च 2013 को राज्य एन.सी.डी. सैल और जिला एन.सी.डी. सैल के पास क्रमशः ₹1.48 करोड़ और ₹0.74 करोड़ तथा ₹10.26 करोड़ व ₹8.89 करोड़ अप्रयुक्त था।
	एन.पी.एच.सी.ई.	<ul style="list-style-type: none"> ₹957.97 लाख की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹549.66 लाख की निधियों का 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान उपयोग नहीं हो सका और बचत 70 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच थी। क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात् सी.एच.सी., पी.एच.सी. और एस.एच.सी. को निधियों का निर्मुक्तिकरण न किए जाने के कारण मार्च 2012 और मार्च 2013 महिने के अंत में राज्य एन.सी.डी. सैल और जिला एन.सी.डी. सैल के पास क्रमशः ₹0.01 करोड़ और ₹1.19 करोड़ तथा ₹3.46 करोड़ व ₹6.67 करोड़ अप्रयुक्त थे।
	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	<ul style="list-style-type: none"> आर.सी.एच.एफ.पी. और एम.एफ.पी. के अंतर्गत निधियों का, जो क्रमशः 5 से 18 प्रतिशत और 14 से 44 प्रतिशत के बीच थी, 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भा.स. द्वारा एम.एफ.पी. के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. के निर्धारित किसी भी निधि का निर्मुक्तिकरण नहीं किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्यप्रदेश की जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत और ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत भा.स. निर्मुक्त निधियाँ 8 प्रतिशत थीं। अतः ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत भा.स. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान किए गए कुल निर्मुक्तिकरण के प्रति 13 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी कम निर्मुक्त की गई।
आंध्र प्रदेश	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	<ul style="list-style-type: none"> नमूनाकृत केंद्रीत जिलों⁴ में 2011-14 के दौरान जिला एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों को राज्य एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों से ₹1.71 करोड़ (जिसमें ज.जा.उ.यो. हिस्सेदारी शामिल है) प्राप्त हुए जिसमें से ₹15.47 लाख की मामूली सी राशि खर्च की गई। ₹1.71 करोड़ की राशि में जिला चिकित्सालय में हृदय संबधी देखभाल इकाई थी स्थापना के लिए प्राप्त ₹1.25 करोड़ शामिल हैं। जिला सैल द्वारा बताया गया कि निधियों का उपयोग न किए जाने का कारण निधियों के निर्मुक्तिकरण के समय राज्य एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों द्वारा निधियों के उपयोग के लिए निश्चित दिशा-निर्देशों की सूचना न देना था।
	एन.पी.एच.सी.ई.	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्त ₹57.43 लाख की सम्पूर्ण राशि राज्य एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों के पास अप्रयुक्त पड़ी है।

⁴ एस.पी.एस.आर. नैल्लोर

	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	<ul style="list-style-type: none"> 31 मार्च 2014 को सात नमूना जिलों⁵ में आर.के.एस. (₹2.94 करोड़), ए.एम.जी. (₹2.65 करोड़) और यू.टी.एफ के अंतर्गत (₹68.14 लाख) रूपये का काफी अधिक अव्ययित शेष उपलब्ध था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2014 को आर.के.एस. (₹9.75 लाख), ए.एम.जी. (₹12.86 लाख) और यू.टी.एफ (₹21.63 लाख) संघटकों के अंतर्गत सी.एच.सी/पी.एच.सी स्तर पर बहुत अधिक अव्ययित शेष उपलब्ध था।
सिक्किम	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 और 2012-13 के दौरान एस.एच.एस., एन.सी.डी. सैल को राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.म.), भारत सरकार से ₹8.98 करोड़ (भा.स. ₹7.94 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी ₹1.04 करोड़) की निधियाँ प्राप्त हुई जिसमें ज.जा.उ.यो. के लिए ₹63.22 लाख भी शामिल थे। कुल उपलब्ध निधियों के प्रति 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रमशः 17 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 38 प्रतिशत निधियों का उपयोग हुआ। निधियों के उपयोग में असफलता इस बात की ओर इंगित करती है कि सम्पूर्ण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान योजना को वांछित तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया जिसका परिणाम उत्तरोत्तर बचतों में हुआ जो 62 प्रतिशत से 84 प्रतिशत के बीच रहीं। 2011-12 के दौरान भा.स. से प्राप्त कुल ₹3.14 करोड़ की प्राप्तियों के प्रति राज्य की ₹1.04 करोड़ की हिस्सेदारी विलम्ब से, 2012-13 के बिलकुल अंत में (जनवरी और मार्च 2013), निर्मुक्त की गई। राज्य की हिस्सेदारी का विलंबित निर्मुक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बचत के अतिरिक्त निधि के अनुपयोग का भी कारण बना।
	एन.पी.एच.सी.डे.	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. और राज्य सरकार से प्रदान की गई निधि की तुलना में व्यय बहुत कम था जिसका परिणाम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक दो वर्षों में 87 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बचतों में हुआ। 2011-12 व 2012-13 के दौरान भा.स. से प्राप्त कुल ₹1.69 करोड़ की प्राप्तियों के प्रति राज्य की ₹50.76 लाख की हिस्सेदारी का निर्मुक्तिकरण 2012-13 (जनवरी और मार्च 2013) के अंत में किया गया जिसका परिणाम वर्ष के दौरान 50% से अधिक अव्ययित राशि में हुआ।
जम्मू एवं कश्मीर	एन.प्री.सी.डी.सी.एस.	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-14 के दौरान एन.पी.सी.डी.सी.एस. का क्रियान्वयन मंद गति से हुआ क्योंकि अव्ययित निधियाँ 43 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच थीं। कारगिल और लेह जिलों में काफी निधियाँ क्रमशः 50 से 99 प्रतिशत और 26 से 38 प्रतिशत के बीच अव्ययित रहीं।
	एन.पी.एच.सी.डे.	<ul style="list-style-type: none"> योजना के मंद क्रियान्वयन का परिणाम उपलब्ध निधियों के अनुपयोग में हुआ जो 41 से 80 प्रतिशत के बीच था। 2011-12 से 2013-14 के दौरान कारगिल और लेह जिलों में उपलब्ध निधियों का अनुपयोग 31 से 63 प्रतिशत और 30 से 34 प्रतिशत के बीच रहा।
	आई.एम.एस	<ul style="list-style-type: none"> अव्ययित अनुदान शेष 10 से 21 प्रतिशत के बीच था।
	प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान बहुत अधिक मात्रा में 29 से 69 प्रतिशत के बीच अव्ययित निधियाँ थीं।
ओडिशा	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान आर.सी.एच.एफ.पी. के अंतर्गत निधियों का अनुपयोग 17 से 19 प्रतिशत और एम.एफ.पी. के अंतर्गत निधियों का अनुपयोग 31 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था।
	आई.एम.एस.	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 की अवधि के दौरान ₹200.57 करोड़ के आवंटन(आवंटन में राज्य की हिस्सेदारी सहित) के प्रति ₹184.42 करोड़ का उपयोग किया गया। ₹16.15 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए।

⁵ विशाखापत्तनम, गुंटुर एस.पी.एस.आर., नैल्लोर, वारंगल, खम्मम, आदिलागढ़ विजयानंरम

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखण्ड	आई.एम.एस.	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. द्वारा 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत आई.एम.एस. में ₹83.13 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई जिसमें से राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹60.97 करोड़ की राशि आवंटित की गई और सपूर्ण आवंटित निधि का व्यय 2011-14 के दौरान किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य की कार्पस निधि में ₹22.16 करोड़ पड़े थे।
राजस्थान	प्रतिरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> 2013-14 में भा.स. से ₹13.05 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई जबकि ₹8.95 करोड़ का व्यय किया गया। अतः ₹4.10 करोड़ की बचत थी।

अनुबंध-14

(पैरा सं. 3.8.5 के संदर्भ में: अन्य कमियाँ)

राज्य का नाम	अभियुक्तियाँ
मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान, एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के लिए जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत अवसरंचना रखरखाव योजना (अ.स.र.यो.) के लिए भा.स. ने ₹17.13 करोड़ की राशि निर्मुक्त की। इसमें से ₹16.32 करोड़ की राशि एन.आर.एच.एम. के अन्य निगम/योजना अर्थात् प्रतिरक्षण के लिए व्यय की गई। ₹12.12 करोड़ की राशि जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों और ₹4.20 करोड़ की राशि प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए जिला परिवार कल्याण बोर्ड, चर्चदिपुर पर खर्च की गई। इसका परिणाम ₹16.32 करोड़ की निधि के विपथन में हुआ। योजना के दिशानिर्देशों के प्रतिकूल निधियों के विपथन के कारणों को रिकार्ड नहीं किया गया। परिवार कल्याण निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से जात हुआ कि सितम्बर 2013 और मार्च 2014 के बीच एन.आर.एच.एम के अंतर्गत आई.एम.एस. के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना की ₹1.94 करोड़ की निधियों को आपूर्तियों की प्राप्ति/देनदारियों के भुगतान के ब्यौरों को दर्शाने वाले उप-वाउचरों को सलंगन किए बिना 21 पूर्णतः वाउचर आक्सिम क बिलों (पू.वा.आ.वि.) के माध्यम से आहरित किया गया। इनमें से, मार्च 2014 के दौरान ₹77.95 लाख की राशि नौ पू.वा.आ.वि. के द्वारा बिना पुष्टिकारक बाउचर कार्य के लिए स्टोर की मर्दों के प्रबंधन, एम.बी., मजदूरी का भुगतान और ए.पी.आर. इत्यादि के निर्माण कार्यों के लिए आहरित की गई। भुगतान को दर्शाने वाला कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था अतः लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2014) तक यह राशि आहरण एवं भुगतान अधिकारी के पास अप्रदत रही।

अनुबंध-15

(पैरा सं. 4.5.1.1 के संदर्भ में: कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय की स्थापना में कमियाँ)

राज्य	अभियुक्तियाँ
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> 35 जिलों में से, 10 जिलों में क.गा.बा.वि. प्रारम्भ किए गए और मार्च 2012 के पश्चात कोई नया विद्यालय नहीं खोला गया। 25 जिलों को योजना में शामिल नहीं किया गया।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया जिससे कि उन ब्लॉकों को जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता 30 प्रतिशत से कम है योजना के अंतर्गत लाया जा सके। तथापि तीन जिलों, जिनकी नमूना जाँच की गई में देखा गया कि उन जिलों के पास 2011 की जनगणनानुसार अ.जा./अ.ज.जा. की आबादी और महिला साक्षरता दर का आधारभूत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। क.गा.बा.वि. 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर खोले गए। 2004-05 से 2010-11 की अवधि के दौरान मा.सं.मं. द्वारा ₹44.23 करोड़ की लागत से राज्य के 20 जिलों में 99 क.गा.बा.वि. के निर्माण की मंजूरी दी गई। ₹11.02 करोड़ (श्रीनगर कार्यालय के बाढ़ प्रभावित होने के कारण कुल निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया) का व्यय करने के पश्चात केवल 13 कार्य पूरे किए गए, 52 कार्य प्रगति पर हैं और 34 कार्य विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किए जा सके (9/2014)। उन 6 जिलों में, जिनकी नमूना जाँच की गई, 2005-06 से 2010-11 के बीच 31 क.गा.वा.वि. को मंजूरी दी गई, केवल एक विधालय अपने स्वंयं के भवन में चलाया जा रहा था और 30 विधालय किराये के भवनों में चलाए जा रहे हैं। इन 31 स्वीकृत विद्यालयों में से 5 जिलों के 19 विद्यालयों में आवास की सुविधा थी जबकि 3 स्कूल (पूँछ) बिना हॉस्टल की सुविधा के चलाए जा रहे हैं जो कि योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध हैं। क.गा.बा.वि. दूंगी (जिला राजौरी) का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण दर्शाता है कि क.गा.बा.वि. भवन का निर्माण पूर्ण न होने के कारण किसी भी भवन में छात्रों को हॉस्टल व शिक्षा की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। वर्दी उपलब्ध करवाने में भी कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त क.गा.क.वि. दूंगी (जिला राजौरी) के अधूरे हॉस्टल भवन को स्थानीय निवासियों द्वारा मवेशियों के शेड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। क.गा.क.वि. (जिला पूँछ कोड बोर्डिंग के रूप में चलाया जा रहा है और कुछ छात्रों को स्कूल आने-जाने के लिए प्रतिदिन 20 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे क.गा.क.वि. की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के 89 क.गा.बा.वि. में से 21 किराये के निजी भवनों में और पाँच सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों/अध्यापकों के क्वार्टरस में चलाए जा रहे थे (मार्च 2014)। यद्यपि भा.स. द्वारा सभी 89 क.गा.बा.वि.⁶ के लिए भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी परंतु केवल 21 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर थे और पाँच स्थानों पर वर्क आईर जारी किए गए थे (अक्टूबर 2014)। नमूना जाँच वाले जिलों में 20 क.गा.वा.वि. में से पाँच क.गा.बा.वि.⁷ किराये के निजी भवनों में चलाए जा रहे थे और दो क.गा.बा.वि.⁸ अध्यापकों के क्वार्टरस में चलाए जा रहे थे। चार क.गा.क.वि. के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि:- क.गा.क.वि. संतरामपुर में, जो कि किराये के भवन में चलाया जा रहा था, अवसरंचनात्मक सुविधाएँ यथा पृथक पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटरस, शौचालय, चारदीवारी, क्रीड़ा स्थल, अध्यापन व निवास के लिए पृथक कक्ष इत्यादि उपलब्ध नहीं थी।

⁶ 86 क.गा.वा.वि. 2011-12 से पहले और तीन 2012-13 के दौरान

⁷ दाहोद-फतेहपुरा व भालोड, पंचमहल-खानपुर, संतरामपुर और शाहेरा

⁸ वलसाड-धर्मपुर और कापराडा

- क.गा.बा.वि. खांगेला (दाहोद) और संतरामपुर (पंचमहल) में हॉस्टल के लिए पृथक भवन नहीं थे और इनमें से प्रत्येक विधालय में तीन हॉल हॉस्टल व अध्यापन दोनों के लिए उपयोग किए जा रहे थे।
- क.गा.बा.वि. संतरामपुर में 51 छात्रों और सात अध्यापकों के लिए एक स्नानघर व एक शौचालय उपलब्ध कराया गया था।
- क.गा.वा.वि. खांगेला को उपलब्ध कराए गये आर.ओ. प्लांट और वाटर कूलर को संस्थापित व चालू नहीं किया गया था।
- क.गा.वा.वि. खांगेला, दाहोद को दिए गए ग्यारह कम्प्यूटर निष्क्रिय पड़े थे और क.गा.वा.वि., कापराड़ा को उपलब्ध कराए गए 11 कम्प्यूटर, अध्यापक व कम्प्यूटर कक्ष में वाइरिंग के अभाव में उपयोग में नहीं लाए गए।

अनुबंध-16

(पैरा सं. 4.5.1.1 (iii) के संदर्भ में : आधारभूत सुविधाओं का अभाव)

राज्य	अभियुक्तियाँ
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 3 ज़िलों (राजौरी, पूँछ और रिआसी) के 6 ब्लॉकों में क्रमशः 405 और 822 विघालयों में आधारभूत सुविधाएँ जैसे सुरक्षित जल, चारदीवारी उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> राज्य और ज़िला प्राधिकारी छात्रों को क्रीड़ास्थल, पुस्तकालय कक्ष और कम्प्यूटर कक्ष की सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रहे यद्यपि इन्हें मार्च 2013 तक उपलब्ध कराया जाना था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान (जून से अगस्त 2014) दाहोद, पचमहल और वडोदरा ज़िलों के चार विघालयों⁹ में पेयजल की सुविधा नहीं थी जबकि ज़िले के प्राधिकारियों द्वारा यह सूचित किया जा रहा था कि ज़िले के सभी विघालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि आठ विघालयों¹⁰ में चारदीवारी नहीं थी और दो विद्यालयों¹¹ के टॉयलेट ब्लॉक क्षतिग्रस्त व बेकार पाए गए। अतः छात्रों की सुरक्षा और इन विघालयों में समुचित अवसरंचनात्मक सुविधाएँ सुनिश्चित नहीं की गईं।

⁹ दाहोद-(i) दौलतगंज कुमार शाला (यू.पी.एस.) और (ii) उपला फ़िलिया वर्ग, मेलोनिया (पी.एस.), पंचमहल-पटेल फ़िलिया वर्ग, रिछवानी (यू.पी.एस.) और वडोदरा- अबांला वर्ग (पी.एस.)

¹⁰ दाहोद-फाटक फ़िलिया वर्ग, जेकोट (पी.एस.), विला झूंगरी (पी.एस.), दौलतगंज कुमार शाला (यू.पी.एस.) पंचमहल-अशिवदा (पी.एस.), दुधाली ना मुवादा (पी.एस.) करेटा (यू.पी.एस.), वलसाड-जरिया संरपंच कलिया (पी.एस.) और वरोली तलत (यू.पी.एस.)

¹¹ पंचमहल-चंदपुरी फ़िलिया (पी.एस.), दांतोल और वलसाड-वरोली तलत (यू.पी.एस.)

अनुबंध-17

(पैरा सं. 4.5.1.1 (iv) के संदर्भ में: स्कूल यूनिफोर्मस का वितरण नहीं किया जाना)

महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> दो¹² चयनित जिलों, एक¹³ ब्लॉक और दो विद्यालयों में वर्दियाँ वितरित नहीं की गईं।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> 76 विद्यालयों में से कोणडागाँव जिले के मकड़ी ब्लॉक के दो विद्यालयों और जसपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के एक विद्यालय में 2011-12 के दौरान 188 छात्रों को वर्दी का वितरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 2011-12 के दौरान 26 विद्यालयों, 2012-13 के दौरान 23 विद्यालयों और 2013-14 के दौरान 20 विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यार्थी को, दो वर्दियों के मानदण्ड के विपरीत, वर्दी का एक सैट वितरित किया गया।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> स्पेशल फोकस चिल्ड्रन के लिए मुफ्त वर्दी के प्रावधान को एक वर्ष पश्चात् नियमों में शामिल किया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011-12 के लिए भा.स. द्वारा राज्य को मुफ्त वर्दी के लिए निधियों का निर्मुक्तिकरण नहीं किया गया। 2012-13 के दौरान वर्दियों के विलंबित वितरण के कारण 40 विद्यालयों में, जिनकी नमूना जाँच की गई, 2011-12 और 2013-14 के दौरान अ.ज.जा. के विधार्थी भी मुफ्त वर्दी से वंचित रहे। नमूना जाँच वाले क.गा.बा.वि. में आंठवी कक्षा तक के विधार्थियों को 2011-14 की संपूर्ण अवधि के लिए वर्दी का केवल एक सैट प्रदान किया गया।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 29 और 31 मार्च, 2014 को वर्ष 2013-14 के दौरान विधार्थियों के लिए वर्दियों का प्रावधान करने के लिए सी.ई.ओ. अनंतनाग को ₹2.68 करोड़ की राशि 29 व 31 मार्च 2014 को निर्मुक्त की गई जो खर्च नहीं की जा सकी। सी.ई.ओ. अन्नतनाग ने बताया कि निधियों को निर्मुक्त किए जाने के एक दिन के अंदर उसका विवेकपूर्वक उपयोग सम्भव नहीं है। 2011-14 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान अनंतनाग, लेह और कारगिल के क.गा.बा.वि. में भर्ती बालिकाओं को वर्दियों नहीं दी गई थीं। राजौरी और रिआसी के क.गा.बा.वि. में 2013-14 के दौरान वर्दी का केवल एक सैट जारी किया गया और पुँछ में 2011-14 के दौरान वर्दी के दो सैट के मानदण्ड के विपरीत केवल एक सैट जारी किया गया।
असम	<ul style="list-style-type: none"> एस.एस.ए. निधि में से वर्दी के दो सैट, जिसमें शर्ट व पैंट, स्कर्ट आदि शामिल थे, प्रदान किए गए परंतु स्कूल बैग, जूते, जुराबें व टाई नहीं दिए गए।
आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> सात नमूना जिलों में किसी भी शैक्षणिक स्थान में, जिनकी नमूना जाँच की गई थी, विद्यालयों को वर्दी का पूरा सैट नहीं दिया गया। इसके स्थान पर लड़कों को पैटं शर्ट और लड़कियों को ड्रेस दी गई।
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> चयनित दस जिलों में 84 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 49291 विधार्थियों को स्कूलों में नामांकित किया गया जिसमें से 33722 अ.ज.जा. के थे। यह देखा गया कि इस सत्य के बावजूद कि सभी विधार्थियों को मुफ्त वर्दी और पाठ्यपुस्तकें दी गई, 689 विधार्थियों द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ दिया जिनमें से 619 अनुसूचित जनजाति के थे। दस चयनित जिलों में यह पाया गया कि 2011-14 की अवधि के लिए 84 चयनित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, नौ क.गा.बा.वि. और छ: छात्रा हॉस्टल के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में दो वर्दी सेटों अर्थात् लड़कियों के लिए सलवार, कुर्ता और लड़कों के लिए पैंट-शर्ट के लिए ₹400 की निर्धारित राशि का अंतरण किया गया था।

¹² धुले और नंदबाबर¹³ नवापुर एस.एस.ए. 8 वर्दियों का वितरण

अनुबंध-18

(पैरा सं. 4.5.1.1(v) के संदर्भ में: अ.ज.जा. छात्रों के बहिष्कार के मामले)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> दस चयनित जिलों के 21 ब्लाकों के 84 विद्यालयों, छ. के.जी.बी.बी. तथा छ. बालिका छात्रावासों से प्रस्तुत सूचना के अनुसार, यह पाया गया था कि वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः 338, 332 तथा 351 नियमित शिक्षकों की तैनाती की गई थी तथा उनमें से क्रमशः केवल 167,158 तथा 160 उन जिलों जहाँ विद्यालय स्थित थे, से बुलाए गए थे। दीनदोरी ब्लाक के के.जी.बी.बी., शाहपुरा के सिवाय के.जी.बी.बी. तथा बालिका छात्रावासों में किसी नियमित शिक्षिकों को तैनाती नहीं की गई थी।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> जनजातीय बच्चों को संवितरित पुस्तकें स्थानीय भाषा (कुरुख, संथाली, हो) में छपी नहीं थीं। कक्षा 1 से VIII तक के बच्चों के पास केवल 3 से 11 पुस्तकें उपलब्ध थीं परंतु पुस्तकें उनकी मातृभाषा में नहीं थीं। न तो किसी पुस्तक का प्रकाशन और न ही छात्रों को संवितरित पुस्तकें उनकी मातृ भाषा में थीं। 2011-14 के दौरान 167 से 192 के बीच के शिक्षकों में से 8 से 14 के बीच के शिक्षक जिले के बाहर से बुलाए गए थे तथा किसी भी शिक्षक को जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> हमने पाया कि केवल दो जिलों में, तैनात किए गए 100 प्रतिशत शिक्षक उसी जिले के थे जबकि बिलासपुर, में 79 से 81 प्रतिशत बस्तर में, 57 से 73 प्रतिशत जशपुर में, 83 से 86 प्रतिशत रायगढ़ में, 60 से 90 प्रतिशत तथा 60 से 75 प्रतिशत तैनात किए गए शिक्षक उसी जिले के थे। इस प्रकार, स.शि.अ. दिशानिर्देशों में उल्लेखित शिक्षक के रूप में स्थानीय जिलों के देशीय वक्ता की तैनाती के मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था। यद्यपि कक्षा 1 से कक्षा VIII के लिए एक से सात पुस्तकें निर्धारित की गई थीं फिर भी सरकार द्वारा स्थानीय भाषा की कोई पुस्तिका तैयार नहीं की गई थी। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को जनजातीय बोली के ज्ञान सहित जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु गैर-जनजातीय शिक्षकों को कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षकों को उनके मूल जिलों अथवा आस-पास के जिलों में तैनात किया गया है जिससे वह स्थानीय भाषा/बोली से अच्छी तरह अवगत हो। शिक्षकों को स्थानीय भाषा/बोली हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान, विद्यालयों के 106 नियमित शिक्षकों में से 63 शिक्षकों (59.43 प्रतिशत) शिक्षक कर्बा अंगलोंग जिले के बाहर से बुलाए गए थे। जिले के बाहर के सभी शिक्षकों को स्थानीय बोली के ज्ञान सहित जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। चयनित विद्यालयों के प्रत्यक्ष सत्यापन में यह पाया गया था कि नमूना जांच की गई कक्षाओं V तथा VI के छात्रों हेतु निर्धारित पांच पुस्तकों में से केवल एक पुस्तक स्थानीय भाषा (कर्बा) में थी।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> दो चयनित जिलों में चार¹⁴ चयनित ब्लाकों में उन्नीस विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 371 शिक्षकों में से 43 शिक्षक मूल निवासी थे तथा शेष अन्य जिलों से थे। किसी भी शिक्षक को जनजातीय क्षेत्र में कार्य करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

¹⁴ नवापुर, शाहादा, सकरी तथा शिरपुर

जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> • 2011-14 के दौरान न तो पाठ्यक्रम तथा पुस्तिका में स्थानीय भाषा को शामिल किया गया था और न ही जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु शिक्षकों को कोई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था • इस प्रकार, समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्रियों की अनुपलब्धता तथा जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु गैर-जनजातीय शिक्षकों हेतु विशेष प्रशिक्षण, जैसा दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, के प्रयासों की कमी के कारण उनकी अध्ययन सामग्री के माध्यम से सामजिक तथा सांस्कृतिक सहायता छात्रों को प्रदान नहीं की जा सकी।
------------------	--

अनुबंध-19

(पैरा सं. 4.5.1.1(vi) के संदर्भ में : शिक्षकों की कमी)

राज्य	अनुबंधितयां
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> भा.स. द्वारा शिक्षकों के 253453 पद संस्वीकृत किए गए थे। यह पाया गया था कि 2013-14 के दौरान केवल 190920 पद (75 प्रतिशत) भरे गए थे तथा शेष 62533 पद (25 प्रतिशत) रिक्त थे। एक विश्लेषण ने आगे प्रकट किया कि: प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद में रिक्तताएं 19 से 34 प्रतिशत के बीच थी। उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पद में 68 प्रतिशत रिक्तताएं थीं।
ગुजरात	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में 43,176 विद्यालयों में से, 5,698 छात्रों वाले 64 विद्यालय किसी भी शिक्षक के बिना चलाए जा रहे थे जबकि 874 विद्यालयों को सितंबर 2014 तक राज्य में एक शिक्षक के साथ चलाया जा रहा था। नमूना जांच किए गए जिलों में, 7301 विद्यालयों में से 153 विद्यालयों में मार्च 2014 तक केवल एक शिक्षक था जबकि तीन विद्यालयों (वलसाइ जिला) में 156 अ.ज.जा. छात्र थे तथा कोई शिक्षक नहीं था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> कर्बी अंगतोंग जिले में छात्र-शिक्षक अनुपात 22:1 था जो 40:1 के निर्धारित अनुपात की तुलना में अधिक था तथा विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती आवश्यकता आधारित नहीं थी। 2013-14 के दौरान, आठ नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से तीन में, एक से तीन शिक्षक आर.टी.ई. अधिनियम 2009 में निर्धारित मापदण्डों से अधिक थे। जबकि तीन विद्यालयों में एक से चार शिक्षक आवश्यकता से कम थे। शिक्षकों की अनियमित तैनाती के कारण उन विद्यालयों के छात्र जहाँ शिक्षक आवश्यकता से कम थे, गुणवत्ता शिक्षा से वंचित थे।

अनुबंध-20

(पैरा सं. 4.5.1.2(ii) के संदर्भ में : रसोईघर सह भण्डार का अभाव)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	अभ्युक्तियां
1.	अण्डमान एंव निकोबार	<ul style="list-style-type: none"> निकोबार एंव दक्षिण अण्डमान जिले में खाना अस्वच्छ अस्थायी रसोईघर तथा खुले स्थान में पकाया गया था। रसोई घर उपकरणों के प्रापण हेतु भा.स. द्वारा संस्वीकृत 0.70 लाख की ज.जा.उ.यो. राशि का गैर-जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों हेतु उपयोग किया गया था। दोपहर का भोजन प्रदान करने हेतु कोई भोजन खाने का स्थान नहीं था तथा छात्रों को प्लास्टिक के लंच बाक्स में भोजन लेते पाया गया।
2.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 84 चयनित विद्यालयों में से 30 में रसोई घर सह भण्डार उपलब्ध नहीं था। 6 विद्यालयों में पेय जल उपलब्ध नहीं था। 56 विद्यालयों में बर्टन उपलब्ध नहीं थे।
3.	गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए जिलों में 125 इकाईयों में रसोई घर सह भण्डार उपलब्ध नहीं था। 1922 जनजातीय जिला विद्यालयों में से 533 बिना रसोईघर सह भण्डार के थे। 1389 कच्चे रसोई घर शैड वाले थे। नमूना जांच किए गए जिले में ₹4.36 करोड़ का उपयोग रसोईघर उपकरणों के प्रापण के लिए नहीं किया गया था।
4.	असम	<ul style="list-style-type: none"> 8 चयनित जिलों में से 6 में 68 चयनित विद्यालयों में से 64 विद्यालयों ने 16 विद्यालयों में रसोई घर-सह-भण्डार न होना प्रकट किया। भोजन को अस्वरुच्छ स्थिति में कक्षा/खुले स्थान में पकाया गया था।
5.	पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> 6 नमूना जांच किए गए जिलों में 88 विद्यालयों में से 44 विद्यालयों की स्थिति काफी खराब थी अर्थात् 6 विद्यालयों में रसोई घर सह भण्डार नहीं था तथा 2 में पक्का रसोई घर नहीं था। 23 विद्यालयों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान रसोई घर उपकरण प्राप्त नहीं किए थे। 14 विद्यालयों में पर्याप्त जल व्यवस्था नहीं थीं।
6.	दमन एंव दीव	<ul style="list-style-type: none"> दमन के 2 विद्यालयों में अलग रसोई घर अथवा पर्याप्त जल नहीं था।
7.	तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> चयनित 9 जिलों में, 4690 रसोई घर सहभण्डार में से केवल 122 (2.60%) को पूरा किया गया था तथा 634 केन्द्रों में निर्माण कार्य प्रगति में था तथा ₹115.38 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया है।
8.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 10 चयनित जिलों में, 8482 विद्यालय बिना रसोईघर सह भण्डार के थे। दूगंपूर के सिवाय 9 चयनित जिलों (अलवर, बासंवारा, डॉंसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, सर्वई मधोपूर, सिरोही तथा उदयपुर में रसोई घर उपकरण काफी कम संख्या में उपलब्ध थे। 3 जिलों (अलवर, प्रतापगढ़, जयपुर) में रसोई गैस उपकरण उपलब्ध नहीं थे।
9.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> 2 विद्यालयों में रसोईघर विद्यालयों से अलग नहीं थे।
10.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> भोजन पकाने के लिए कोई रसोईघर शैड नहीं पाए गए थे। भोजन कक्षा, विद्यालय के पास सामुदायिक हाल अथवा खुले स्थानों जैसे अस्थायी प्रबंधनों में पकाया गया था।

अनुबंध-21

(पैरा सं. 4.5.1.2(iv) के संदर्भ में : खाद्य अनाज का कुप्रबंधन)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 2011-12 से 2013-14 के दौरान 4948 से 5361 छात्रों के लिए 141718 कि.ग्रा. से 156844.1 कि.ग्रा. के बीच अपेक्षित खाद्य अनाज के प्रति केवल 105938.7 कि.ग्रा. से 124694.2 कि.ग्रा. खाद्य अनाज का आवंटन किया गया था।
2	অসম	<ul style="list-style-type: none"> যোজনা স্তর পর ম.ভো. প্রদান করনে মেঁ কমী 41 দিনো সে 53 দিনো কে বীচ থী। আঠ চয়নিত জিলোঁ মেঁ সে চার মেঁ খাদ্য অনাজ বাস্তবিক আবশ্যকতা সে 5.36 প্রতিশত সে 29.82 প্রতিশত তক কম আবণ্টিত কিয়া গয়া থা তথা উসকা ভী পূরা উপযোগ নহোঁ কিয়া গয়া থা। ₹13.84 সে ₹653.61 লাখ কা রসোই খর্চ বিনা উপযোগ শেষ রহা। কুল ₹57.23 লাখ কী ভোজন পকানে কী রাশি কো প্ৰধান সচিব, বী.টী.সী., কোকৱাঙ্গাৰ দ্বাৰা 2012-13 সে অগস্ত 2014 তক বিনা উপযোগ কিএ রখা গয়া থা। 2013-14 কে দৌৰান, 59 (68 মেঁ সে) চয়নিত বিদ্যালয়োঁ মেঁ যহ পায়া গয়া থা কি পকায়া গয়া ভোজন পী.এ.বী. দ্বাৰা স্বীকৃত বিদ্যালয় দিবসোঁ সে কম প্ৰদান কিয়া গয়া থা। ম.ভো. প্ৰদান কৰনে মেঁ কমী 01 দিন সে 197 দিনো কে বীচ থী।
3	आनंद प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> अपेक्षित खाद्य अनाज, आबण्टিত खाद्य अनाज, अपेक्षित भोजन पकाने की लागत, आबণ्टित भोजन पकाने की लागत आदि से सबंधित सूচना प্ৰস্তুত নহোঁ কী গई থী।
4	রাজস্থান	<ul style="list-style-type: none"> এক বিদ্যালয় মেঁ নিধিয়াঁ প্ৰদান ন কিএ জানে কে কাৰণ ছাত্ৰোঁ কো ম.ভো. প্ৰদান নহোঁ কিয়া গয়া থা। কৰোলী জিলোঁ কে 35 সে 53 কে বীচ ছাত্ৰোঁ বালে দো বিদ্যালয়োঁ মেঁ 2011-12 সে 2013-14 কে দৌৰান ম.ভো. নিয়মিত রূপ সে প্ৰদান নহোঁ কিয়া গয়া থা।
5	পশ্চিম বঙ্গাল	<ul style="list-style-type: none"> এক বৰ্ষ মেঁ 230 দিনো কে লিএ ম.ভো. প্ৰদান কৰনে কে অনুবন্ধ কে প্ৰতি যহ দেখা গয়া থা কি 88 নমূনা জাংচ কিএ গए বিদ্যালয়োঁ মেঁ সে 74 (84 প্রতিশত) 2011-14 কে দৌৰান ইস অনুবন্ধ কী অনুপালনা নহোঁ কৰ সকে থী। ইন 33 বিদ্যালয়োঁ, জিনহোঁনে 200 সে 229 দিনোঁ তক ম.ভো. প্ৰদান কিয়া থা, মেঁ সে 30 নে 150 সে 199 দিনোঁ 9 মেঁ 100 সে 149 দিনোঁ তথা 2 বিদ্যালয়োঁ নে 100 দিনোঁ সে কম তক ম.ভো. প্ৰদান কিয়া থা।
6	ত্ৰিপুৰা	<ul style="list-style-type: none"> 28 নমূনা জাংচ কিএ গए মেঁ সে 25 বিদ্যালয়োঁ কো 2011-12 কে দৌৰান চাবল কী অপেক্ষিত প্ৰমাত্ৰা আবণ্টিত নহোঁ কী গई থী জবকি 2012-13 কে দৌৰান 21 বিদ্যালয়োঁ তথা 2013-14 কে দৌৰান 24 বিদ্যালয়োঁ মেঁ পৰ্যাপ্ত প্ৰমাত্ৰা কা গৈৰ-আবণ্টন পায়া গয়া থা। 2011-12, 2012-13 এং 2013-14 কে দৌৰান চাবল আবণ্টন ক্ৰমশঃ 51, 72 এং 66% থা। পশ্চিম ত্ৰিপুৰা জিলোঁ মেঁ জীৱনিয়া ব্লক কে অন্তৰ্গত বলৱৎ ঠাকুৰ পারা এস.বী. বিদ্যালয় মেঁ জনৱৰী 2011 সে ফৱৰী 2013 তক 26 মহীনোঁ কে লিএ চাবল কা নিৰন্তৰ (ক্ৰণাত্মক) শেষ থা। নমূনা জাংচ কিএ গए বিদ্যালয়োঁ মেঁ নকারাত্মক শেষ কী মৌজুদগী 1 মহীনে সে 15 মহীনোঁ কে বীচ থী তথা চাবল কী বকায়া প্ৰমাত্ৰা 121 কি.গ্ৰা. সে 1084 কি.গ্ৰা. কে বীচ থী। বিদ্যালয়োঁ কো উনকী আবশ্যকতা কে অনুসার ভোজন পকানে কী লাগত ভী প্ৰদান নহোঁ কী গई থী। পশ্চিম ত্ৰিপুৰা জিলোঁ মেঁ বিসালগঢ় ব্লক কে অন্তৰ্গত পেকুজীলা হাঈ স্কুল নে অক্টোবৰ 2011 সে মাৰ্চ 2014 তক লগাতার 30 মহীনোঁ তক অপনী আবশ্যকতা কে অনুসার ভোজন পকানে কী লাগত প্ৰাপ্ত নহোঁ কী থী তথা নকারাত্মক শেষ ₹43,323 (মাৰ্চ 2014) তক বদ্ধ। 28 নমূনা জাংচ কিএ গए মেঁ সে 19 বিদ্যালয়োঁ কো 2011-12 কে দৌৰান ভোজন পকানে কী কম লাগত মিলী জবকি 2012-13 তথা 2013-14 কে দৌৰান আংকঢ়া ক্ৰমশঃ 20 তথা 18 থা।

अनुबंध-22

(पैरा सं. 4.5.1.3(i) के संदर्भ में : अनुचित अवसरंचना)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय में अवसरंचना की मूल आवश्यकता का निर्धारण 2009-10 में किया गया था परंतु 10 चयनित जिलों में 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान संस्वीकृत निर्माण कार्य उपरोक्त निर्धारण के अनुसार नहीं था। 15 निर्माण कार्य उन 15 विद्यालयों हेतु संस्वीकृत किए गए थे जहां सुविधाएं पहले से उपलब्ध थीं। तथापि, राज्य में 989 विद्यालय ऐसी सुविधाओं अर्थात्, पुस्तकालय, विज्ञान पुस्तकालय, गतिविधि कक्ष, शौचालयों, पेय जल के बिना चलाए जा रहे थे।
असम	<ul style="list-style-type: none"> 33 चयनित विद्यालयों में से 32 विद्यालय बड़े पैमाने पर त्रूटिपूर्ण अवसरंचना के साथ कार्य कर रहे थे तथा इसलिए उन विद्यालयों के छात्र आसानी से शिक्षा प्रदान करने हेतु अपेक्षित उपयुक्त सुविधाओं से वंचित रहे। 8 जिलों में 309 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने हेतु ₹79.88 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य, कार्य आदेशों को जारी करने से 6 से 19 महीनों के बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण रहा।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु संस्वीकृत क्रमशः 65 (951 में से) तथा 2392 सिविल कार्य को 17 से 28 महीनों के बीत जाने के पश्चात भी प्रारम्भ नहीं किया गया था (मार्च 2014) तथा 2010-11 (2011-12 में संस्वीकृत) के 388 विद्यालयों (951 में से) का सिविल कार्य मार्च 2014 तक अपूर्ण पड़ा था। 17 से 28 महीनों के बीत जाने के पश्चात भी विद्यालय के सुदृढीकरण निर्माण कार्य के गैर-निष्पादन के कारण छात्र अपेक्षित सुविधाओं से वंचित थे।
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> चयनित 14 विद्यालयों में से 12 विद्यालयों में विज्ञान पुस्तकालयाएं, विज्ञान प्रयोगशाला, गणित तथा कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं प्रदान नहीं की गई थीं। केवल ब्लैक बोर्ड तथा फर्नीचर जैसी अवसरंचना सुविधाएं इन विद्यालयों को आर.एम.एस.ए. निधियों के अंतर्गत प्रदान की गई थी।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राज्य आर.एम.एस. द्वारा संस्वीकृत कुल 2123 सिविल कार्य को 2013-14 के दौरान प्रारम्भ किया गया था। सितंबर 2014 तक कोई कार्य समाप्त नहीं किया गया है। एक विद्यालय¹⁵ की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सिविल कार्य जनवरी 2014 में आरम्भ किया गया था तथा भूमि की खुदाई का काम केवल पांच दिनों के लिए प्रारम्भ किया गया था तथा आगे कोई कार्यक्रम नहीं था।
ज.एंव क.	<ul style="list-style-type: none"> चयनित छ: जिलों में कुल 445 माध्यमिक विद्यालयों में से 377, 380, 412, 242 तथा 435 विद्यालय क्रमशः पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, समेकित प्रयोगशाला कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष तथा बालिका गतिविधि कक्षों के बिना चल रहे थे। इसी प्रकार, चयनित छ: जिलों में कुल 157 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 88, 108, 107, 66 तथा 157 विद्यालय क्रमशः पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, समेकित प्रयोगशाला कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष तथा बालिका गतिविधि कक्षों के बिना चल रहे थे। विद्यालयों को अवसरंचना प्रदान करने में कमी इस संबंध में निधियों की अप्राप्ति के कारण थी।
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> 2010-11 में, भा.स. ने 5893 सिविल निर्माण कार्यों नामतः नई विद्यालय इमारत का निर्माण, विद्यालयों का सुदृढीकरण, शिक्षकों के मकान आदि को संस्वीकृत किया है। 1752 निर्माण कार्यों (अतिरिक्त कक्षाएं तथा विज्ञान प्रयोगशाला) के प्रति लो.नि.वि. ने केवल 763 निर्माण कार्य प्रारम्भ किए हैं तथा शेष 989 निर्माण कार्यों को आज तक (मई 2014) अभी भी प्रारम्भ किया जाना है। चयनित नौ जिलों में, 948 निर्माण कार्यों की संस्वीकृति के प्रति 494 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए थे तथा 454 विद्यालयों में निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किए जाने थे।

¹⁵ जी.एच.एस., बेनछीनमर्दी (कोलावी), गोकाक

	<ul style="list-style-type: none"> 344 नई विद्यालय ईमारतों के निर्माण का कार्य अभी भी तिथि तक प्रारम्भ किया जाना था। जिसमें में 126 नई विद्यालय ईमारतों का नौ चयनित जिलों में निर्माण किया जाना था।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> पी.ए.बी. ने प्रत्येक गणित तथा विज्ञान प्रयोगशाला किटों के 644 सेटों (प्रत्येक में 10 किटे शामिल हैं) के प्रापण हेतु ₹1.93 करोड़ की राशि स्वीकृत (2013-14) की जिसमें नमूना जांच किए गए जिलों हेतु 127 सेट शामिल थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विज्ञान प्रयोगशाला किटों का प्रापण तथा विद्यालयों में इसका संवितरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 326 विद्यालयों में से केवल 100 विद्यालयों (मार्च 2014) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जबकि शेष 226 विद्यालयों का निर्माण विभिन्न घटकों अर्थात् भूमि की अनुपलब्धता (25 विद्यालय), अपर्याप्त निधि (एक विद्यालय), लंबित भूमि मैपिंग (एक विद्यालय), ड्राफ्ट निविदा दस्तावेजों को तैयार करने में विलम्ब (66 विद्यालय), अभिकरण निर्धारित की गई परंतु कार्य प्रारम्भ न करने (111 विद्यालय) तथा कार्य आदेश जारी न करने (19 विद्यालय) के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि खोले गए चार विद्यालयों (2011-12) को छात्रों की अनुपलब्धता के कारण 2013-14 में बंद कर दिया गया था। इसने योजना की कमी को विद्यालयों की स्थापना आवश्यकता का निर्धारण किए बिना की गई थी तथा निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन अभिकरण को अंतिम रूप देने में विलम्ब को दर्शाया जिसने विद्यालयों के छात्रों को उपयुक्त अवसरंचनात्मक सुविधा से वंचित किया।

अनुबंध-23

(पैरा सं. 4.5.1.3(ii) के संदर्भ में : सामुदायिक संघटन एवं अभिनव हस्तक्षेप)

क्र.सं.	राज्य	अन्युकृति
1.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 10 ज़िलों के 20 विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान नहीं किए गए थे।
2.	असम	<ul style="list-style-type: none"> 8 नमूना जांच किए गए ज़िलों में भा.स. से निधि प्राप्त नहीं की गई थी।
3.	ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय स्तरों पर कोई सामुदायिक संघटन कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए थे क्योंकि ऐसे कार्य प्रारम्भ करने के समर्थन में कोई अभिलेख तथा दस्तावेज 33 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थे।
4.	तमिलनाडु	9 चयनित ज़िलों में, डी.पी.सी. द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए थे।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	मुफ्त पुस्तके, कार्य पुस्तिका एवं स्टेशनरी मट, यूनिफार्म/जूते; साईकल/व्हील चेयर आवास एवं भोजन हेतु प्रभार, छात्रों हेतु वजीफा आदि जैसे प्रोत्साहन 2011-14 के दौरान राज्य में अ.ज.जा. छात्रों को प्रदान नहीं किए गए थे।
6.	बिहार	<ul style="list-style-type: none"> 10 नमूना जांच किए गए ज़िलों के 63 विद्यालयों में पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएँ तथा लेखनसामग्रियां 11923 अ.ज.जा. छात्रों सहित किसी भी छात्र को प्रदान नहीं की गई थी। 3 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 211 अ.ज.जा. बालिका छात्रों को यूनिफार्म प्रदान नहीं की गई थीं। दो नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 198 अ.ज.जा. छात्रों में से 27 अ.ज.जा. छात्रों को निधियों की अनुपलब्धता के कारण साईकले प्रदान नहीं की गई थीं। 63 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 7 ने साईकल की खरीद के लिए 349 अ.ज.जा. छात्रों को धन के संवितरण का दावा किया परंतु खरीद के समर्थन में बातचर उपलब्ध नहीं थे। 10 नमूना जांच किए गए ज़िलों में 63 विद्यालयों के 11923 अ.ज.जा. छात्रों सहित किसी भी छात्र को आवास एवं भोजन प्रभार प्रदान नहीं किए गए थे। 51 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में भर्ती 3511 अ.ज.जा. छात्रों को निधियों की अनुपलब्धता एवं प्रशासनिक कारणों के कारण वजीफा प्रदान नहीं किया गया था।
7.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> महाराष्ट्र सरकार ने 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान अ.ज.जा. छात्रों को जूते, यूनिफार्म, साईकल, भोजन एवं आवास अथवा वजीफा जैसे प्रत्याशित लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। 2012-13 के दौरान, केवल 31 प्रतिशत छात्रों को पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं तथा लेखनसामग्री प्रदान की गई थीं परंतु जूते, यूनिफार्म, साईकल, भोजन एवं आवास अथवा वजीफा जैसे अन्य लाभ प्रदान नहीं किए गए थे।
8.	आनंद प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> सात नमूना ज़िलों में, अ.ज.जा. छात्रों को पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं, लेखन सामग्रियां, यूनिफार्म, जूते तथा साईकल/व्हील चेयर प्रदान नहीं की गई थीं। सात नमूना ज़िलों में किसी भी नमूना जांच किए गए शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे अनावासी अ.ज.जा. छात्रों को आवास एवं भोजन प्रभार अदा नहीं किए गए थे।
9.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत 20 चयनित विद्यालयों में भर्ती अ.ज.जा. छात्रों को कोई पुस्तकें, कार्य पुस्तिका, लेखन सामग्री, यूनिफार्म, जूते आदि प्रदान नहीं किए गए थे।
10.	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> 94 से 98 प्रतिशत अ.ज.जा. छात्रों को वजीफा दिया गया था। 22 से 35 प्रतिशत अ.ज.जा. छात्रों को साईकल/व्हील चेयर का संवितरण किया गया था। किसी भी अ.ज.जा. छात्र को कोई यूनिफार्म तथा आवास एवं भोजन के प्रभार प्रदान नहीं किए गए थे। छात्रों को साईकल तथा व्हील चेयर की सुविधा आंशिक रूप से प्रदान की गई थी।
11.	झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> 32120 अ.ज.जा. छात्र बिना किसी वस्तुओं/सुविधाओं के भर्ती किए गए थे।
12.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> राज्य मिशन द्वारा अ.ज.जा. छात्रों को कोई साधन सहयोग नहीं था।

अनुबंध-24

(पैरा सं. 4.5.1.5(iii) के संदर्भ में : अवसरंचना का विकास न होना)

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अन्युक्ति
1	पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> • हमने छ: चयनित जिलों में 12 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की नमूना जांच की। इन प्रत्येक विद्यालयों ने 10 कम्प्यूटर प्राप्त किए थे। इन 120 कम्प्यूटरों में से, दो जिलों में चार विद्यालयों में कोई कम्प्यूटर नहीं था जैसा नीचे दर्शाया गया है: <ul style="list-style-type: none"> ◦ बर्धवान में दो विद्यालयों ¹⁶ में, दिसंबर 2012 में आपूर्ति किए गए तथा जनवरी 2013 में चालू किए गए 19 कम्प्यूटरों तथा परिधीय जून 2013 तथा जून 2014 के बीच चोरी हो गए थे। ◦ जलपाईगुड़ी में दो विद्यालयों में 20 कम्प्यूटरों की सितंबर 2012 में आपूर्ति की गई थीं तथा बाद में मार्च 2014 में उप-ठेकेदार द्वारा उन विद्यालयों से वापस ले लिया गया था क्योंकि अभिकरण (डब्ल्यू.आई.एल.) ने विलम्ब तथा गैर-निष्पादन के आधार पर अपने उप-ठेकेदारों के साथ संविदा को रद् कर दिया था। • 80 शेष कम्प्यूटरों में से, तीन चयनित जिलों¹⁷ में पांच विद्यालयों में 25 (31 प्रतिशत) खराब थे (जून से सितंबर 2014 तक)। • पश्चिम मिदनापूर में, एक विद्यालय में कम्प्यूटरों को जून 2014 में लगाया गया था तथा कक्षाए लेखापरीक्षा के समय (17 जून 2014) अभी भी प्रारम्भ करनी थीं।
2	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> • नमूना जांच किए विद्यालयों में, प्रिंटरो, यू.पी.एस. तथा कुर्सी एवं टेबल सहित केवल 8 से 10 कम्प्यूटर प्रदान किए गए थे। अवसरंचना सुविधाओं की संस्थापना की विभाग द्वारा बाहरी अभिकरणों की नियुक्ति करके जांच की जानी थी परंतु यह नहीं किया गया था। किसी भी नमूना जांच किए गए विद्यालय में विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट संयोजकता स्थापित नहीं की गई थी। भुगतान की स्थिति की एस.सी.ई.आर.टी., त्रिपुरा द्वारा अभिलेखों के गैर प्रस्तुतीकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार, क्या अभिकरण को विद्यालयों हेतु अपेक्षित अवसरंचना सुविधा की सस्थापना के बिना पूर्ण भुगतान प्राप्त हुआ था, भी सत्यापित नहीं किया जा सकता था।
	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> • 16 नमूना जांच किए गए सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में से योजना को स्वयं की ईमारत की मांग के कारण 3 विद्यालयों ¹⁸ में कार्यान्वित नहीं किया गया था शेष 13 विद्यालयों में योजना को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया गया था। • संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि केवल तीन विद्यालयों ¹⁹ में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की गई थी। अन्य 10 विधालयों²⁰ में मॉनीटर की गैर-आपूर्ति के कारण छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकी थी।
3	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> • सेवा प्रदाता फर्म द्वारा 23 सितंबर 2010 को सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, जयसिंहपुरा ब्लाक संगानेर, जयपुर को 10 कम्प्यूटर आदि प्रदान किए गए थे। कम्प्यूटरों की संस्थापना के पश्चात फरवरी 2014 की समाप्ति तक सकांय की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसलिए, छात्र आई.सी.टी. परियोजना से वंचित थे। • बाद में प्रदत्त सूचना की संवीक्षा में यह पाया गया था कि सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, इंदरगढ़, ब्लाक जामवा रामगढ़, जयपुर से 6 मार्च 2012 को 10 कम्प्यूटर तथा

¹⁶ मोसग्राम हाई स्कूल तथा नूटीपुर भूपेन्द्र स्मृति विधामंदीर¹⁷ द्राजिलिंग: दो विद्यालयों में सात कम्प्यूटर प्रत्येक, पश्चिम मिदनापूर: एक विद्यालय में पांच कम्प्यूटर तथा बॉक्स: दो विद्यालयों में चार कम्प्यूटर।¹⁸ जी.एच.एस., सामाज़ा (बेलगाव), जी.एच.एस. वेनेहनमटी (गोकाळ), जी.एच.एस. अगासनकालू (चित्रदुर्ग)¹⁹ जी.एस.एस., कासीपूर (दिवंगिरी), जी.एस.एस. मस्तूर (रायधर)²⁰ जी.सी.एच.एस. व्यायासंदरा, डब्ल्यू-34 (तूमकूर), जी.एच.एस. राजोला (बिंदर), जी.जे.सी., गोपालन (दिवंगिरी), ए.बी.एस. सरकार प्री विश्वविद्यालय महाविद्यालय (अनेकला), (बैंगलोर शहरी), जी.एच.एस., बालिका, मल्लेश्वरम (बैंगलोर शहरी), जी.एच.एस. सी.एस.प्रा. रामदुर्ग (बिलारी), जी.यू.पी. कम्पोसिट महाविद्यालय, थाकुला (चित्रदुर्ग), जी.जे.एस. बार्ड्फोकेटिड महाराजा (मैसूर), सरकारी पी.यू. विश्वविद्यालय, बालक मानवी (रायचूर), जी.जे.सी. पावगढ (तूमकूर)

		तीन सी.पी.यू. चुरा लिए गए थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने 6 मार्च 2012 को पुलिस थाना, जामवा रामगढ़, जयपूर में कम्प्यूटर आदि की चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज की। इस मामले की जांच के पश्चात् एस.एच.ओ. पुलिस थाना, जामवा रामगढ़, जयपूर ने 27 जून 2012 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस प्रकार सेवा प्रदत्ता फर्म कम्प्यूटरों की पुनः संस्थापना हेतु उत्तरदायी थी परंतु फर्म द्वारा उनकी संस्थापना नहीं की गई थीं। इस प्रकार स.उ.मा.वि. रामगढ़ के छात्र आई.सी.टी. परियोजना के लाभ से वंचित थे।
4	असम	<ul style="list-style-type: none"> 12 विद्यालयों से, जहाँ आई.सी.टी. योजना कार्यान्वित की गई थी, में से पांच में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 26 कम्प्यूटर मरम्मत/वापसी की मांग के कारण दो से 36 महीनों के बीच की अवधियों तक गैर-क्रियात्मक रहे। 12 विद्यालयों जहाँ आई.सी.टी. योजना कार्यान्वित की गई थी, में से तीन में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा आठ विद्यालयों को आवर्ती व्यय के रूप में 1000/- प्रति माह की दर बिजली प्रभार प्रदान नहीं किया गया था। एक विद्यालय के सबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। 12 विद्यालयों, जहाँ आई.सी.टी. योजना कार्यान्वित की गई थी में से चार में वैकल्पिक पॉवर बैकअप के रूप जनरेटर प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि जनरेटर प्रदान किया गया था परंतु 1000 प्रति माह की दर पर जनरेटर हेतु डिजल/मिट्टी के तेल पर व्यय हेतु आवर्ती व्यय कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किसी भी विद्यालय को प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, रसोई गैस से चलने वाला जनरेटर की आठ विद्यालयों में से एक में आपूर्ति की गई थी। परंतु विद्यालय रसोई गैस का उपभोक्ता नहीं था जिसके परिणाम स्वरूप जनरेटर फरवरी 2010 से व्यर्थ पड़ा था। 12 विद्यालयों, जहाँ आई.सी.टी. योजना कार्यान्वित थी, में से नौ में इंटरनेट सुविधा की कमी थी। तीन विद्यालयों, जहाँ इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई थी, में से एक में इसे गैर-क्रियात्मक स्थिति में पाया गया था। इसके अतिरिक्त 10,000/- प्रति वर्ष की दर पर इंटरनेट/ब्राउज़ेर प्रभार तीन विद्यालयों, जहाँ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी, को प्रदान नहीं किए गए थे। इस प्रकार, आई.सी.टी. का लाभ चयनित जिले/विद्यालयों तक नहीं पहुंच सका।

अनुबंध-25

(पैरा सं. 4.5.1.5(iv) के संदर्भ में : आधिष्ठापन तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान न करना)

क्र.सं.	राज्य का नाम	चयनित जिलों की सं.	चयनित विद्यालयों की सं.	प्रशिक्षण प्रदान किया गया हाँ या नहीं में		अन्य अभ्युक्तियां
				अधिष्ठापन	पुनश्चर्या	
1	त्रिपुरा	-	-	नहीं	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> किसी समर्पित शिक्षका की नियुक्ति नहीं की गई। आई.सी.टी. सुविधाओं का व्यर्थ होना।
2	केरल,	4	9	-	-	<ul style="list-style-type: none"> छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। समर्पित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई।
3	पश्चिम बंगाल	3 3	12 -	हाँ नहीं	नहीं नही	<ul style="list-style-type: none"> अतंर थे जिसने 3747 अ.ज.जा. छात्रों को प्रभावित किया।
4	महाराष्ट्र	10	16 में से 15	नहीं	नहीं	-
5	असम	-	12 में से 11			
6	राजस्थान	4	8	नहीं	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> तीन जिलों अर्थात् दुगंरपूर, प्रतापगढ़ तथा सिरोही में 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालय में एक अ.ज.जा. छात्र को प्रशिक्षित किया गया था। इन जिलों के अन्य विद्यालयों में कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

अनुबंध-26

(पैरा सं. 4.5.2.1(iv) के संदर्भ में : प्रशिक्षण कार्यकलाप में कमी)

राज्य का नाम	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> चयनित सभी तीनों ज़िलों में प्रशिक्षण पहलू को पूर्णतः अनदेखा किया गया था।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> रांची ज़िले में ओनकोलोजिस्ट की नियुक्ति न करने के कारण एन.पी.सी.डी.सी.एस. से संबंधित कोई गतिविधि नहीं पाई गई थी। चयनित चार²¹ सी.एस.सी. में पर्याप्त स्थान तथा चिकित्सीय एवं पैरा चिकित्सीय स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण कोई कार्यकलाप प्रदान नहीं किए गए थे।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में प्रशिक्षण संस्थान के अभाव के कारण, पांच मुख्य प्रशिक्षकों के सेवा पूल का विभाग द्वारा ज़िला तथा पी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपयोग नहीं किया जा सका था। राज्य एन.सी.डी. कक्ष में प्रशिक्षार्थी की प्रत्येक श्रेणी को किसी प्रशिक्षण किटों का संवितरण नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> हालांकि मुख्य प्रशिक्षकों का पूल राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। चन्द्रपुर तथा गदाचिरौली ज़िले में चिकित्सा स्टाफ को एन.सी.डी. प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
आनंद प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> नमूना ज़िलों में, प्रशिक्षण चिकित्सा अथवा पैरा चिकित्सा व्यावसायिकों द्वारा प्रदान की जानी थी परंतु केवल 475 ए.एन.एम. को प्रशिक्षित किया गया था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> फिजियोथेरेपिस्ट का पद सभी पांच एन.सी.डी. ज़िलों में रिक्त रहा। लखिमपुर ज़िले में, उपशामक तथा पुनर्वास देखभाल प्रदान करने हेतु नर्सों के प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए ज़िलों (कारगील तथा लेह) में किसी भी चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा व्यावसायिकों को 2011-12 से 2013-14 के प्रशिक्षित नहीं किया गया था। 19 संस्वीकृत एन.सी.डी. क्लीनिकों में से केवल 7 क्लीनिक क्रियात्मक थीं (डोडा में 3, लेह में 2 तथा उघमपुर ज़िले में 2)।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> थूम्कूर ज़िले में, एन.सी.डी. क्लीनिक में डाक्टर तथा नर्सों के संस्वीकृत पद के प्रति कोई डाक्टर तथा नर्स नहीं थी। केन्द्र स्तर पर कोई प्रशिक्षण किटों की आपूर्ति नहीं की गई थी। स्टाफ की एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर नियुक्ति की गई थी।
बिहार	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा व्यावसायिकों हेतु प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया गया था। ज़िला स्तर स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का क्षमता निर्माण नमूना जांच किए गए ज़िलों में वृद्धिपूर्ण था।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> बिलासपुर तथा जशपुर ज़िलों की एन.सी.डी. क्लीनिकों के साथ-साथ ज़िला एन.सी.डी. कक्ष में श्रमशक्ति की कमी थी।

²¹ बेरो, कांके, माडेर तथा नामकूम

अनुबंध-27

(पैरा सं. 4.5.2.2(i) के संदर्भ में : सू.शि.सं. तथा मास मीडिया कार्यकलापों का न किया जाना)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> अनुवाद, अभिग्रहण तथा प्रसार हेतु सू.शि.सं. सामग्री 2011-12 से 2013-14 के दौरान केन्द्रीय एन.सी.डी. कक्ष से प्राप्त नहीं की गई थी। राज्य स्तर पर स्वास्थ जीवन शैली को प्रोत्साहीत करने हेतु प्रदत्त नैदानिक सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप तथा ग्राम स्तर पर वयोवृद्ध की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के संबंध में सूचना का वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान उल्लेख नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए नौ सी.एच.सी.²² तथा 16 पी.एच.सी.²³ में न तो जिला एन.सी.डी. सैल से अनुवादित सू.शि.सं. सामग्री की गई थी और न ही आठ सी.एच.सी. में लोक जागरूकता हेतु ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस के माध्यम से कोई संदेश दिया गया था।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> एस.एच.एस. ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान अस्पताल तथा पी.एच.सी./पी.एच.एस.सी. को संवितरण हेतु न तो भा.स. से कोई पोस्टर, बैनर प्राप्त किए थे और न ही इनका प्रापण/प्रिंट कराने हेतु कोई कदम उठाया था। सामुदायिक जागरूकता केवल ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस के दौरान ही सीमित थी। वयोवृद्ध के स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में लोगों को सुग्राही बनाने हेतु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन नहीं किया गया था।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> लोगों की जागरूकता हेतु मास मीडिया संदेश नहीं दिए गए थे क्योंकि राज्य द्वारा इसका आयोजन नहीं किया गया था। लोगों को शिक्षित करने हेतु किसी शिविरों पोस्टरों, बैनरों का उपयोग नहीं किया गया था। ग्राम स्तर पर वयोवृद्ध हेतु वार्षिक जांच शिवरों का आयोजन नहीं किया गया था। घर तक सीमित/रूग्ण वयोवृद्ध व्यक्तियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> चयनित पांच ब्लॉकों में से केवल एक ब्लॉक (पथालगांव) ने लोगों की जागरूकता हेतु बैनर तथा पोस्टर प्रकाशित किए थे।

²² दमूआ, धनोरा, हराई, जमई, कुकशी, नामली, पीथमपुर, सैलाना तथा तमिया²³ बरेलीपार, बटकाहापा, बिलपंक, बुरीखुर्द, चिंदी, देहरी, डेलाखेरी, धामनोड, दुंगरिया, हाल्डी, हनोटिया, नाल्छा, ओझालधाना, सागोर, श्रवण तथा शिवगढ़

अनुबंध-28

(पैरा सं. 4.5.2.2(ii) के संदर्भ में : कोई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान नहीं की गई)

राज्य	अन्युक्तियां
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> जिला अस्पताल, सिंगंतम में ₹40.93 लाख की कुल लागत पर स्थापित 20 बैड वाले जराचिकित्सा वार्ड (पुरुष एवं महिला प्रत्येक हेतु 10 बैड अलग) को अभी भी (सितंबर 2014) चालू किया जाना था। जराचिकित्सा वार्ड को चालू न किए जाने के कारण, चार बैड वाले जराचिकित्सा वार्ड को जिला अस्पताल, सिंगंतम के पुरुष चिकित्सा वार्ड से अस्थायी रूप से चलाया जा रहा था। पी.एच.सी. स्तर पर साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लीनिक का आयोजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, वयोवृद्ध रोगियों को राहत देखभाल के प्रावधान हेतु कथित वार्ड में कोई अलग कमरे को चिह्नित नहीं किया गया था। जिला अस्पताल, सिंगंतम में एन.सी.डी. क्लीनिक में दैनिक देखभाल किमोथेरेपी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, जिराचिकित्सा चिकित्सीय एंव स्वास्थ्य समस्याओं हेतु प्रयोगशाला जांच तथा औषधीयों के लिए अलग सुविधा का कोई प्रावधान नहीं था।
आन्ध्र प्रदेश (जिला अस्पताल नैलोर)	<ul style="list-style-type: none"> सितंबर 2012 में अस्पताल परिसर में एक अलग जराचिकित्सा क्लीनिक की स्थापना की गई थी। 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः 16409 तथा 26097 जराचिकित्सा के मामलों की पहचान की गई थी परंतु महत्वपूर्ण मर्दे²⁴, जो अपेक्षित थी, उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में अभिलेखों का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> तीन जिला अस्पतालों²⁵, 9 सी.एच.सी. तथा 16 पी.एच.सी. में सुविधाएं मशीनों तथा उपकरणों के सम्पूर्ण सेट से सुसाजित नहीं थीं।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग में 309828 वयोवृद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या के प्रति मार्च 2014 तक क्रमशः केवल 97870 (32 प्रतिशत) तथा 4402 (0.9 प्रतिशत) की जांच की गई थी जिसने खराब निष्पादन को दर्शाया।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> दवाईयों तथा उपभोज्यों हेतु किए गए 3.05 लाख की इन्डेन्ट कीमत के प्रति केवल ₹1.42 लाख मूल्य की दवाईयों आपूर्ति की गई थी।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> जिला स्तर पर विशेष सेवाओं वाले जराचिकित्सा वार्ड तथा क्लीनिक को स्थान की विलम्ब से उपलब्धता तथा चिकित्सा एंव पैरा चिकित्सा स्टाफ की गैर-नियुक्ति के कारण अभी भी शुरू किया जाना था।

²⁴ 1 मल्टी चैनल मानीटर 2 नान इनवोसिव वैंटीलेटर 3 शार्टवेव डायथर्म 4 सर्वोकिल ट्रक्शन (इंटरमिटेट) 5 पेल्विक ट्रेक्शन (इंटरमिटेट) 6 ट्रान इलेक्ट्रीक नर्व स्टीमूलेटर 7 एडजस्टेबल वाल्कर

²⁵ छिंदवाड़ा, धर तथा रतलाम

अनुबंध-29

(पैरा सं. 4.5.2.2(iii) के संदर्भ में : प्रशिक्षण कार्यकलाप में कमी)

राज्य	अनुबंधितयां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 3225 प्रशिक्षित व्यावसायिकों के मानदण्ड के प्रति एस.एच.सी. से डी.एच. तक केवल 1391 व्यावसायिक प्रशिक्षित किए गए थे। प्रशिक्षण संघटक हेतु ₹37.88 लाख के उपलब्ध बजट के प्रति वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान केवल ₹16.59 लाख (44 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था। 3 डी.एच. तथा 9 सी.एच.सी. की नमूना जांच ने प्रकट किया कि पर्याप्त स्टाफ की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> तीन चयनित जिलों में यह पाया गया था कि दो जिलों (चन्द्रपूर तथा गदचिरोली) में प्रशिक्षण अलग से प्रदान नहीं किया जा रहा था बल्कि इसे एन.पी.सी.डी.एस के प्रशिक्षण के साथ प्रदान किया गया था। अमरावती जिले में योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।
आनंद प्रदेश (जिला अस्पताल, नैलोर)	<ul style="list-style-type: none"> एन.पी.एच.सी.ई. के कार्यान्वयन हेतु अलग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई थी इसलिए चिकित्सा व्यावसायिकों को प्रशिक्षणों हेतु नामांकित नहीं किया गया था।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> कश्मीर तथा जम्मू प्रभाग में एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत स्टाफ की भारी कमी थी। कश्मीर प्रभाग में, 53 चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा स्टाफ की संस्वीकृत संख्या के प्रति केवल 34 (64%) तैनात थे। इसी प्रकार, जम्मू प्रभाग में 29 की संस्वीकृत संख्या के प्रति केवल 17 (59%) तैनात थे। नमूना जांच किए कारगील तथा लेह जिले में 33 की संस्वीकृत संख्या के प्रति केवल 18 (56%) एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत तैनात थे। दोनों जिलों में कोई चिकित्सा सलाहकार प्रदान नहीं किया गया था।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> जिला एन.सी.डी. में प्रशिक्षण सूची तैयार की गई थी तथा डी.एच.ओ. द्वारा स्वीकृत की गई थी परंतु राज्य एन.सी.डी. सैल द्वारा तैयार नहीं की गई थी। एन.पी.एच.सी.ई. हेतु प्रशिक्षण मानदण्ड एन.पी.सी.डी.सी.एस. के समान थे। चिकित्सा अधिकारियों तथा पैरा चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे। 2011-12 से 2013-14 के दौरान साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लीनिकों का आयोजन नहीं किया गया था।

अनुबंध-30

(पैरा सं. 4.5.2.3(i) के संदर्भ में : लक्ष्यों तथा उपलब्धियों में कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> टीकाकरण विस्तार में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों में कमी।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> केवल 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपलब्धि डी.टी. के अंतर्गत 8 से 16 प्रतिशत, टी.टी.-16 हेतु 37 से 42 प्रतिशत तथा टी.टी. 10 हेतु 32 से 37 प्रतिशत थी। टीकाकरण हेतु 24,25,247 बच्चों का लक्ष्य था, जिसमें से 2011-14 के दौरान बी.सी.जी. के लिए 2095147 बच्चों को टीका दिया गया, 20,11,685 बच्चों को मिजल्स के लिए 20,35,471 बच्चों को डी.पी.टी. के लिए तथा 18,17,945 बच्चों को आई.पी.बी. के लिए टीके दिये गये थे।
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> 12 प्रा.स्वा.के. में, एक प्रा.स्वा.के. (आटारोभोल) के सिवाए कोई भी प्रा.स्वा.के. विभाग, निर्धारित पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था। अन्य चयनित प्रा.स्वा.के. में उपलब्धि दर 15 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच थी।
मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> अवधि के दौरान 5 वर्षों की आयु हेतु डी.टी., 10 वर्षों के आयु वर्ग हेतु टी.टी. तथा 16 वर्षों के आयु वर्ग हेतु टी.टी. की समग्र उपलब्धि क्रमशः 34.35%, 40.04% तथा 62.34% थी। उपलब्धि में कमी के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।
मध्यप्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> पूर्ण टीकाकरण में कमी 14 से 21 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, दस नमूना जांच किए गए जिलों में टीके में उपलब्धि 47-113 प्रतिशत के बीच थी तथा पूर्ण टीकाकरण में यह 61-101 प्रतिशत थी।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> एस.एच.एस. एवं डी.एच.एस. (पूर्व एवं पश्चिम) में पूर्ण टीकाकरण में उपलब्धि में कमी क्रमशः 8 से 10 प्रतिशत तथा 5 से 26 प्रतिशत थी। टी.टी. (16) के विस्तार में एस.एच.एस द्वारा उपलब्धि की खराब प्रतिशतता (59 से 67 प्रतिशत) थी। मिजल्स के विस्तार (लक्ष्य के प्रति 91% से 94%) की उच्च दर के बावजूद, 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान, राज्य में मिजल्स के 300 मामले सूचित किए गए थे।
असम	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान एम.डी., रा.गा.स्वा.मि. द्वारा, टीकाकरण के लिए ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं की गई थी। 2011-14 के दौरान लक्ष्यों की तुलना में, टीकाकरण के अंतर्गत उपलब्धि में कमी 12 से 23 प्रतिशत के बीच थी। 2011-14 के दौरान, राज्य में गौण टीकाकरण की उपलब्धि में कमी, डी.पी.टी. द्वितीय बूस्टर हेतु 60 से 80 प्रतिशत के बीच, टी.टी. (16 वर्ष) हेतु 72 से 76 प्रतिशत के बीच तथा टी.टी. (16 वर्ष) हेतु 64 से 74 प्रतिशत तक थी।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान, राज्य स्तर पर पूर्ण टीकाकरण, अर्थात् बी.सी.जी., मिजल्स, डी.पी.टी., ओ.पी.बी., डी.टी., टी.टी. 16, टी.टी.10 में कमी 8 से 16 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, छ²⁶ नमूना जांच किए गए जिलों में, टीकाकरण लक्ष्यों की उपलब्धि में भी कमी पाई गई थी। यद्यपि, राज्य में यू.आई.पी. कुछ वर्षों से कार्यान्वित था फिर भी राज्य में 2011-12 से 2013-14 के दौरान, पोलियो की बिमारी के मामले को छोड़कर, बचपन निवारणीय रोग मामलों के पर्याप्त मामले थे।

²⁶ अनंतनाग, कारगिल, लेह, पुंछ, राजौरी तथा रियासी

बिहार	<ul style="list-style-type: none"> उनके क्षेत्रों से संबंधित नवजात पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित नहीं थे, क्योंकि लक्ष्यित जनसंख्या के केवल 67 से 75 प्रतिशत को शामिल किया जा सका था।
ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान, नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, 25,73,872 के लक्ष्य के प्रति 20,99,484 बच्चों (82 प्रतिशत) को प्रतिरक्षित किया गया था। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के अंतर्गत, 2011-14 के दौरान 25,96,197 के लक्ष्य के प्रति 2108040 बच्चों (81 प्रतिशत) का प्रतिरक्षण किया गया था। पूर्ण प्रतिरक्षण के अंतर्गत, 25,73,872 के लक्ष्य के प्रति 20,99,484 बच्चों को प्रतिरक्षित किया था।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के 12 जनजातीय जिलों में डी.टी., टी.टी. (16) तथा टी.टी. (10) के प्रतिरक्षण में क्रमशः 19.01 प्रतिशत, 11.54 प्रतिशत तथा 11.16 प्रतिशत की कमी थी। जबकि आठ चयनित जिलों के मामले में डी.टी., टी.टी.(16) के प्रतिरक्षण में ऐसी कामियां क्रमशः 33.11 प्रतिशत, 14.39 प्रतिशत तथा 17.97 प्रतिशत के बीच थी। बी.सी.जी. के मामले में, आठ चयनित जिलों में 10.03 प्रतिशत की कमी थी। राज्य में पोलियो का कोई नया मामला नहीं था परंतु 2011-14 की अवधि के दौरान पी.पी.आई. की समग्र उपलब्धि 6.24 प्रतिशत से 9.71 प्रतिशत के बीच थी।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> बी.सी.जी., मिजल्स, डी.पी.टी. तथा ओ.पी.वी. के अंतर्गत शून्य से एक वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के प्रतिरक्षण के लक्ष्य में उपलब्धि 2011-12 से 2013-14 के दौरान 85 से 82, 86 से 80, 87 से 83 तथा 86 से 83 तक गिरावट आई। 2011-12 के दौरान सरगुजा (35 प्रतिशत) तथा 2012-13 के दौरान बलरामपुर (42 प्रतिशत) को छोड़कर बी.सी.सी. टीकाकरण 71 से 112 प्रतिशत के बीच था। 2011-12 के दौरान सरगुजा (45 प्रतिशत), 2012-13 के दौरान बलरामपुर (46 प्रतिशत) तथा कोडंगांव (58 प्रतिशत) को छोड़कर मिजल्स टीकाकरण 72 से 107 प्रतिशत के बीच था। सरगुजा (41 प्रतिशत) में 2011-12 के दौरान और बलरामपुर में (42 प्रतिशत) 2012-13 के दौरान को छोड़कर, डी.टी.पी. टीकाकरण 74 से 117 प्रतिशत के बीच किया गया था। 2011-12 के दौरान सरगुजा में (39 प्रतिशत) तथा 2012-13 के दौरान बलरामपुर में (42 प्रतिशत) को छोड़कर, ओ.पी.वी. टीकरकरण 68 से 108 प्रतिशत के बीच था। राज्य में पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों की उपलब्धि 2011-12 से 2013-14 के दौरान तेजी से कम 85 से 79 प्रतिशत हुई। जबकि नमूना जांच किए गए आठ जिलों में, 2012-13 के दौरान कोडंगांव में (58 प्रतिशत) तथा 2011-12 के दौरान सरगुजा में (45 प्रतिशत) को छोड़कर 74 से 109 प्रतिशत के बीच थी। राज्य में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान, डी.टी., टी.टी. (10) तथा टी.टी.(16) के लक्ष्य की उपलब्धि क्रमशः 53 से 59, 80 से 86 तथा 73 से 75 के बीच थी। नमूना जांच किए गए जिलों में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान डी.टी. प्रतिरक्षण की उपलब्धि, सरगुजा (30 प्रतिशत) को छोड़कर, 55 से 100 प्रतिशत के बीच थी। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, राज्य में 34,729 तीव्र श्वसन सक्रमण मामलों, 9,515 मिजल्स मामलों, 331 कुकर खांसी मामलों, 151 रोहिणी मामलों तथा 28 टेटनस मामलों की पहचान की गई थी। जबकि, आठ चयनित जिलों में, 34,088 तीव्र श्वसन सक्रमण, 1635 मिजल्स मामलों, एक रोहिणी तथा आठ आ.टेटनस मामलों की पहचान की गई थी।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> चयनित 10 जिलों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को, ₹6.85 लाख, ₹7.25 लाख तथा ₹7.44 लाख के प्रति 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹5.24 लाख (76.50%), ₹5.59 लाख

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

(77.10 प्रतिशत) तथा ₹5.92 लाख (79.57 प्रतिशत) की टेटनस टोक्साईड खुराक दी गई थी।

- कारोली, सवाई माधोपुर तथा सिरोही में पूर्ण प्रतिरक्षण की प्रतिशतता राज्य औसत की प्रतिशतता से कम थी जबकि शेष 6 जिलों में यह राज्य औसत से अधिक थी।

अनुबंध-31

(ऐरा सं. 4.5.2.3(i)(ग) के संदर्भ में : गर्भवती महिलाओं की जाँच एवं आई.एफ.ए. गोलियों में कमियां)

राज्य	अनुकूलितयां														
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान कुल 22,52,825 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 5,51,594 (24 प्रतिशत) को 26 वें सप्ताह की जांच तथा 14,66,892 (65 प्रतिशत) को 32 वें सप्ताह की जांच प्राप्त हुई थी। 32 वें सप्ताह की जांच तथा चिकित्सीय उपयोग हेतु आई.एफ.ए. गोलियों के संवितरण का डाटा प्रदान नहीं किया गया था। केवल 12,06,581 (54 प्रतिशत) महिलाओं को चिकित्सीय उपयोग हेतु आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थीं। 														
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के प्रति, प्रसव पूर्व जांच, प्रसवोत्तर जांच आदि में कमी। 														
असम	<ul style="list-style-type: none"> जांच हेतु आई पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की पहली जांच तथा अनुवर्ती जांचों, दूसरी से चौथी जांच के बीच काफी अंतर था। पंजीकरण के पश्चात अनुवर्ती जांच में गर्भवती महिलाओं की संख्या में कमी के कारण अभिलेख में नहीं थे। गर्भवती महिलाएं जिन्हें सलाह दिए गए स्तर तक आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थीं, 2011-14 के दौरान अपर्याप्त थीं। कमी 10 से 20 प्रतिशत के बीच थी। 														
ગुजरात	<table border="1"> <tr> <td>स्थिति</td><td>12 जनजातीय जिलों में</td><td>चयनित आठ जिलों में</td></tr> <tr> <td>प्रसवोत्तर जांच प्रदान करना</td><td>21.14%</td><td>28.31%</td></tr> <tr> <td>टेटनस डीयोक्साईड प्रदान करने में कमी</td><td>नहीं</td><td>72.02% (सा.स्वा.के. स्तर)</td></tr> <tr> <td>गर्भ के पंजीकरण के पश्चात तीन प्रसव पूर्व जांच</td><td>16.13%</td><td>83.07%</td></tr> </table>			स्थिति	12 जनजातीय जिलों में	चयनित आठ जिलों में	प्रसवोत्तर जांच प्रदान करना	21.14%	28.31%	टेटनस डीयोक्साईड प्रदान करने में कमी	नहीं	72.02% (सा.स्वा.के. स्तर)	गर्भ के पंजीकरण के पश्चात तीन प्रसव पूर्व जांच	16.13%	83.07%
स्थिति	12 जनजातीय जिलों में	चयनित आठ जिलों में													
प्रसवोत्तर जांच प्रदान करना	21.14%	28.31%													
टेटनस डीयोक्साईड प्रदान करने में कमी	नहीं	72.02% (सा.स्वा.के. स्तर)													
गर्भ के पंजीकरण के पश्चात तीन प्रसव पूर्व जांच	16.13%	83.07%													
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से, गर्भ के दौरान केवल 49 से 53 प्रतिशत महिलाओं को प्रथम तिमाही में ए.एन.सी. तथा 77 से 79 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को 26 वें सप्ताह से 36 वें के बीच ए.एन.सी. तथा 21 से 23 प्रतिशत महिलाओं को 2011-14 के दौरान ए.एन.सी. जांच प्रदान की गई थी। 2011-14 के दौरान 17 से 22 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टेटनस से प्रतिरक्षित नहीं किया गया था तथा कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 4.07 लाख महिलाओं को आई.एफ.ए. गोलियों का संवितरण नहीं किया गया था। 														

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान, कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता, जिन्होने गर्भ के दौरान पूर्ण जांच प्राप्त की 73 से 74 प्रतिशत के बीच थी, महिलाएं जिन्हें टेटनस डियोक्साईड खुराक दी गई थी 75 से 78 प्रतिशत तथा महिलाएं जिन्हें आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थी 63 से 84 प्रतिशत के बीच थी। इस प्रकार, 2011-12 से 2013-14 के दौरान 27 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व देखभाल से वंचित थीं। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं, जिन्होनें पी.एन.सी. प्राप्त की थी, की प्रतिशतता 78 से 92 प्रतिशत थी।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> 22 नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. में, 2011-14 के दौरान, 2,26,638 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 1,40,356 (62 प्रतिशत) ने चार प्रसवपूर्ण जांच प्राप्त किए थे, 1,66,198 महिलाओं (73 प्रतिशत) को 100 दिनों की आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थी तथा 1,97,397 महिलाएं (87 प्रतिशत) टी.टी. से पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित थीं। ब्लॉक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (ब्ला.स्वा.चि.अ.) ने तीन प्रसवपूर्ण जांचों में कमी (38 प्रतिशत) को जान की कमी, एल.एम.पी. को गलत बताने, काम के लिए प्रवर्सन आदि को तथा आई.एफ.ए. गोलियां (26 प्रतिशत) तथा टी.टी. (13 प्रतिशत) प्रदान किए जाने में कमी को, अ.जा. को आई.एफ.ए. गोलियां तथा टी.टी. की खुराकों की गैर-आपूर्ति अथवा कम आपूर्ति को आरोपित किया।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> उन महिलाओं की संख्या, जिन्हें टेटनस डिओक्साईड खुराक दी गई थी, उसी अवधि अर्थात् 2011-12 से 2013-14 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या के अनुरूप नहीं थी जो एस.एच.एस. के साथ-साथ डी.एच.एस., पूर्व तथा पश्चिम जिला द्वारा टेटनस डिओक्साईड खुराक प्रदान करने में गर्भवती महिलाओं के कम आवृत्तन (11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच) को दर्शाता है। एस.एच.एस. ने गर्भवती महिलाओं को आई.एफ.ए. गोलियां जारी करने के आवृत्तन के अलग अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था, फिर भी प्रोफलाईटिक तथा थेराप्युटिक दोनों हेतु आई.एफ.ए. गोलियां जारी करने का आवृत्तन, समीक्षा रिपोर्ट में शामिल अवधि के दौरान 76 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच था। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या क्रमशः 10079, 9288 तथा 9434 थीं। एस.एच.एस. तथा डी.एच.एस. (पश्चिम) ने गर्भवती महिलाओं के तिमाही-वार (26वां, 32वां तथा 36वां सप्ताह) पंजीकरण का अनुरक्षण नहीं किया था।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तर पर कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 44 से 50 प्रतिशत महिलाओं ने 12वें सप्ताह के भीतर ए.एन.सी. जांच प्राप्त नहीं की थी तथा 38 से 61 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने गर्भ के 12वें तथा 36वें सप्ताह के बीच ए.एन.सी. जांच प्राप्त नहीं की थी। नमूना जांच किए गए चार जिलों²⁷ (कारगिल, पुंछ, राजौरी तथा रियासी) में 30 से 70 प्रतिशत महिलाओं को ए.एन.सी. नहीं मिली थी। जबकि अनन्तनाग तथा लेहवास के संबंध में जिला स्तरीय पूर्ण सूचना, संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी। राज्य स्तर पर 51 से 61 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टेटनस से प्रतिरक्षित नहीं किया गया था 39 से 85 प्रतिशत महिलाओं को आई.एफ.ए. (प्रोफलाईटिक) प्रदान नहीं की गई थीं तथा विभाग राज्य स्तर पर आई.एफ.ए. (थेरापेडिक) गोलियां के संवितरण के संबंध में मौन रहा। इसके अतिरिक्त आई.एफ.ए. (थेरापेडिक) गोलियां का नमूना जांच किए गए 10 सी.एच.सी. तथा 25 पी.एच.सी. में से केवल 6 सी.एच.सी. तथा 14 पी.एच.सी. में संवितरण किया गया था। ए.एन.सी. टीका तथा आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान करने का सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. वार वितरण।

²⁷ कारगिल 29%, पुंछ 70%, राजौरी 61% तथा रियासी 35%

त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> बोरखा पी.एच.सी. तथा मधुपुर पी.एच.सी. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई आई.एफ.ए. गोलियां जारी नहीं की गई थी, जबकि केवल तीन पी.एच.सी./सी.एच.सी. ने सभी गर्भवती महिलाओं, जो कथित अवधि के दौरान स्वास्थ्य केन्द्रों में गई थीं, को आई.एफ.ए. गोलियां जारी की हैं। 10 अन्य पी.एच.सी./सी.एच.सी. के संबंध में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को आई.एफ.ए. गोलियों का जारी किया जाना, व्यक्तिगत पी.एच.सी./सी.एच.सी. में 41 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच था।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से लगभग 67% गर्भ के दौरान जांच तथा प्रसवोत्तर जांच हेतु आई थीं।
मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए जिलों में, अवधि के दौरान पंजीकृत 64,613 गर्भवती महिलाओं में से 9,906 महिलाओं (15.33 प्रतिशत) को आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थीं। 64,613 पंजीकृत महिलाओं में से 32,245 को टी.डी. प्रदान नहीं की गई थी (48.55 प्रतिशत)।

अनुबंध-32

(पैरा सं. 4.5.2.3(i)(घ) के संदर्भ में: प्रशिक्षण में कमी)

राज्य	अनुबंधितयां
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के 12 जनजातीय जिलों में 2011-14 के दौरान चिकित्सा स्टाफ तथा पैरा-चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने में कमी थीं जो 11.43 प्रतिशत (पी.एच.एन.) तथा 38.24 प्रतिशत (पी.एम.) के बीच थी। आठ चयनित जिलों में जिला स्तर पर पैरा चिकित्सा में ऐसी कमियां 15.19 प्रतिशत (आशा) तथा 66.67 प्रतिशत के बीच थीं। आठ चयनित जिलों में तालूका स्तर पर।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 के दौरान, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ए.एन.एम. को प्रशिक्षण में कमी निधियों की कमी के कारण थी।
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि के बीच आशा के प्रशिक्षण में कमी थी।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2012-13 के दौरान 600 के लक्ष्य के विरुद्ध 219 तथा 193 एम.ओ. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जबकि वर्ष 2013-14 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 2011-12 में, 25 ए.एन.एम. को प्रशिक्षण बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2012-13 तथा 2013-14 में 8,370 तथा 1280 के लक्ष्य के प्रति क्रमशः 1255 तथा 499 ए.एन.एम. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। 2011-14 के दौरान प्रतिरक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की न तो योजना की गई थी और न ही आशा, टी.बी.ए./आर.एम.पी., पी.एछ.एन., स्टाफ नर्स तथा बी.पी.एम. को प्रतिरक्षण प्रदान की गई थी।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान, एस.एच.एस. ने केवल चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया था। प्रतिशतता उपलब्धि केवल 65 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच थी। डी.एच.एस. (पूर्व) ने कोई वर्ष-वार लक्ष्यों को निर्धारित किए बिना आशा, ए.एन.एम., स्टाफ नर्स तथा कार्यक्रम प्रबंधक के प्रशिक्षण का आयोजन किया।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार ने आशा तथा आर.एम.पी./टी.बी.ए. को विशेष रूप से प्रतिरक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया है हालांकि प्रतिरक्षण के प्रशिक्षण को सामान्य प्रशिक्षण के दौरान शामिल किया गया था। 2011-14 के दौरान ए.एन.एम. लोक स्वास्थ्य नर्स तथा स्टाफ नर्सों को टीकाकरण के प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त करने में कमी थीं जो 20 से 51 प्रतिशत के बीच थीं।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान आशा, आर.एन.टी./टी.बी. लोक स्वास्थ्य नर्सों, स्टाफ नर्सों तथा कार्यक्रम प्रबंधकों को प्रतिरक्षण के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान टीकाकरण प्रशिक्षण लक्षित 2500 के प्रति केवल 2500 ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, लक्षित 625 में से 508 चिकित्सा अधिकारियों तथा लक्षित 2001 में से 1716 कोल्ड चैन हैंडलरों को प्रदान किया गया था।
बिहार	<ul style="list-style-type: none"> 10 नमूना जांच किए गए जिलों में से पांच²⁸ में 2011-14 के दौरान चिकित्सा अधिकारियों को टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, बंका जिले में एम.ओ. को प्रतिरक्षण के संबंध में प्रशिक्षण 2013-14 के दौरान प्रदान किया गया था। दो नमूना जांच किए गए जिलों²⁹ में आशा को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। यद्यपि चार नमूना जांच किए गए जिलों³⁰ आशा को प्रशिक्षण का आयोजन केवल 2013-14 में किया गया था। पश्चिम

²⁸ किशनगंज, कटिहार, प.चम्पारन (बेतिया), भागलपूर एवं कैमूर (भभुआ)²⁹ भागलपुर एवं कटिहार³⁰ पश्चिम चम्पारण, बंका, कैमूर एवं किशनगंज

	<p>चम्पारण, भागलपुर, भभुआ, कटिहार एवं किशनगंज के कार्यक्रम प्रबंधकों को 2011-14 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> दस नमूना जांच किए गए जिलों में 2011-14 के दौरान, 1,446 स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के प्रति प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु केवल 493 स्टाफ नर्सों को ही प्रशिक्षित किया जा सका था।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 के दौरान लक्ष्यित 90363 के प्रति 62,003 आशा, 12500 के प्रति 2440 ए.एन.एम. तथा 759 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। इसी प्रकार, 9472 आशा, 4,470 ए.एन.एम. तथा 912 चिकित्सा अधिकारियों को 2013-14 के दौरान प्रशिक्षित किया गया था। केवल 645 चिकित्सा अधिकारियों को टीकाकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। आशा तथा ए.एन.पी. आधि को वर्ष 2011-12 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

अनुबंध-33

(पैरा सं. 4.5.2.4(i) के संदर्भ में : अपर्याप्त अवसरंचना)

राज्य	अभ्युक्तियां
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार ने या.भा., चिकित्सा तथा वर्दियों, जो वेतन का भाग नहीं थे, की प्रतिपूर्ति हेतु अनियमित रूप से ₹9.18 करोड़ (2012-13 ₹4.36 तथा 2013-14 : ₹4.82 करोड़) का दावा प्रस्तुत किया था।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> 12 जनजातीय जिलों में 2011-14 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य तथा जिला परिवार कल्याण ब्यूरों हेतु किसी वाहन का प्रापण नहीं किया गया था।

अनुबंध-34

(पैरा सं. 4.5.2.4(ii) के संदर्भ में : स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> दस जिलों में, एम.पी.डब्ल्यू.(एम. तथा एल.एच.वी. का कार्य-बल आवश्यकता के प्रति क्रमशः 54 से 177 पदों तथा 1 से 15 पदों के बीच रिक्त पड़े थे।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> अवसरंचना का सृजन (प्रा.स्वा.के. तथा पी.एच.एस.सी.) भा.स के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं था, क्योंकि उत्तर जिले में प्रा.स्वा.के. तथा पी.एच.एस.सी. का अधिक सृजन था। स्पॉट निरीक्षण के दौरान पाया कि पश्चिमी एवं उत्तरी जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के./पी.एच.एस.सी.) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों हेतु सरकारी निधि से आवास एवं प्रशिक्षण आवास हेतु सृजित पाई सम्पत्तियां निष्क्रिय पड़ी थीं। क्योंकि मूल सुविधाओं, रखरखाव, पानी, सिवेज आदि की कमी के कारण स्टाफ इन्हें लेने का इच्छुक नहीं था।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> पांच प्रा.स्वा.के. में 2500 से कम जनसंख्या वाले आठ उप-केन्द्र तथा चार प्रा.स्वा.के. में 10,000 से अधिक वाले चार उप-केन्द्र थे। चित्रदुर्ग जिले हेतु नमूना जांच में 70 प्रा.स्वा.के. और 24 स्वा.के., 193 उप केन्द्र (12 प्रा.स्वा.के./पी.एच. से) में ए.एन.एम या पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं थे और अन्य आठ जिलों की स्थिती बताई नहीं गई थी।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में, कुल 716 उप-केन्द्रों में से, 386 उप-केन्द्रों (उदयपुर-252 तथा सवाई माधोपुर-134) की स्थापना समतल तथा जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों हेतु जनसंख्या मापदण्डों का अनुपालन किए बिना की गई थी। 386 उप-केन्द्रों में से, 11 उप-केन्द्रों की, वहां स्थापना की गई थी जहां जनसंख्या 1000 से भी कम थी। कुल 156 उप-केन्द्रों (सवाई माधोपुर-58 तथा उदयपुर-98) में कोई ए.एन.एम. नहीं थीं।

अनुबंध-35

(पैरा सं. 4.5.2.4(iii): यू.एफ.डब्ल्यू.सी. की अनुपलब्धता)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्यप्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> विभाग जनसंख्या मापदण्डों के अनुसार राज्य हेतु यू.एफ.डब्ल्यू.सी. तथा यू.एच.पी. की वास्तविक आवश्यकता तथा प्रकार के संबंध में सूचना प्रदान करने में असमर्थ था। यू.एफ.डब्ल्यू.सी. तथा यू.एच.पी. की योजनाओं एवं गतिविधियों, लक्ष्य एवं उपलब्धियों तथा सर्वेक्षण/मानीटरिंग रिपोर्ट निदेशालय स्तर पर उपलब्ध नहीं थीं।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> छ: नमूना जांच किए गए जिलों में, शहरी जनसंख्या को सुविधा प्रदान करने हेतु रघुनाथपुर, पुरुलिया में एक को छोड़कर यू.एफ.डब्ल्यू.सी. की स्थापना नहीं की गई थीं।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> अन्य तीन जिलों (उत्तर: 4644, दक्षिण: 21199, पश्चिम: 5248) में 31,091³¹ शहरी जनसंख्या के रहने के बावजूद, इन जिलों में यू.एफ.डब्ल्यू.सी. तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई थी।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए जिला स्वास्थ्य कार्यालयों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि क्या स्वास्थ्य केन्द्र को या तो दूरवर्ती क्षेत्र या फिर मलिनावास क्षेत्रों में स्थापना की गई थी। स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त सभी स्टाफ संविदात्मक स्टाफ हैं।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> निदेशक, परिवार कल्याण, जयपुर ने सूचित किया 2011-12 के दौरान राज्य में आकस्मिकता (कार्यालय व्यय) पर ₹4.20 लाख की राशि का व्यय किया गया था।

अनुबंध-36

(पैरा सं. 4.5.2.4(iv) के संदर्भ में : ए.एन.एम./एल.एच.वी./ए.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) के आधारभूत प्रशिक्षण में कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> विभाग क्रियात्मक/गैर-क्रियात्मक प्रशिक्षण केन्द्रों, इन केन्द्रों में संस्वीकृत एवं कार्यरत कार्यबल, वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां, प्रशिक्षण केन्द्रों के परिणामों आदि के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ था। इसलिए लेखापरीक्षा इन प्रशिक्षण केन्द्रों के निष्पादन का पता नहीं लगा सकी। 10 नमूना जांच किए गए जिलों में आठ ए.एन.एम. तथा एक एम.पी.डब्ल्यू.(एम.) प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रकट किया कि इन विद्यालयों में तैनात मानव संसाधन की सीमा त्रूटिपूर्ण थी जो छ: प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक थी। नौ प्रशिक्षण विद्यालयों में से सात प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त पड़ा था।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> एल.एच.वी. प्रशिक्षण केन्द्र, रांची में 1992 से प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया था, ए.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय, पूर्व सिंहभूम तथा जमशेदपुर में 2012-13 से प्रशिक्षार्थियों का दाखिला नहीं किया गया था।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> ए.एन.एम./एल.एच.वी., एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी. के प्रशिक्षण था एम.पी.डब्ल्यू.(पुरुष) के प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान को 2011-12 से 2013-14 के दौरान सामान्य, ज.जा.उ.यो. तथा एस.सी.एस.पी. के शीर्षों अंतर्गत विभक्त नहीं किया गया था जबकि शेष योजना की सहायता अनुदान सामान्य, एस.सी.एस.वी. तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी की गई थी।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> चयनित जिलों में, 2011-12 के दौरान ₹5.79 लाख का व्यय आधिकरण में किया गया था तथा राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया व्यय 6 नमूना जांच किए गए (चयनित)

³¹ डी.ई.एस.एवं एम.ई. का सांख्यिकीय जर्नल 2013

- जिलों (बांसवारा, डोसा, डुंगरपुर, कारौली, सिरोही तथा उदयपुर) में एक दूसरे से मेल नहीं खाता है।
- दो राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं प.क. प्रशिक्षण केन्द्रों (अजमेर तथा जयपुर) में वर्ष 2011-12 में आकस्मिकता पर ₹0.15 लाख प्रति वर्ष के निर्धारित मापदण्डों के प्रति ₹6.72 लाख (जयपुर ₹4.40 लाख तथा अजमेर ₹2.32 लाख) का व्यय किया गया था।

अनुबंध-37

(पैरा सं. 4.5.2.5(i) के संदर्भ में : मातृ स्वास्थ्य)

(क) अपर्याप्त मातृ स्वास्थ्य सुविधाएं

राज्य	अभ्युक्तियां
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> छ: नमूना जांच किए गए जिलों में, प्रसूति कक्ष, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्सों आदि के अभाव के कारण, प्रसूति सेवाओं की अनुबलब्धता सांस्थानिक सुपूर्दर्गियों में कमी के मुख्य कारण थे। 22 नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. में, आपातकालीन प्रासाविक देखभाल सा.स्वा.के. में उपलब्ध नहीं थी। यह सा.स्वा.के. में प्रासविकी तथा स्त्री रोग में विशेषज्ञ, एनेस्थेटिकों का अभाव, गैर-क्रियात्मक ऑपरेशन थियेटर, पर्याप्त अवसरंचना, सहायक स्टाफ, रक्त भण्डारण सुविधा की कमी आदि को आरोपनीय था।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> घर में प्रसूतियों के संबंध में किसी डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया था। पांच जिलों के 18 सा.स्वा.के. नमूनों में, कुल अनुमानित 1,44,453 प्रसूतियों में से, केवल 75,951 प्रसूतियां सांस्थानिक सुविधाओं के अंतर्गत की गई थीं।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के साथ-साथ पूर्व तथा पश्चिम के सभी चयनित जिलों में 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान की गई सभी घर पर प्रसूतियों में से एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (डाक्टरों/नर्सों/ए.एन.एम.) द्वारा की गई घर पर प्रसूतियों की प्रतिशतता केवल 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है जो दर्शाता है कि 50 प्रतिशत से अधिक घर पर प्रसूतियां असुरक्षित थीं जिसमें माँ तथा नवजात शिशुओं के जीवन तथा मृत्यु दरों को प्रभावित करने का भी जोखिम है। सांस्थानिक प्रसूतियों को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं दिया गया था क्योंकि ज.सु.यो. योजना के अंतर्गत माता को अदा किया गया नगद प्रोत्साहन राज्य स्तर के साथ-साथ नमूना जांच हेतु चयन किए गए जिला स्तर पर 15 प्रतिशत से 49 प्रतिशत था।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान लेह, कारगिल तथा रियासी जिलों में छ.³² स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा शून्य प्रसूति सूचित की गई थी। चयनित छ.³³ जिलों में, कुछ मामले थे जिनमें ज.सु.यो. प्रोत्साहनों के अंतर्गत प्रोत्साहन के भुगतान में विलम्ब एक दिन से 470 दिनों के बीच था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए सभी आठ जिलों में, मातृ मृत्यु के मामले पहले ही अ.स. तथा भा.स. को सूचित किए गए थे परंतु अ.स. तथा भा.स. द्वारा मातृ मृत्यु से बचाव/कम करने हेतु अनुवर्ती उपायों के रूप में किसी कार्य योजना/शोधक उपायों का सुझाव दिया गया नहीं पाया गया था। स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य 48 घण्टों की प्रसवोत्तर अवधि को सुनिश्चित किए बिना ज.सु.यो. प्रोत्साहन 2,11,990 लाभार्थियों को अदा किया गया था।

³² प्रा.स्वा.के., थिकसे, सी.एच.सी. सुकरबुचन, पी.एच.सी. लेह जिले में तेमिसगम, पी.एच.सी. वियामबत तथा कारगिल जिले में पी.एच.सी. तथा रियासी जिले में एस.सी. गरन

³³ अनन्तनाग 360, कारगिल 300 दिन, लेह 155, पूच 470, राजौरी 200 तथा रियासी 54 दिन

छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के प्रति सांस्थानिक प्रसूतियों में कमी राज्य में 45 से 48 प्रतिशत थी तथा नमूना जांच किए गए जिलों में यह 52 से 56 प्रतिशत थी। 																									
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> राजस्थान के 10 चयनित जिलों में यह पाया गया था कि कुल सांस्थानिक प्रसूतियों के प्रति अधिकृत नीजि अस्पतालों/सुविधाओं में प्रसूति की प्रतिशतता 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः 6.86 से 45.29, 6.63 से 51.22 तथा 1.27 से 45.59 प्रतिशत थी। मातृ मृत्यु के मामले पिछले वर्ष 2011-12 के प्रति 2012-13 में अलवर (132 प्रतिशत), बांसवारा (46 प्रतिशत), ढोसा (33 प्रतिशत), जयपुर (18.75 प्रतिशत) तथा कारौली (38.89 प्रतिशत) में बढ़े जो दर्शाते हैं कि लोक स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता सेवाएं प्रदान नहीं की गई थीं। चयनित 10 जिलों में सुरक्षित गर्भपात की कमी थी क्योंकि 3 वर्षों के दौरान कुल 52 मृत्यु (2011-12:18, 2012-13:15 तथा 2013-14:19) गर्भपात में हुई थीं। चयनित 10 जिलों में गर्भ, शिशु ट्रेकिंग तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रबंधन प्रणाली (पी.सी.टी.एस.) के अनुसार 295 (2011-12), 432 (2012-13), 373 (2013-14) मातृ मृत्यु के मामले गर्भवती महिलाओं को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा/सहायता प्रदान न किए जाने के कारण थे। 																									
मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> सांस्थानिक प्रसूतियों की उपलब्धि 2011-14 के दौरान 30 से 37 प्रतिशत के बीच थी। व्यौरे निम्नानुसार है: <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>पंजीकृत गर्भवती महिलाएं</th> <th>संस्थानिक प्रसूतियां (सं.प्र.)</th> <th>गृह-प्रसूतियां</th> <th>उपलब्धि की प्रतिशतता (सं.प्र.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011-12</td> <td>92233</td> <td>27735</td> <td>7987</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>78523</td> <td>27922</td> <td>8752</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>87252</td> <td>31974</td> <td>9310</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>कुल:</td> <td>258008</td> <td>87631</td> <td>26049</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	संस्थानिक प्रसूतियां (सं.प्र.)	गृह-प्रसूतियां	उपलब्धि की प्रतिशतता (सं.प्र.)	2011-12	92233	27735	7987	30	2012-13	78523	27922	8752	36	2013-14	87252	31974	9310	37	कुल:	258008	87631	26049	34
वर्ष	पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	संस्थानिक प्रसूतियां (सं.प्र.)	गृह-प्रसूतियां	उपलब्धि की प्रतिशतता (सं.प्र.)																						
2011-12	92233	27735	7987	30																						
2012-13	78523	27922	8752	36																						
2013-14	87252	31974	9310	37																						
कुल:	258008	87631	26049	34																						

(ख) स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अर्थात् एफ.आर.यू. तथा 24×7 प्रा.स्वा.के.

राज्य	अभ्युक्ति
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 10 चयनित जिलों में, कुल 87 प्रा.स्वा.के. का चयन किया गया था तथा यह पाया गया था कि 87 प्रा.स्वा.के. में से केवल 50 प्रा.स्वा.के. 24×7 तथा शेष 37 प्रा.स्वा.के. और गैर 24×7 थे जो इस प्रकार यह प्रकट करते हैं कि 42.53 प्रतिशत प्रा.स्वा.के. को प्रसूतियों की सुविधा प्रदान करने हेतु शामिल नहीं किया गया था। 2011-12 के दौरान राजस्थान में 33 जिलें, 237 ब्लॉक तथा 368 सा.स्वा.के. हैं। योजना अवधि 2005-11 के दौरान सा.स्वा.के. को एफ.आर.यू. के रूप में चालू किया जाना था परंतु मार्च 2011 तक केवल 62 को एफ.आर.यू. के रूप में चालू 24×7 किया जा सका था। वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः केवल 51,52 तथा 36 एफ.आर.यू. को चालू किया जा सका था। 10 चयनित जिलों के 23 ब्लाकों में 44 सा.स्वा.के. का चयन किया गया है जिसमें से 26 सा.स्वा.के. गैर-एफ.आर.यू. थे तथा 18 एफ.आर.यू. थे। 18 एफ.आर.यू. में से 15 एफ.आर.यू. में सिजेरियन सेक्षन चालू नहीं थे। तथा केवल 3 एफ.आर.यू. (राजगढ़, संगमरेर तथा आबू रोड़ि) में सी-सेक्षन चालू थे।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> 22 नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. तथा 41 प्रा.स्वा.के. में से क्रमशः सा.स्वा.के. में केवल पांच एफ.आर.यू. 15 (24×7) पी.एच.यू. थे तथा छः नवजात कोर्नर (एन.बी.सी.सी.) तथा एक विशेष नवजात

	देखभाल इकाई (एस.एन.सी.यू.) उपलब्ध थीं जबकि कोई नवजात स्थिरीकरण इकाईयां (एन.बी.एस.यू.) उपलब्ध नहीं थीं। इसने अवसरंचना की बड़ी कमी को दर्शाया।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं अर्थात् एफ.आर.यू. 24×7 पी.एच.यू. एन.बी.सी.सी.एस., एस.एन.सी.यू. तथा एन.बी.एस.यू. को अपेक्षित स्तर तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। कमी 26 से 72 प्रतिशत के बीच थी।
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> एस.एन.सी.यू. के सिवाए अन्य सुविधाएं अर्थात् एफ.आर.यू., बी.ई.एम.ओ.एन.सी. एन.बी.सी.सी. तथा एन.बी.एस.यू. को अपेक्षित स्तर तक प्रदान नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, प्रसूति स्थान पर एन.बी.सी.सी. की स्थापना हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
केरल	<ul style="list-style-type: none"> फ्लैक्सीबल पूल के अंतर्गत चार चयनित जिलों के नौ ब्लाकों में 33 प्रा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में से 20 प्रा.स्वा.के. की नमूना जांच की गई थी जिसमें केवल पांच प्रा.स्वा.के. (25 प्रतिशत) 24×7 प्रा.स्वा.के. के रूप में कार्य कर रहे थे।
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> 14 प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. में प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. को मानव संसाधन, प्रापण, रक्त भण्डारण केन्द्रों (बी.एस.सी.), लोजिस्टिक्स तथा प्रशिक्षण के साथ जोड़ कर प्रथम रेफरल इकाई के रूप में बनाने हेतु मूल सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं। यद्यपि 2011-12 से 2013-14 के दौरान प्रथम रेफरल इकाईयों को स्थापित करने का लक्ष्य 35 था परंतु उपलब्धि केवल 2 थी।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> 12 जनजातीय जिलों में, 2011-14 के दौरान नई अवसरंचना अर्थात् तीन एफ.आर.यू. आठ 24×7 प्रा.स्वा.के., 307 एन.बी.सी.सी., 14 एस.एन.सी.यू. तथा 78 एन.बी.एस.यू. को सृजित करने की योजना की गई थी। 2011-14 के दौरान एस.एन.सी.यू. के रूप में अवसरंचना के सृजन में 35.71 प्रतिशत की कमी थी।

अनुबंध-38

(पैरा सं: 4.5.2.5 (ii): बाल स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां														
(क) आवश्यक दवाओं का अभाव															
बिहार	<ul style="list-style-type: none"> ओआरएस, जिंक, प्रतिजीवों, विटामिन ए तथा लौह एवं फॉलिक एसिड के संबंध में आपूर्ति एवं भण्डार की स्थिति उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि एस.एच.एस.बी. पटना के पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। 														
जम्मू कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान चयनित 35 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में दवाइयों की स्थिति यथावत है: 2011-12 से 2013-14 तक के पूरे तीन वर्षों में, 13 सा.स्वा.के. एवं प्रा.स्वा.के., दो वर्षों में चार सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा एक वर्ष में पाँच सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में ओआरएस उपलब्ध/प्राप्त नहीं था। पूरे तीन वर्षों में 32 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा दो वर्षों में तीन प्रा.स्वा.के. में, जिंक उपलब्ध/प्राप्त नहीं हुए। पूरे तीन वर्षों में 20 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा दो वर्षों में चार प्रा.स्वा.के. में प्रतिजीवों (कॉन्ट्री मोक्साजोल) प्राप्त नहीं हुए थे। तीन वर्षों में 17 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में, दो वर्षों में आठ तथा एक वर्ष में एक सा.स्वा.के. में विटामिन ए उपलब्ध/प्राप्त नहीं हुए थे। तीन वर्षों में 16 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के., दो वर्षों में चार सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा एक वर्ष में पाँच सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में लौह एवं फॉलिक एसिड उपलब्ध/प्राप्त नहीं हुए थे। 														
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> दस चयनित जिलों जैसे नासिक, जलगांव, धूले, गढचरौली, चन्द्रपुर, नन्दपुर, नागपुर में से सात जिलों में विटामिन ए या अन्य पूरक पथ्य जैसे ओआरएस., जिंक, प्रतिजीवों, विटामिन ए, लौह तथा फॉलिक एसिड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 														
(ख) एन.बी.सी.सी., एस.एन.सी.यू. तथा एन.बी.एस.यू. में सुविधाओं की कमी															
असम	<ul style="list-style-type: none"> सभी आठ चयनित जिलों में अनिवार्य एन.बी.सी.सी. की समग्र कमी थी जबकि एन.बी.एस.यू. को उचित रूप से वितरित नहीं किया गया था। विभाग, इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए कि बाल मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत³⁴ से काफी अधिक था, स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त एन.बी.सी.सी. उपलब्ध कराने में विफल था। 														
जम्मू कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> योजना 51 अवसरंचनाओं के प्रति, चार³⁵ नमूना जांच किए गए जिलों में मात्र 34 (67 प्रतिशत) उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त निम्न जिलों में अधोलिखित कार्रवाई बिलकुल ही नहीं की गई थी। <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्रवाई</th> <th>जिले</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आई.ई.सी./बी.सी.सी.</td> <td>रिआसी</td> </tr> <tr> <td>योजना की गई आई.ई.सी. सामग्रियों का प्रावधान</td> <td>पुंछ, रजौरी, तथा रिआसी</td> </tr> <tr> <td>नवजात शिशु देखभाल</td> <td>कारगिल</td> </tr> <tr> <td>स्तनपान की शीघ्र शुरूआत</td> <td>रिआसी तथा अनन्तनाग</td> </tr> <tr> <td>संक्रमण से सुरक्षा</td> <td>कारगिल, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग</td> </tr> <tr> <td>हाइपोथर्मिया से सुरक्षा</td> <td>कारगिल, लेह, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग</td> </tr> </tbody> </table> 	कार्रवाई	जिले	आई.ई.सी./बी.सी.सी.	रिआसी	योजना की गई आई.ई.सी. सामग्रियों का प्रावधान	पुंछ, रजौरी, तथा रिआसी	नवजात शिशु देखभाल	कारगिल	स्तनपान की शीघ्र शुरूआत	रिआसी तथा अनन्तनाग	संक्रमण से सुरक्षा	कारगिल, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग	हाइपोथर्मिया से सुरक्षा	कारगिल, लेह, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग
कार्रवाई	जिले														
आई.ई.सी./बी.सी.सी.	रिआसी														
योजना की गई आई.ई.सी. सामग्रियों का प्रावधान	पुंछ, रजौरी, तथा रिआसी														
नवजात शिशु देखभाल	कारगिल														
स्तनपान की शीघ्र शुरूआत	रिआसी तथा अनन्तनाग														
संक्रमण से सुरक्षा	कारगिल, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग														
हाइपोथर्मिया से सुरक्षा	कारगिल, लेह, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग														

³⁴ स्त्रोत: PIP असम 2012-13- पृष्ठ³⁵ कारगिल 47%, पुंछ शून्य, राजौरी शून्य एवं रिआसी 38%

		खतरनाक संकेतों की पहचान	कारगिल, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग	
		बी.सी.सी.	पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग	
		अन्य क्रियाकलाप	पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग	
केरल		• नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के., सिवाय दो सा.स्वा.के. (सा.स्वा.के. अगली तथा सा.स्वा.के. मीनांगडी) जहाँ प्रसव केन्द्र तथा एन.बी.सी.सी. उपलब्ध थे, में प्रसव केन्द्र, नवजात देखभाल केन्द्रों (एन.बी.सी.सी.), विशिष्ट नवजात देखभाल इकाइयों (एस.एन.सी.वी.) तथा नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एन.बी.एस.यू.) जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।		
कर्नाटक		• 11 नमूना जांच किए गए इकाइयों में एन.बी.सी.सी. की पहचान नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः लक्ष्य तय किये गये थे, तथापि वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान 15 तथा 101 की कमी थी।		
राजस्थान		• चयनित 87 प्रा.स्वा.के. में से केवल 22 प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. की पहचान की गई। 50 प्रा.स्वा.के. (24×7) में से केवल 23 प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. थे और 27 प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. की सुविधाएं नहीं थी। • यद्यपि राज्य सूचि में एन.बी.सी.सी. में 8 प्रा.स्वा.के. दर्शाये गये थे। लेकिन इन प्रा.स्वा.के. में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यह दर्शाता है कि इन प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. क्रियात्मक नहीं थे। • चयनित 44 सा.स्वा.के. में से, 23 सा.स्वा.के. में (15 एफ.आर.वी. तथा 8 गैर-एफ.आर.वी.) एन.बी.एस.यू. स्थापित किए गए थे। • 15 एन.बी.सी.सी. में से केवल तीन एफ.आर.वी. (संगेनर, राजगढ़ तथा सपोतारा) में ही शिशु रोग विशेषज्ञ तैनात थे तथा बाकी 12 एफ.आर.वी. बिना शिशु रोग विशेषज्ञ के ही चल रही थी। अतः 12 एन.बी.एस.यू. क्रियात्मक नहीं थे।		
तमिलनाडु		• 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान नवजात स्थिरीकरण इकाई की उपलब्धियों में क्रमशः 24% तथा 41% की कमी थी		

अनुबंध 39

(पैरा सं. 4.5.2.5(iii): परिवार नियोजन का अपर्याप्त प्रशिक्षण का संदर्भ)

राज्य	अनुबंधितयां
(क) चिकित्सा कर्मचारी को परिवार नियोजन का अपर्याप्त प्रशिक्षण	
आंध्र प्रदेश	• चिकित्सा अधिकारियों को लैपरोस्कोपिक बन्ध्याकरण तथा गैर-स्कैलपेल नसबन्दी (एन.एस.वी.) का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
मध्य प्रदेश	• 2011-14 के दौरान प्रायः परिवार नियोजन का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान केवल 62 लैप्रोस्कोप की खरीद की गई। • 58 सा.स्वा.के. में ट्यूबेकटामी के लघु-प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था तथा 60 सा.स्वा.के. में एन.एस.वी. सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। • वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, ₹51.35 करोड़ में से ₹28.70 (56 प्रतिशत) करोड़ के प्रशिक्षण बजट का उपयोग नहीं हो सका था जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु योजनागत लक्ष्य के प्रति कमी को प्रदर्शित करता था। • नमूना जांच किए गए सात जिलों में, वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 50 प्रतिशत बजट का उपयोग नहीं हो सका था। • 50 जिलों में से, रजोधर्म-विषयक स्वच्छता के प्रोत्साहन का क्रियान्वयन केवल आठ जिलों में हुआ जहाँ ग्रामीण किशोर युवतियों को स्वच्छता नैपकिन उपलब्ध कराया गया था।

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

जम्मू एवं कश्मीर (दस चयनित ज़िले)	<p>2011-12 से 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जारी की गई निधियों के उपयोग में कमी 52 से 80 प्रतिशत के बीच थी।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">प्रशिक्षण के संबंध में निधियों की स्थिती</th><th colspan="2">(रुपय में)</th></tr> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>वर्ष</th><th>नियुक्ति</th><th>व्यय</th><th>(कमी प्रतिशतता)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2011-12</td><td>257.96</td><td>79.25</td><td>178.71 (69)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2012-13</td><td>486.39</td><td>95.33</td><td>391.06 (80)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2013-14</td><td>509.02</td><td>245.17</td><td>263.85 (52)</td></tr> </tbody> </table>					प्रशिक्षण के संबंध में निधियों की स्थिती			(रुपय में)		क्र.सं.	वर्ष	नियुक्ति	व्यय	(कमी प्रतिशतता)	1	2011-12	257.96	79.25	178.71 (69)	2	2012-13	486.39	95.33	391.06 (80)	3	2013-14	509.02	245.17	263.85 (52)
प्रशिक्षण के संबंध में निधियों की स्थिती			(रुपय में)																											
क्र.सं.	वर्ष	नियुक्ति	व्यय	(कमी प्रतिशतता)																										
1	2011-12	257.96	79.25	178.71 (69)																										
2	2012-13	486.39	95.33	391.06 (80)																										
3	2013-14	509.02	245.17	263.85 (52)																										
<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान नमूना जांच किए गए छ: ज़िलों में से किसी में भी लैपरोस्कोपिक बन्ध्याकरण, मीनीलैप तथा एन.एस.वी. के संबंध में परिवार नियोजन का प्रशिक्षण किसी भी चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा व्यवसायी को नहीं दिया गया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान किसी भी परिवार नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लक्ष्य तय नहीं था। 22 ज़िलों में से, किशोर युवतियों (10-19) के बीच रजोधर्म विषयक स्वच्छता के प्रोत्साहन हेतु रजोधर्म विषयक स्वच्छता कार्यक्रम की शुरूआत केवल 10³⁶ ज़िलों में प्रायोजिक स्तर पर की गई जिसके अन्तर्गत किशोर युवतियों को छूट प्राप्त स्वच्छता नैपकिन वितरीत किए जा रहे हैं। 																														
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> लैपरोस्कोपिक बन्ध्याकरण प्रशिक्षण में 73 से 94 प्रतिशत, मीनीलैप प्रशिक्षण में 72 से 85 प्रतिशत तथा एन.एस.वी. प्रशिक्षण में 45 से 92 प्रतिशत तक की कमी थी। 																													
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> आठ चयनित ज़िलों में से केवल दो ज़िलों सूरत और बडोदरा में योजना क्रियान्वित की गई थी। 2246 गार्वों में 1.16 लाख ग्रामीण लड़कियों में से केवल 0.83 लाख लड़कियों को रजोधर्म विषयक स्वच्छता योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था। आ.स. ने तालुका स्तर पर 28.87 लाख स्वच्छता नैपकिन (एस.एन.) (सूरत में 15.05 लाख तथा बडोदरा में 12.82 लाख) की आपूर्ति की थी। एस.एन. के पैकेट की आपूर्ति लाभार्थियों को ₹6 प्रति पैकेट की दर से की गई थी। तथापि, यह देखा गया कि ₹28.87 लाख एस.एन. में से ₹21.05 लाख एस.एन.³⁷ (73 प्रतिशत नैपकिन सितम्बर-2014 तक अप्रयुक्त पड़े थे। प्रा.स्वा.के. में तय दिनों में महिला बन्ध्याकरण हेतु योजनागत लक्ष्य में 28.20 प्रतिशत की कमी थी। प्रा.स्वा.के. में एन.एस.वी. शिविरों की संचालन संख्या में 88.26 प्रतिशत की कमी मीनीलैप प्रशिक्षण: ज़िला स्तर पर एम.ओ./एम.बी.बी.एस. को उपलब्ध कराने में केवल 20 प्रतिशत की कमी तथा सा.स्वा.के. एवं प्रा.स्वा.के. स्तर पर 100 प्रतिशत की कमी। 																													
<p>(ख) गर्भ निरोधक उपकरण (आई.यू.डी.) तथा अन्य उपकरणों का अभाव:</p>																														
आन्ध्र प्रदेश (2 ज़िला ³⁸)	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य सुविधा पर आई.यू.डी. सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। चिकित्सा अधिकारी/ए.एन.एम. को लैपरोस्कोपिक बन्ध्यीकरण तथा आई.यू.डी. प्रविष्टि प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। 																													
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> टी.वी. एवं रेडियो, पोस्टर आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर युवतियों (10-19 वर्षों) के बीच रजोधर्म विषयक स्वच्छता हेतु प्रोत्साहन अभियान संचालित नहीं हुए। 																													
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान आई.यू.सी.डी. सेवाओं के लिए लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था, तथापि, 2012-13 में स्थिति में सुधार हुआ था तथा आई.यू.सी.डी. कैंप के संबंध में कोई लक्ष्य नहीं बनाई गई थी। 																													

³⁶ बांदीपोर, बारामुला, डोडा, कठुआ, किस्तवाड़, कूपवाड़ा, पुंछ, रजौरी, रामबन और ऊधमपुर

³⁷ सूरत ज़िला में ₹10.08 लाख एस.एन. में तथा बडोदरा ज़िला में ₹10.97 लाख एस.एन. में

³⁸ आदिलाबाद एवं खम्माम

जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान अं.ग.उ. सेवा के लिए तय लक्ष्यों की उपलब्धता में कमी का प्रतिशतता 45 से 56 प्रतिशत तक था तथा अवधि के दौरान कोई भी अं.ग.उ. कैम्प आयोजित नहीं किया गया था, यद्यपि 2013-14 के लिए 4 केंपों की योजना थी। नमूना जाँच जिलों में, अनंतनाग, पूँछ तथा रिआसी जिलों में कोई अं.ग.उ. सेवाएँ उपलब्ध नहीं करवायी गयी थीं तथा नमूना जाँच छः जिलों में से किसा में भी गर्भनिरोधक के सामाजिक विपणन हेतु कोई सी.बी.डी. बाजार स्थापित नहीं किए गए थे। सभी नमूना जाँच 26 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में परिवार नियोजन हेतु आवश्यक दवाएँ/किट्स जैसे एन.एस.वी. किट्स, अं.ग.उ. प्रवेश किट्स, मिनिलैप सेट्स, लैप्रोस्कोप का गैर-प्रापण।
ગુજરાત	<ul style="list-style-type: none"> આठ ચયનિત જિલોના³⁹ મें ઉપલબ્ધ કરાયી ગयી અं.ગ.ઉ. સેવાઓं મें 7.21 પ્રતિશત તથા જિલા સ્તર પર અं.ગ.ઉ. કેંપોं કે સંચાલન મें 6.85 પ્રતિ શત કી કમી થી, એસી કમિયાં પ્રા.સ્વા.કે. સ્તર પર 19.28 પ્રતિ શત તથા 10.15 પ્રતિ શત પાયી ગયી થી।
રાજસ્થાન	<ul style="list-style-type: none"> પી.આઇ.પી. 2011-12, 2012-13 એવं 2013-14 મें રાજસ્થાન મें અન્ત: ગર્ભશાયી ઉપકરણ (अं.ग.उ.) કેંપોं કી યોજના નહીં બનાઈ ગયી થી।

³⁹ સાબરકાંથા, પંચમહલ, દાહોદ, નવસારી, વલસાડ, સૂરત, તાપો, વડોદરા

अनुबंध-40

(पैरा सं. 4.5.2.5(iv) के संदर्भ में : अर्श कार्यों का न किया जाना)

राज्य	अभ्युक्तियां	
(क)	अर्श को स्थापित नहीं किया जाना	सू.शि.सं. कार्य
झारखण्ड	• अर्श हेतु हैल्पलाईन स्थापित नहीं की गई थी।	• अर्श हेतु सू.शि.सं. कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया गया था।
पश्चिम बंगाल	• यह देखा गया था कि किसी भी नमूना जांच किए गए प्रा.स्वा.के. तथा एस.सी. में किसी क्लीनिक का आयोजन नहीं किया गया था।	-----
जम्मू एवं कश्मीर	• अर्श हेतु हैल्पलाईन की न तो योजना की गई थी और न ही सृजित की गई थी।	• सू.शि.सं. कार्य की न तो योजना की गई थी और न ही संगठित थे
गुजरात	• साबरकंठा जिले, जहाँ 2013-14 से ममता सेतु की हैल्पलाईन का अर्श हेतु हैल्पलाईन के रूप में उपयोग किया जा रहा था, के सिवाय किसी भी स्तर पर अर्श हेतु हैल्पलाईन को स्थापित नहीं किया गया था।	• नवसारी (2012-14), तापी (2011-14) तथा साबरकांथा (2013-14) में अर्श हेतु सू.शि.सं. के सिवाय जिला स्तर पर इन कार्यों हेतु कोई योजना नहीं की गई थी।
छत्तीसगढ़	• किसी भी जिले में अर्श हेतु हैल्पलाईन प्रदान नहीं की गई थी तथा मासिक स्वच्छता के प्रोत्साहन के अंतर्गत, स्वास्थ्य केन्द्रों के किसी भी स्तर पर किसी स्वच्छ नैपकिनों का संवितरण नहीं किया गया था।	• 2013-14 में सूरजपुर जिले में अर्श हेतु सूचना शिक्षा अभियान का आयोजन किया गया था तथा शेष जिले अर्श के अंतर्गत कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रहे थे।
(ख)	किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (अर्श) हेतु एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला	
छत्तीसगढ़	• चयनित आठ जिलों में, अर्श हेतु एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन छ: जिलों में नहीं किया गया था जबकि रायगढ़ में 2011-12 से 2013-14 तथा सूरजपुर में 2013-14 में कार्यशाला का वर्ष में एक बार आयोजन किया गया था।	
मध्य प्रदेश	• अर्श हेतु सू.शि.सं. कार्यों के संबंध में वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान अर्श हेतु केवल एक एकदिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला की योजना तथा आयोजन किया गया था।	

अनुबंध-41

(पैरा 4.5.2.5(vi) के संदर्भ में : अव्ययित रोगी कल्याण समिति अनुदानें)

(₹ करोड़ में)

राज्य	अव्ययित	कम निर्गम	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	1.93	10.12	<ul style="list-style-type: none"> दस नमूना जांच किए गए जिलों में यह पाया गया था कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान 33.95 प्रतिशत रो.क.स. निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था।
जम्मू एवं कश्मीर	3.83	--	<ul style="list-style-type: none"> छ: जिलों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 1.87 करोड़ को 2011-12 में जारी किया गया था जिसे निधियों के अनुपयोग के कारण 2012-13 में ₹1.41 करोड़ तथा 2013-14 में ₹1.34 करोड़ तक कर दिया गया था। 2011-14 के दौरान छ: नमूना जांच किए गए जिलों में रो.क.स. निधियों की ₹73.00 लाख (15.72%) की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका था।
गुजरात	0.46	--	<ul style="list-style-type: none"> 31 मार्च 2014 को चयनित जिलों में विभिन्न प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. में राशि अव्ययित पड़ी थी।
तमिलनाडु	1.78	--	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 से 2013-14 के दौरान चयनित नौ जिलों में रोगी कल्याण समिति के प्रति 17.33 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा इन जिलों के पास मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹1.78 करोड़ का अप्रयुक्त शेष था। इन नौ जिलों में चयनित 93 प्रा.स्वा.के. के पास मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹13.83 लाख का अप्रयुक्त शेष था।
राजस्थान	2.97	--	<ul style="list-style-type: none"> जिला अस्पताल (जि.अ.), सा.स्वा.के. एवं प्रा.स्वा.के. द्वारा चयनित सभी 10 जिलों के लिए अवमुक्त कार्पस अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था फलतः 2011-14 के दौरान कुल अवमुक्त किए गए ₹12.05 करोड़ में से ₹2.97 करोड़ (जि.अ. ₹0.23 करोड़, सामु.स्वा.के. ₹0.50 करोड़ तथा प्रा.स्वा.के. ₹2.24 करोड़) अव्ययित शेष रहा।
कुल	10.97	10.12	

अनुबंध 42

(पैरा सं. 4.5.2.5(vii) के संदर्भ में : अप्रयुक्त वार्षिक अनुरक्षण अनुदान)

राज्य	अव्ययित अनुदान (रुकरोड़ में)	कम निर्गम (रुकरोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
मध्य प्रदेश	---	8.48	<ul style="list-style-type: none"> पिछले तीन वर्षों के दौरान आ.स. द्वारा अनुदान के कम उपयोग के कारण ₹8.48 करोड़ का कम निर्गम दस नमूना जांच किए गए जिलों में से आठ में यह पाया गया था कि 35.06 प्रतिशत वा.अ.प. निधियों का 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका था।
जम्मू एवं कश्मीर	1.87	--	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए छ: जिलों में यह पाया गया था कि वा.अ.अ. हेतु निधियों के निर्गम को इष्टतम रूप से निधियों के अनुपयोग के कारण प्रत्येक वर्ष कम किया गया था। छ: में से पांच नमूना जांच किए गए जिलों में ₹0.58 करोड़ (26.30%) वा.अ.अ. निधियों का 2011-14 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका था।
गुजरात	0.66	---	<ul style="list-style-type: none"> चयनित जिलों में, 31 मार्च 2014 को विभिन्न प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. में ₹66.03 लाख अव्ययित पड़े थे। नौ चयनित प्रा.स्वा.के.⁴⁰ को ₹6.00 लाख⁴¹ की अधिकृत राशि के प्रति 2012-14 के दौरान ₹9.21 लाख की राशि जारी की गई थी जिसका परिणाम ₹3.21 लाख की वा.अ.अ. के अधिक भुगतान में हुआ।
तमिलनाडु	0.31	--	<ul style="list-style-type: none"> नौ जिलों के चयनित 93 प्रा.स्वा.के में मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹30.57 लाख का अप्रयुक्त शेष था।
राजस्थान	--	--	<ul style="list-style-type: none"> ₹1.47 करोड़ की जारी की गई राशि का चयनित जिलों में सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका था।
कुल	2.84	8.48	

⁴⁰ अमलीधाम, बोधान, कमलापूर, सधवव (सूरत), अंतरसूबा, खेरोज, कोडवाडा, लूसादिया तथा उंचीधानल सबरकंठा⁴¹ 2012-13: 05 प्रा.स्वा.के. *0.50 लाख = ₹2.50 लाख + 2013-14: 07 प्रा.स्वा.के ₹0.50 लाख ₹3.50

अनुबंध-43

(पैरा 4.5.2.5(viii) के संदर्भ में : आशा की कमी)

राज्य	कमी	अन्युकृतयां
मध्य प्रदेश	764	<ul style="list-style-type: none"> 58245 आशा की आवश्यकता के प्रति 56218 आशा की नियुक्ति की गई थी तथा उनमें से केवल 41420 आशा को छठे एंव सांतवे मॉड्यूल तक प्रशिक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य में दवा तथा प्रशिक्षण किटे केवल 56070 आशा को प्रदान की गई थीं। 10 नमूना जांच किए गए जिलों में 14134 आशा की आवश्यकता के प्रति 13370 आशाओं की नियुक्ति की गई थी। जिनमें से 7914 आशा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थी तथा 1140 आशा अप्रशिक्षित थी तथा दवा किटे 8484 आशा को प्रदान की गई थीं।
पश्चिम बंगाल	2059 (47%)	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए जिलों में 4383 संस्वीकृत आशा में से 2324 (53 प्रतिशत) की मार्च 2014 तक नियुक्ति की गई थी। दार्जसिंग गो.भू.प्रा.प्र. क्षेत्र में राजनीतिक अशांति तथा कठनाईयों के कारण 1440 की संस्वीकृत संख्या के प्रति कोई आशा नियुक्त नहीं की गई थी।
जम्मू एवं कश्मीर	786	<ul style="list-style-type: none"> संस्वीकृत 12000 आशा के प्रति केवल 11214 (93 प्रतिशत) तैनात थी तथा केवल 7248 (65%) को छठे मॉड्यूल (31.03.2014 को राउंड 1) तक प्रशिक्षित किया गया था। राजौरी तथा रियासी के नमूना जांच किए गए जिलों में क्रमशः 26 तथा 45 प्रतिशत से आशा की कमी थी जबकि कारगील में 143 आशा आधिक्य में थी (129 के प्रति 212)।
राजस्थान	2160	<ul style="list-style-type: none"> नौ चयनित जिलों में अपेक्षित 16983 आशा के प्रति मार्च 2014 की समाप्ति पर केवल 14823 आशा की नियुक्ति की गई थीं। आशा की कमी 2160 थी जिसने जिले में प्र.बा.स्वा. तथा टीकाकरण कार्यों को प्रभावित किया।
कर्नाटक	3794	<ul style="list-style-type: none"> नौ चयनित जिलों में, ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने में स.दा.न. को सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित 15,885 आशा कार्यकर्ताओं के प्रति मार्च 2014 को कार्य कर रही आशा कार्यकर्ता 12,091 थीं तथा आशा कार्यकर्ताओं में कमी कुल 3,794 (24%) थी।

अनुबंध 44

(पैरा सं. 4.5.2.5(ix) के संदर्भ में : स्वास्थ्य देखभाल अवसरंचना की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियाँ
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 10 नमूना जांच किए गए जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भा.लो.स्वा.मा. मानदण्डों के अनुसार सुधार नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए 24 सा.स्वा.के., 44 प्रा.स्वा.के. तथा 34 उ.स्वा.के. में ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं अनिवार्य दरवाईयों तथा सामग्री से पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं थी।
सिविकम	<ul style="list-style-type: none"> इन उप-केन्द्रों में भू-स्खलन (थारपू) द्वारा पाईपलाईन की क्षति के कारण तथा लोगों द्वारा पानी के गैर कानूनी उपयोग (पटमछह) के कारण जल आपूर्ति की कमी थी। पूर्व तथा पश्चिम के नमूना जिलों में दो प्रा.स्था.उ.के. तथा नौ प्रा.स्वा.उ.के. के भौतिक सत्यापन ने मूल सुविधाओं के अभाव तथा रोगी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हाईजीन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव तथा रोगी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हाईजीन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव को प्रकट किया। मोबाईल ओपरेटर्सके व्यय के अनुपयोग तथा उपकरण की गैर-संस्थापना के कारण ₹19.99 लाख का पूर्ण व्यय व्यर्थ रहा जिसने प्रत्याशित स्वास्थ्य सुविधाओं से ग्रामीण लोगों को वंचित रखा। ₹20.38 लाख के मूल्य का उपकरण गैर-संस्थापना तथा तकनीकी कार्रिक की नियुक्ति न करने के कारण व्यर्थ रहा। उप-केन्द्र 30 दिनों से 1050 दिलों की अवधि के बीच मूलभूत दवाओं अर्थात् सेपट्रान, पी.सी.एम., मैट्रोजिल, फ्लाजिल आदि के बीच कार्य कर रहे थे।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> मूल अवसरंचना अर्थात् 287 प्र.सं.ड., 613 24x7 प्रा.स्वा.के., 108 न.जा.दे.को. इकाईयों तथा 4 वि.न.जा.दे.इ. के सृजन में कमी थी।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> चयनित जिलों में, अवसरंचना अर्थात् सरकारी बिल्डिंग की कमी थी। चयनित 18 ज.जा.स्वा.के. तथा 46 प्रा.स्वा.के. में से चार ज.जा.स्वा.के.⁴² तथा चार प्रा.स्वा.के.⁴³ के पास अपनी स्वंय की बिल्डिंगें नहीं थी। वह मार्च 2014 तक या तो सा.स्वा.के. बिल्डिंग में कार्य कर रहे थे।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 44 चयनित सा.स्वा.के. में से 27 सा.स्वा.के. में बिल्डिंग उपलब्ध थी तथा 16 सा.स्वा.के. के पास बिल्डिंग नहीं थी जो अपेक्षित है। एक सा.स्वा.के. से सूचना प्रतीक्षित है। 16 सा.स्वा.के. में से 11 सा.स्वा.के. प्रा.स्वा.के. बिल्डिंग में कार्य कर रहे थे क्योंकि इसका प्रा.स्वा.के. से सा.स्वा.के. में सुधार कर दिया गया था। तथापि, निदेशक लोक स्वास्थ्य (लो.स्वा.) ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि चयनित सभी 10 जिलों में कोई भी सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के., उन बिल्डिंगों से कार्य नहीं कर रहे थे जिनका भा.लो.स्वा.मा. मानदण्डों के अनुसार निर्माण किया गया था।
जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> एफ.एम.आर. की संवीक्षा के दौरान, राज्य में 22 जिलों में से मो.चि.ई. को अब तक केवल 11⁴⁴ जिलों में प्रदान किया गया है।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में सुविधाओं अर्थात् अंतः रोगी सेवाओं, प्रसूति कक्ष, रोगनिदान सुविधाओं, आपरेशन थियेटर, रक्त भण्डारण सुविधाएं तथा 24x7 प्रसूति सुविधाओं की कमी थी। छ: नमूना जांच किए गए जिलों में से मो.चि.ई. चार (बाँकुड़ा, पूरुलिया, पश्चिम मिदनापूर तथा जलपाईगुड़ी में उपलब्ध थी।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> आठ जिला अस्पतालों के 15 सा.स्वा.के. तथा 34 प्रा.स्वा.के. में यह पाया गया था कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत कूल 3121 निर्माणकार्यों में से केवल 675 निर्माण क्रायों (22 प्रतिशत) को पूरा किया जा सका था जबकि 1518 निर्माण कार्य (50 प्रतिशत) प्रगति

⁴² धरमपूर, झालोड़, संतरामपूर तथा विजयनगर⁴³ दबखल, खांगेला, उकई तथा खेरवाड़ा⁴⁴ बंदीपूर, झोड़ा, कारगील, किशतवाड़, कुपवाड़ा, लेह, पुऱ्ह, राजोरी, रामबाण, रियासी, उधमपुर

	<p>में थे तथा 868 निर्माणकार्यों (28 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा की तिथि तक आरम्भ भी नहीं किया जा सका था।</p> <ul style="list-style-type: none"> इस प्रकार, ₹106.69 करोड़ के संस्वीकृत 722 निर्माण कार्यों में से केवल 229 (32 प्रतिशत) को पूरा किया जा सका था जबकि 349 (48 प्रतिशत) को पूरा नहीं किया जा सका था जो ₹35.16 करोड़ का व्यय करके प्रगति में थे तथा 143 (20 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा की तिथि तक आरम्भ नहीं किया जा सका था। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि राज्य में ₹1.96 लाख की जनजातिय एवं गैर-जनजातिय ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) हेतु मानदण्डों के अनुसार 44 सा.स्वा.के. तथा 14 प्रा.स्वा.के. की कमी थी जबकि 112 उ.स्वा.के. आवश्यकता से अधिक थे।
--	---

अनुबंध-45

(पैरा सं. 4.5.2.5(x) के संदर्भ में : मानवशक्ति की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 10 जिलों के नमूना जांच किए गए जि.अ., सी.एच., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में चिकित्सा तथा पैरा-चिकित्सा से संबंधित मानव संसाधन में संस्थाकृत संख्या के तथा विशेष रूप से विशेषज्ञ तथा डाक्टरों के पद में प्रति काफी कमी थीं जहां 76 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत पद खाली थे।
असम	<ul style="list-style-type: none"> सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. स्तरों पर विशेषण डाक्टरों, दन्तय शल्य-चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, कनिष्ठ लोक स्वास्थ्य नर्स/ए.एन.एम. आदि जैसे स्टाफ की सभी श्रेणियों में मुख्य स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक की कमी थी।
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> जि.अ., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. स्तरों पर मुख्य चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा स्टाफ की कमी थी। सात नमूना जांच किए गए जिला अस्पतालों (जि.अ.) में से छ: जि.अ. में 30 से 60 प्रतिशत के बीच मानवशक्ति में कमी थी जबकि जि.अ., सरगुजा में आठ प्रतिशत तक अधिक मानवशक्ति थी। नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. में मानवशक्ति में कमी 19 से 74 प्रतिशत के बीच थी। नमूना जांच किए गए प्रा.स्वा.के. में मानवशक्ति में कमी 8 से 70 प्रतिशत के बीच थी।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> चयनित जिलों में मार्च 2014 को चिकित्सा/पैरा-चिकित्सा स्टाफ में 25.78 प्रतिशत की कमी थी।
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> चयनित नौ जिलों में कमी थी, जो 2011-12 से 2013-14 के दौरान, 22.2% से 24.27% के बीच थी तथा चयनित 93 प्रा.स्वा.के. में अवधि के दौरान कमी 19.49% से 20.14% के बीच थी।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> छ: नमूना जांच किए गए जिलों में 44 नमूना जांच किए गए एस.सी. में से 18 एस.सी. (41 प्रतिशत) में या तो नियमित या फिर संविदा आधार पर केवल एक ए.एन.एम. थी। सत्ताईस एस.सी में कोई ब.उ.का. नहीं था (61 प्रतिशत) 1 निर्गम सम्मेलन (02.12.2014) के दौरान प्र.सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि ब.उ.का. की नीति के मामले के कारण तैनाती नहीं की जा रही थी। 41 प्रा.स्वा.के. में से एक (दार्जलिंग जिले घूम) में कोई डाक्टर नहीं था। 41 नमूना जांच किए गए प्रा.स्वा.के. में से पांच प्रा.स्वा में एक भी स्टाफ नर्स के बिना कार्य कर रहे थे।
मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> नमूना जांच किए गए 22 प्रा.स्वा.उ.के. में इन.प्रा.स्वा.उ.के. हेतु 22 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पु.स्वा.का.) तथा 44 ए.एन.एम. की अपेक्षित संख्या के प्रति क्रमशः 17 पु.स्वा.का. तथा 12 ए.एन.एम. की कमी थी।

अनुबंध 46 (i)

(पैरा सं. 5.2.14 के संदर्भ में : राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग)

राज्य/सं.शा.क्षे.	अभ्युक्तियां
4.7: सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.)	
ज.एवं क.	<ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरण ने योजना में स.शि.अ. की नियमित मॉनीटरिंग तथा समीक्षा हेतु एक सरंचना स्थापित नहीं की है। न ही जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों (जि.स्त.मा.स.) का गठन किया गया था। जबकि विभाग से इसके कारण मांगे गए थे (8/2014 एवं 10/2014) परंतु उत्तर प्रतीक्षित था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> ज.जा.उ.यो. हेतु कोई अलग मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान बारह के बजाय सात कार्यकारी समिति की बैठके की गई थीं तथा इस प्रकार पांच बैठकों की कमी थी।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति ने 2011-14 के दौरान 12 के प्रति केवल 10 बैठके की थी। चार नमूना जांच किए गए जिलों में से दो⁴⁵ में जिला स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। यद्यपि इसका दाहोद तथा पंचमहल जिले में गठन किया गया था फिर भी प्रत्येक इन जिलों में 2011-14 के दौरान केवल एक बैठक की गई थी।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 30 जिला प्रभारी अधिकारियों (राज्य स्तरीय अधिकारियों) द्वारा प्रत्येक वर्ष 300 निरीक्षण किए गए थे परंतु निरीक्षण के परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा डी.ई.ओ. सह डी.पी.सी. तथा ए.डी.पी. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान आयुक्त, आर.सी.ई.ई., जयपूर को कोई निरीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार मॉनीटरिंग का सत्यापन नहीं हो सका।
4.8: दोपहर का भोजन (दो.भो.)	
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> अपेक्षित 480056 निरीक्षणों के प्रति केवल 217332 निरीक्षण किए गए थे। इस प्रकार, 2011-14 की अवधि के दौरान कुल 262724 कम निरीक्षण थे। इसने प्रकट किया कि सभी विद्यालयों/केन्द्रों के 2011-14 के दौरान जिला/ब्लॉक तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए थे।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। लेखापरीक्षा ने चयनित पांच जिलों में 64 विद्यालयों का दौरा किया जिन्होंने बताया कि 2011-14 के दौरान किसी भी अधिकारी द्वारा दो.भो. का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12, 2012-13 में दो.भो. के निरीक्षण में क्रमशः 40% एवं 58% तक कमी थी। चयनित 10 जिलों में से 8 जिलों में दो.भो. का ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
ज. एवं क.	<ul style="list-style-type: none"> दो.भो. के निरीक्षण में कमी थी जो 2011-14 की अवधि के दौरान 34% तथा 54% के बीच थी।
असम	<ul style="list-style-type: none"> 64 चयनित विद्यालयों में से 62 विद्यालयों में अधिकारियों द्वारा दो.भो. का निरीक्षण नहीं किया गया था।
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 2141 निरीक्षणों की कमी पाई गई थी।
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> कुल 2077 निरीक्षणों की कमी थी।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त रूप से दौरा किए गए 76 चयनित विद्यालयों में से 66 विद्यालयों का दो.भो. प्राधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया था।
अण्डमान एवं निकोबार	<ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा अवसरिक निरीक्षण थे। आ.सं.अ. के निरीक्षण के मामले में भी न तो कोई निरीक्षण सारणी थी और न ही निष्कर्ष को प्रलेखित किया गया था।
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> 28 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
4.9: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)	

⁴⁵ वडोदरा तथा वलसाड

मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> 10 चयनित जिलों तथा विद्यालयों में मॉनीटरिंग से संबंधित अभिलेखों का आठ⁴⁶ उच्च विद्यालयों (30वि.) तथा नौ⁴⁷ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (उ.मा.वि.) में अनुरक्षण नहीं किया गया था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम सभाएं ग्राम पंचायते मॉनीटरिंग में शामिल नहीं थीं। ज.जा.उ.यो. की कोई अलग मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> 10 जिलों में न तो जिला परियोजना समन्वयकों न ही फ़िल्ड दौरों द्वारा मॉनीटरिंग की गई थी परंतु निरीक्षण तथा नमूना जांचे नियमित आधार पर की गई थी।
ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> मॉनीटरिंग हेतु अलग क्रियाविधि स्थापित नहीं की गई थी।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> अकादमीय तथा निर्माण उप-समिति दोनों का वि.प्र.वि.स. को सहायता करने हेतु नमूना जांच किए गए विद्यालयों (8 विद्यालयों) में से चार विद्यालय में विद्यालय स्तर पर गठन नहीं किया गया था। दौरा किए गए आठ विद्यालयों में से दो⁴⁸ विद्यालयों में वि.प्र.वि.स. की बैठकों का अभिलेख नहीं था।

4.11: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.)

कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> 2013-14 हेतु क.शि.यो. तैयार की गई थी परंतु 2013-14 से पहले की क.शि.यो. लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। योजना के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों के लिए तथा ज.जा.उ.यो. सघटक के लिए परिप्रेक्ष्य योजना/क.शि.यो. तथा वार्षिक कार्य योजना को अलग से तैयार किया गया था परंतु इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने किसी भी स्तर पर मॉनीटरिंग समिति का गठन नहीं किया था।
केरल	<ul style="list-style-type: none"> बाह्य अभिकरण द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था।
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> कोई बाह्य प्रभाव निर्धारण नहीं किया गया था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> राज्य/जिला स्तर पर मॉनीटरिंग का अभाव।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> जिला तथा विद्यालय स्तर पर वैब पोर्टल विकसित नहीं किया गया था। मैसर्स प्लानमैन कंसलटिंग इण्डिया प्राईवेट लि. द्वारा पूरे राजस्थान में 250 सरकारी विद्यालयों में 2013-14 के दौरान किए गए एक तृतीय दल प्रभाव अध्ययन ने प्रकट किया कि राज्य में केवल 29.2 प्रतिशत विद्यालय हैं जिनमें सू.सं.प्रौ. आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति है तथा सू.सं.प्रौ. आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष अकादमीय विभाग वाले केवल 16 प्रतिशत विद्यालय हैं।

⁴⁶ बारवानी: पिसनावल, बेतूल: हमलपूर, छिंदवाड़ा: हनौलिया, धार: कुकशी, दिनबौरी: रायपूर, मॉडला: धूरी, रतलाम: रतागिरी, सिओनी: भूमा बाल्कि

⁴⁷ बालघाट: उकवा, बारवानी: बालिका, सेंदवाड़ा, बेतूल: छिंडवाड़ा, उम.एल.बी., घिंदवाड़ा, दिनदौरी: प्राचीन दिनदौरी, खारगांव: भाग्यपूरा, मॉडला: कौड़ीलिंगा, रत्तलाम: एक्सलैन्स, सियोनी: छपरा

⁴⁸ सकयोंग एस.एस, परिचय सिक्किम तथा नामचे बोंग एस.एस., पूर्व सिक्किम

अनुबंध-46 (ii)

(पैरा सं. 5.2.7 के संदर्भ में : राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग)

राज्य	अभ्युक्तियां
4.12: राष्ट्रीय कैसर मधुमेय, हृदय रोग एवं दौरै से बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम (रा.कै.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का.)	
महाराष्ट्र, एवं झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> योजना की प्रगति रिपोर्ट के संचार हेतु राज्य द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) को विकसित नहीं किया गया था तथा केरल तथा ओडिशा में विकास प्रगति में था।
सिविकम	<ul style="list-style-type: none"> गै.सं.रो. सैल ने मॉनीटरिंग सैल की स्थापना नहीं की थी।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान मास मीडिया अभियानों का आयोजन नहीं किया गया था। 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान केवल कैसर/मधुमेय/ह.रो./दौरै आदि को बताने वाले सचेत संकेतों हेतु अभियान किया गया था।
असम	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान रा.कै.म.ह.रो.दौ.वा.नि.का. की प्रथम मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। 2011-14 के दौरान रा.कै.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का. की अलग मॉनीटरिंग/समीक्षा की 10 बैठकें की गई थीं परंतु रा.कै.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का. की मॉनीटरिंग/समीक्षा नहीं की गई थी।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> फील्ड दौरों हेतु वाहनों की कमी के कारण किसी भी स्तर पर फील्ड अवलोकन नहीं किए गए थे।
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> उन रोगियों के विवरण, जिन्हे गै.सं.रो. क्लीनिकों पर अनुरक्षण, फिजयोथेरेपी तथा काउसलिंग प्रदान की गई थी, सूचित नहीं किए गए थे। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय गै.सं.रो. सैल को प्रेषित नहीं की जा रही थीं। राज्य स्तर पर समीक्षा बैठके त्रैमासिक आधार पर नहीं की गई थी। कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांकन तथा गै.सं.रो. जोखिम घटकों की निगरानी राज्य गै.सं.रो. सैल द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान नहीं की गई थी।
बिहार	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (रा.स्त.का.स.) ने रा.कै.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का. के अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग तथा समीक्षा हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा अध्यक्षता वाले गै.सं.रो. सैल का गठन किया। परंतु रा.स्वा.स.बि. द्वारा समीक्षा/मॉनीटरिंग से उजागर किसी भी विशिष्ट अभ्युक्ति को शोधक कार्रवाई करने हेतु इंगित नहीं किया गया था।
4.13: राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (रा.व.स्वा.दे.का.)	
असम, महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> राज्य द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट के संचार हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) को विकसित नहीं किया गया था।
सिविकम	<ul style="list-style-type: none"> नोडल अधिकारी के साथ केवल त्रैमासिक बैठकें की जा रही थीं।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> 2011-12 के दौरान कोई कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने 2011-14 के दौरान रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप तैयार नहीं किए थे। 2013-14 के दौरान केन्द्र से प्राप्त प्रारूपों का राज्य सरकार द्वारा रिपोर्टिंग हेतु उपयोग किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा अब तक कार्यक्रम की कोई समीक्षा आरम्भ नहीं की गई थी।
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> राज्य गै.सं.रो. सैल में कोई मॉनीटरिंग नहीं थी।
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> उ.स्वा.के. से विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से राज्य गै.सं.रो. सैल को रिपोर्टिंग की जा रही थी जिसमें केवल बा.रो.वि. में देखे गए, वार्ड में दाखिल किए गए वयोवृद्ध रोगियों तथा की गई प्रयोगशाला जांच के संबंध ही सूचित किया जा रहा था। वयोवृद्ध को प्रदान की गई पुर्णवास सेवाओं, सहायक उपकरणों की कुल संख्या, आवृत लोगों एवं प्रदत्त स्वास्थ्य कार्ड की कुल संख्या, गृह आधारित देखभाल आदि कि संबंधित सूचना सूचित नहीं की जा रही थी। राज्य स्तर पर प्रगति रिपोर्ट जिलों से प्राप्त की गई थी परंतु त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय गै.सं.रो. सैल को नहीं भेजी जा रही थीं।

	<ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तर पर समीक्षा बैठको का आयोजन तिमाही आधार पर नहीं किया गया था। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्य गै.सं.रो. सैल कार्यक्रम के विभिन्न घटको का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया था।
बिहार	<ul style="list-style-type: none"> साप्ताहिक अंतराल पर नियमित मॉनीटरिंग हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गै.सं.रो. सैल की मौजूदगी के बावजूद रा.व.स्वा.दे.का. की कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।
4.15: अवसरंचना अनुरक्षण योजना (अ.अ.यो.)	
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> कोई मॉनीटरिंग क्रियाविधि स्थापित नहीं थी।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार ने सितंबर 2014 तक किसी मॉनीटरिंग दल का सृजन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सृजित कुछ अवसरंचना जैसे कि प्रा.स्वा.उ.के. में स्टाफ मकानों, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र आदि तथा वाहन/मशीनरी जैसे अन्य परिसम्पत्तियां लम्बे समय से व्यर्थ पड़ी थीं जिसने ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित किया।
ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> 2011-14 के दौरान, मॉनीटरिंग समिति ने प.का.यो. के सामयिक प्रस्तुतीकरण तथा संकलन, निधियों के उपयोग, गुणवत्ता सेवा सुपूर्दग्गी आदि जैसे मामलों पर चर्चा करने हेतु 15 बार बैठक की परंतु बैठक की कार्रवाईयों की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थीं।
4.12 टीकाकरण	
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> कार्यक्रम की नियमित मॉनीटरिंग, जैसा संबंधित प्राधिकारी द्वारा सूचित किया गया था, के बावजूद रा.स्वा.स. तथा जि.स्वा.स. नियमित टीकाकरण तथा जांच हेतु गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की 100 प्रतिशत उपलब्ध प्राप्त करने में विफल रही। प्रा.स्वा.उ.के. स्तर पर निष्पादन की मॉनीटर हेतु उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियमित दौरे अपर्याप्त थे जो लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए नौ उप-केन्द्रों के संबंध में शून्य से दस दौरों के बीच थे।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तर पर मॉनीटर, कार्यान्वयन की समीक्षा तथा टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु कोई संरचना तैयार नहीं की थी।
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> केवल 7 बैठक की गई थी तथा यद्यपि समिति ने पूर्ण-टीकाकरण लक्ष्यों की अप्राप्ति पर चिंता व्यक्त की थी तथा 2011-12 से 2013-14 के दौरान पूर्ण टीकाकरण पर पूरा जोर दिया था परंतु फ़िल्ड परिणामों ने प्रकट किया कि पूर्ण टीकाकरण को अभी भी प्राप्त किया जाना था।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> मॉनीटरिंग राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक, टीकाकरण तथा जिला स्तर पर प्र.बा.स्वा.अ. द्वारा की गई थी। मॉनीटरिंग के दौरान, परियोजना निदेशक, टीकाकरण द्वारा लेखापरीक्षा को व्यय के बेमेल होने को एक मुख्य अनियमितता के रूप में सूचित किया गया था।
ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> टीकाकरण कार्यक्रम की मॉनीटरिंग राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जा रही थी तथा समीक्षा भी तिमाही रूप से की गई थी। 2011-14 के दौरान, मॉनीटरिंग हेतु 138 बैठकें की गई थीं जबकि समीक्षाएं 11 अवसरों पर की गई थीं।

शब्दावलीयों की सूची

शब्दावलीयों की सूची

स्वा.नि.	स्वायत्त निकाय
अ.भा.त.शि.प.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
वा.अ.अ.	वार्षिक अनुरक्षण अनुदान
अ.मु.वि.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
प्र.पू.जां	प्रसव पूर्व जांच
स.प्र.न.	सहायक प्रसाविका नर्स
वा.नि.प्र.	वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन
गं.श्व.सं.	गंभीर श्वसन संक्रमण
आ.र.स.	आरोग्य रक्षा समिति
कि.प्र.यौ.स्वा.	किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य
आशा	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
का.रि.	कार्रवाई रिपोर्ट
वा.का.यो.ब.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट
आयुष	आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी
बी.का.ग्यू.	बैसिलियस कालमेट ग्यूरिन (क्षय रोग हेतु टीका)
ब.व्य.	बजट व्यय
बु.आ.प्र.न.शि.दे.	बुनियादी आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल
अ.शि.ब्लॉ.सं.	अध्यापक शिक्षा के ब्लॉक संस्थान
ब्लॉ.स्वा.चि.अ.	ब्लॉक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
ब्लॉ.स्वा.चि.अ.	ब्लॉक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
ग.रे.नी.	गरीबी रेखा से नीचे
ब्लॉ.का.प्र.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक
र.सं.के.	रक्त संग्रहण केन्द्र
बो.प्रा.प.	बोडोलेंड प्रादेशिक सम्मेलन
जै.वि.प.	जैव विविधता परिषद
के.आ.वि.अ.प.	केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद
के.हो.अ.प.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
के.यू.चि.अ.प.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद
मु.शि.अ.	मुख्य शिक्षा अधिकारी
क.शि.यो.	कम्प्यूटर शिक्षा अधिकारी
सा.स्वा.के.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
मु.चि.स्वा.अ.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
के.सं.यो.	केन्द्रीय सहायता योजना
ह.रो.	हृदय रोग
आ.सं.अ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
जि.प.क.ब्यू.	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो
उ.शि.वि.	उच्चतर शिक्षा विभाग
जि.स्वा.अ.	जिला स्वास्थ्य अधिकारी

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

जि.आ.	जिला अस्पताल
जि.स्वा.सो.	जिला स्वास्थ्य सोसायटी
जि.अ.शि.सं.	जिला अध्यापक शिक्षा संस्थान
जि.शि.सू.प्र.	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
जि.स्त.मॉ.स.	जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति
जि.का.सं.	जिला कार्यक्रम समन्वयक
जि.का.अ.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
डी.पी.टी	डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस
स्कू.शि.सा.वि.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
डि.टे.	डिप्थीरिया तथा टेटनस
शि.प्रौ.	शिक्षा प्रौद्योगिकी
रा.पी.आई.पी.ल.पू.	राज्य का.का.यो हेतु लचीलापूल
प्र.सं.इ.	प्रथम संदर्भित इकाई
पू.प्र.आ.प्र.	पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक प्रमाणित
सा.वि.नि.	सामान्य वित्तीय नियमावली
बा.उ.वि.	बालिका उच्च विद्यालय
जी.जे.एस., जी.यू.पी.,	स्कूलों के नाम
जी.जे.एस., जी.जे.सी.,	
जी.एस.एस.एस.	
भा.स.	भारत सरकार
गो.क्षे.प्र.	गोरखालैंड क्षेत्रिय प्रशासन
उ.शि.	उच्च शिक्षा
स्वा.प.क.प्र.के.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र
उ.मा.वि.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
भा.सा.वि.अ.प.	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद
सू.सं.प्रौ.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
सू.शि.सं.	सूचना शिक्षा एवं संचार
आ.फो.ए.	आयरन फोलिक एसिड
इं.गा.रा.मु.वि.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
अ.र.यो.	अवसंरचना रखरखाव योजना
भा.ज.स्वा.मा.	भारतीय जन स्वास्थ्य मानक
नि.पो.टी.	निष्क्रिय पोलियो टीका
सू.प्रौ.	सूचना प्रौद्योगिकी
अं.ग.ग.डि.	अंतर्ग्रामाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस
अ.ग.सा.	अंतर्ग्रामाशयी साधन
जा.गि.इ.	जामिया मिलिया इस्लामिया
झा.गा.स्वा.मि.स.	झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
झा.शि.प.प.	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद
ज.सु.यो.	जननी सुरक्षा योजना
क.गां.बा.वि.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
म.स्वा.आ.	महिला स्वास्थ्य आगंतुक

पि.मा.	पिछली माहवारी
वा.अ.	वामपंथी अतिवाद
आ.श.ग.उ.मं.	आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
सू.ल.म.उ.मं.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
मा.पु.	माप पुस्तकें
अ.ब.जि.	अल्पसंख्यक बहुल जिले
ल.मॉ.क्ल.वि.	लड़कियों के लिए मॉडल कलस्टर विद्यालय
म.भो.यो.	मध्यान्ह भोजन योजना
मि.ल.पू.	मिशन लचीला पूल
स्वा.प.क.मं.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मा.सं.वि.मं.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
प्र.मॉ.मू.	प्रबंधन मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन
च.चि.इ.	चल चिकित्सा इकाई
चि.अ.	चिकित्सा अधिकारी
ज.जा.का.मं.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
व.उ.स्वा.का.	बहु उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता
नि.प.का.	नवजात परिचर्चा कार्नर (न.प.का.)
न.शि.स्थ.इ.	नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयां
अ.सं.रो.	असंक्रामक रोग
अ.के.सं.पू.	अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल
रा.अ.शि.प.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
गै.स.सं.	गैर सरकारी संगठन
रा.स्वा.मि.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
ज.जा.उ.यो.नि.अ.के.पू.	ज.जा.उ.यो. निधियों का अव्यपगत केन्द्रीय पूल
रा.मॉ.स.	राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति
एन.पी.सी.डी.सी.एस	राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आर्मघात रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु कार्यक्रम
रा.शि.नी.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
प्रा.स्त.ल.शि.रा.का.	प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
एन.पी.एच.सी.ई.	राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम
रा.ग्रा.स्वा.मि.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
स्के.पु.न.	बिना स्केलपेल के पुरुष नसबंदी
रा.श.स्वा.मि.	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
अ.पि.जा.	अन्य पिछड़ी जाति
ब.रो.वि.	बाह्य रोगी विभाग
पे.पो.वै.	पेय पोलियो वैक्सीन
ओ.आर.एस	मौखिक पुनर्जलन घोल
प.मं.बो.	परियोजना मंजूरी बोर्ड
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
ग.शि.नि.प्र.	गर्भावस्था एवं शिशु निगरानी प्रणाली
स्ना.को.	स्नातकोत्तर

जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

सा.स्वा.	सार्वजनिक स्वास्थ्य
प्रा.स्वा.न.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
सा.स्वा.के.	सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र
प्रा.स्वा.उ.के.	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र
का.प्र.	कार्यक्रम प्रबंधक
प्र.का.	प्रधानमंत्री कार्यालय
प्र.प.	प्रसवोपरांत परिचर्चा
प.पो.टी.	पल्स पोलियो टीकाकरण
प्रा.वि.	प्राथमिक विद्यालय
नि.ज.	निशकत जन
रा.प्रा.शि.प.	राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद
प्र.बा.स्वा.	प्रजनन बाल स्वास्थ्य
प्र.बा.स्वा.ल.पू.	प्रजनन बाल स्वास्थ्य लचीला पूल
प्र.बा.स्वा.अ.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी
सं.व्य.	संशोधित व्यय
रो.क.स.	रोगी कल्याण समिति
पं.चि.	पंजीकृत चिकित्सक
रा.मा.शि.अ.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
शि.अ.	शिक्षा का अधिकार
अ.जा.	अनुसूचित जाति
स्था.स.	स्थायी समिति
रा.शै.अ.प्र.प.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
अ.जा.उ.यो.	अनुसूचित जाति उप योजना
स्कू.प्रा.शि.	स्कूली एवं प्राथमिक शिक्षा
अ.ज.जा.शि.प्र.सू.प्र.	अनुसूचित जनजाति शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली
रा.जि.प.क.ब्यू.	राज्य एवं जिला परिवार कल्याण ब्यूरो
उ.स्वा.सो.	उप स्वास्थ्य केन्द्र
रा.स्वा.सो.	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी
रा.स्वा.सो.बि.	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी बिहार
रा.शि.अ.प्र.सं.	राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रा.स्वा.प.क.सं.	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
वि.प्र.वि.स.	विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति
वि.न.प.ए.	विशेष नवजात परिचर्चा एकक
स.शि.अ.	सर्व शिक्षा अभियान
अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति
रा.का.ब.	राज्य कार्य बल
स.थो.ना.मे.अ.	सर थोडप नामगयाल मेमोरियल अस्पताल
पा.ज.प.	पारंपरिक जन्म परिचर
तृ.कै.के.	तृतीयक कैंसर केन्द्र
टे.डा.	टेटनस डायोक्साइड
अ.शि.यो.	अध्यापक शिक्षा योजना

प्र.प्र.	प्रशिक्षक प्रशिक्षण
ज.जा.उ.यो.	जनजातीय उप-योजना
टे.ट्रा	टेटनस ट्रायओक्साइड
उ.प्र.	उपर्योगिता प्रमाणपत्र
श.प.क.के.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र
वि.अ.स.	विश्वविद्यालय अनुदान समिति
श.स्वा.प.	शहरी स्वास्थ्य पोस्ट
वै.प्र.का.	वैशिवक प्रतिरक्षण कार्यक्रम
उ.प्रा.वि.	उच्च प्राथमिक विद्यालय
सं.शा.क्षे	संघ शासित क्षेत्र
वे.इं.लि.	वेबेल इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in